# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र / Fourth Session ]

[ खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 48, मंगलवार, 23 अप्रैल, 1968/3 वैशाख, 1890 (शक)

*No. 48, Tuesday, April 23, 1968/Vaisakha 3, 1890 (Saka)*

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.* | | |
| 1377. रूसी आयोजन प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यात्रा | Visit by Soviet Planning Delegation | .. 1171—1174 |
| 1378. इलायची की खेती | Cardamom Cultivation | .. 1174—1176 |
| 1380. आयातित अखबारी कागज का मूल्य | Price of Imported Newsprint | .. 1176—1177 |
| 1381. नागालैंड में कागज बनाने का कारखाना | Paper Factory in Nagaland | .. 1177—1180 |
| 1384. गोरखपुर में रेलवे संचार सेवा के लिए सूक्ष्म तरंग बुर्ज | Microwave towers for Railway Communication service at Gorakhpur | .. 1180—1185 |
| 1385. हिन्दी टेली प्रिन्टर | Hindi Teleprinters | .. 1185—1187 |
| अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No. | | |
| 23. रेलवे द्वारा कोयला सप्लाई करने वाले लोगों के टेंडरों का रद्द किया जाना | Cancellation of coal suppliers tenders by Railways | .. 1308 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1379. छोटे पैमाने के उद्योगों को करों में राहत | Taxation relief to Small Scale Industries | .. 1187—1188 |

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय<br>ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 1382. खादी रेशम उद्योग | Khadi Silk Industry .. | 1187—1188 |
| 1383. राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषदें | National Arbitration Councils | 1188 |
| 1386. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की एक कोयला खान में आग लगना | Fire in a Colliery of National Coal Development Corporation .. | 1188—1189 |
| 1387. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | U. N. C. T. A. D. II .. | 1189 |
| 1388. सुपर एक्सप्रेस गाड़ियां | Super Express Trains .. | 1189 |
| 1389. तमिलनाड के विधायकों को निःशुल्क रेलवे पास | Free Railway Passes to M. L. As. of Tamilnad | 1190 |
| 1390. हावड़ा तथा अन्य स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों से भरे माल डिब्बों से माल का न उतारा जाना | Non-clearance of Railway Wagons with Food-Stuff at Howrah and other Stations .. | 1190 |
| 1391. सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी उपक्रमों में मंदी | Recession in Public Sector Engineering Projects .. | 1190—1191 |
| 1392. कोयला-वैगनों में से कोयला उतारना | Unloading of Coal Wagons .. | 1191 |
| 1393. ट्रांजिस्टरों के सैलों की कमी | Shortage of Transistor Cells .. | 1191—1192 |
| 1394. ताप प्रभाव रहित ईंटें तथा ब्लाक | Heat Insulating Bricks and Blocks .. | 1192 |
| 1395. थाईलैंड से पटसन का आयात | Import of Jute from Thailand .. | 1192—1193 |
| 1396. भारतीय रेलवे इन्जीनियर सेवा परीक्षा | Indian Railway Service of Engineers Examination .. | 1193 |
| 1397. सलाहकार समितियों और बोर्डों के सदस्य | Members of Advisory Committee and Boards .. | 1194 |
| 1398. इटली को इंजीनियरी की वस्तुओं का निर्यात | Export of Engineering Goods to Italy .. | 1194 |
| 1399. माइनिंग एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, दुर्गापुर | Mining and Allied Engineering Corporation, Durgapur .. | 1195 |
| 1400. प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली | Managing Agency System .. | 1195 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | | |
| 1401. मशीनों और उपकरणों का निर्यात | Export of Machineries and Equipment .. | 1195 |
| 1402. कारों का निर्माण तथा संसद सदस्यों को आवंटन | Production of Cars and allotment of Cars to M. Ps. .. | 1196 |
| 1403. हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम | Handicrafts and Handlooms Exports Corporation .. | 1196—1197 |
| 1404. भागलपुर में रेशम कारखाना | Silk Factory in Bhagalpur .. | 1197—1198 |
| 1405. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन | British India Corporation .. | 1198 |
| 1406. इटली को निर्यात में वृद्धि | Increase of Exports with Italy .. | 1199 |
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 8124. प्रीमियर क्रैडिट एण्ड मोटर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड | Premier Credit and Motors (P) Ltd. .. | 1199—1200 |
| 8125. ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने वाली कम्पनियां | Gramophone Record Manufacturing Companies .. | 1201—1202 |
| 8126. फिल्म निर्माताओं तथा गायक कलाकारों को दी गयी रायल्टी | Royalty paid to Film Producers and Singing Artistes .. | 1202 |
| 8127. बाल्टेयर-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी का चालू किया जाना | Introduction of Waltair-Nagpur Express Train .. | 1202 |
| 8128. रेलवे स्टेशनों के नामों को उर्दू में लिखना | Writing of Names of Railways Stations in Urdu .. | 1202—1203 |
| 8129. दक्षिण तथा पूर्वी रेलवे पर छुट्टियों में विशेष गाड़ियां चलाना | Running of Special Trains on Holidays on Southern and Eastern Railways .. | 1203 |
| 8130. सवाई माधोपुर और टोंक में औद्योगिक सर्वेक्षण | Industrial Survey in Sawai Madhopur and Tonk .. | 1203—1204 |
| 8131. खानडिप रेलवे स्टेशन पर सिगनल का प्रबन्ध | Signal Arrangements at Khandip Railway Station .. | 1204 |
| 8132. राजस्थान में नमक का उत्पादन | Production of Salt in Rajasthan .. | 1204 |
| 8133. हनुमानगढ़ तथा भटिंडा के बीच बिना टिकट यात्रा | Ticketless Travel from Hanumangarh to Bhatinda .. | 1204—1205 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 8134. हथकरघा उद्योग को आवंटन | Allocations for Handloom Industry .. | 1205 |
| 8135. टर्बो-ब्लोअर्स और टर्बो-कम्प्रेसरों का निर्माण | Manufacture of Turbo-blowers and Turbo-Compressors .. | 1205—1206 |
| 8136. हंगरी के साथ व्यापार समझौता | Trade Agreement with Hungary .. | 1206 |
| 8137. श्रीलंका को सीमेंट का सप्लाई किया जाना | Supply of Cement to Ceylon .. | 1206—1207 |
| 8138. हांगकांग और थाईलैण्ड को इस्पात का निर्यात | Export of Steel to Hong Kong and Thailand .. | 1207 |
| 8139. औद्योगिक लाइसेंस देने से संबंधित नीति | Industrial Licensing Policy .. | 1208 |
| 8140. अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दिये गये ऋणों से उपकरणों का आयात | Import of equipments against U. S. Aid loans .. | 1208—1209 |
| 8141. राज्य व्यापार निगम द्वारा ट्रेक्टरों का आयात | Import of Tractors by S. T. C. .. | 1209—1210 |
| 8142. मेसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता | M/s Bird and Company, Calcutta .. | 1210—1211 |
| 8143. सियालदह डिवीजन में वैन्डर केरिंग रेलगाड़ियां | Vendor Carrying Trains on Sealdah Division .. | 1211—1212 |
| 8144. काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त भत्ता | Deputation Allowance to Employees of Cottage Industries Emporium .. | 1212 |
| 8145. भारत-रूस औद्योगिक तथा व्यापार करार | Indo-Soviet Industrial and Trade Deals .. | 1212—1213 |
| 8146. ड्राई बैटरी सैल | Dry Battery Cells .. | 1213 |
| 8147. संसद भवन में चाय 'बुफे' | Tea Buffet in Parliament House .. | 1213—1214 |
| 8148. छपाई वाले सफेद कागज का उत्पादन | Production of White Printing Papers .. | 1214—1215 |
| 8149. नागालैंड में फल परिरक्षण उद्योग | Fruit Preservation Industry in Nagaland .. | 1215 |
| 8150. पूर्व रेलवे में हेड ट्रेन एग्जामिनर, कैरिज फोरमैन तथा कैरिज और बैगन इंस्पेक्टर | Hd. T. X. Rs. Carriage Foremen and CWIs. on E. Rly. .. | 1215 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 8151. बाक्स टाइप के माल डिब्बों की मरम्मत | Repair to Box Type of Wagons | .. 1215—1216 |
| 8152. आई० सी० एफ० के डिब्बों की तरह के डिब्बे | I. C. F. Type of Coaches | 1216 |
| 8153. गुनपुर-नौपाड़ा छोटी लाइन सेक्शन पर रेलगाड़ी | Train on Gunpur-Naupada N. G. Section | 1217 |
| 8154. लद्दाख में व्यापारियों को वित्तीय सहायता | Financial assistance to traders in Ladhakh | 1217 |
| 8155. इंजनों का निर्माण | Manufacture of Locomotives | .. 1218—1219 |
| 8156. यात्री डिब्बे (कोच) | Passenger Coaches | .. 1219—1220 |
| 8157. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ द्वारा पारित संकल्प | Resolution passed by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry | .. 1220—1221 |
| 8158. दक्षिण में कपड़ा मिलों का बन्द होना | Closure of Textile Mills in South | .. 1221 |
| 8159. भारत-ईरान सहयोग योजनायें | Indo-Iran collaboration Scheme | .. 1221—1222 |
| 8160. निर्यात संवर्धन कार्यक्रम | Export Promotion Programme | 1222—1223 |
| 8161. मैसर्स आर० ओ० अबरोल एण्ड कं० | Messrs. R. C. Abrol and Co. | .. 1223 |
| 8162. दिल्ली के लिये साफ्ट कोक के माल डिब्बे | Wagons of Soft Coke for Delhi | .. 1223—1224 |
| 8163. कोयले का बड़े वैगनों में भेजा जाना | Transport of Coal in big wagons | .. 1224 |
| 8164. टायर निर्माता | Tyre Manufacturers | .. 1224—1225 |
| 8165. कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण | Production of textile and Machinery | .. 1225—1226 |
| 8166. महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर | Maheshwari Devi Jute Mill, Kanpur | .. 1226—1227 |
| 8167. भारतीय चाय की किस्म | Quality of Indian Tea | 1227 |
| 8168. तकनीकी विकास महा-निदेशालय की सूची के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें | Conditions of Service of Employees borne on the Directorate General, Technical Development List | .. 1227—1228 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 8169. निर्यात-गृह | Export Houses | 1228—1229 |
| 8170. रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग | Railway Catering .. | 1229—1231 |
| 8171. अखिल भारतीय रेलवे अवर्गीकृत (अनग्रेडेड) एकाउन्ट्स क्लर्क सम्मेलन | All-India Railway Ungraded Accounts Clerks Convention .. | 1231—1232 |
| 8172. कानपुर रेलवे स्टेशन के कुली | Porters of Kanpur Railway Station .. | 1232—1233 |
| 8173. अन्य रेल यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली और यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में फालतू कर्मचारी | Surplus staff in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi and Traffic Accounts Office, Ajmer .. | 1233 |
| 8174. पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना | Confirmation of Railway Employees of North Eastern Railway .. | 1233 |
| 8175. पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के काम के घंटे | Duty Hours of Railway Staff on North Eastern Railway .. | 1233—1234 |
| 8176. रेलवे वर्कशापों में पदों का ऊंचा किया जाना | Upgrading of Posts in Railway Workshops .. | 1234 |
| 8177. रेलवे कर्मचारियों को रात्रि-भत्ता? | Night Allowance to Railway Employees .. | 1234—1235 |
| 8178. रेलवे में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी | Leave Reserve Staff on Railways .. | 1235 |
| 8179. भारत में चाय कम्पनियां | Tea Companies in India | 1235 |
| 8180. ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्लर्कों का काम | Duties of Grade I and II Clerks .. | 1236 |
| 8181. महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, कलकत्ता | Director General Commercial Intelligence and Statistics, Culcutta .. | 1236—1237 |
| 8182. निर्यात गृह | Export Houses .. | 1237—1238 |
| 8183. राज्य व्यापार निगम द्वारा बेची गई कारों के मूल्यों में कमी | Fall in Prices of Cars sold by S. T. C. .. | 1238 |
| 8184. राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री | Sale of Cars by the State Trading Corporation .. | 1238—1239 |
| 8185. पश्चिम रेलवे के अन्य यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली के हमाल तथा खलासी | Hamals and Khalasis in Foreign Traffic Account Office, W. Railway, Delhi .. | 1239 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 8187. पूर्व रेलवे के कनिष्ठ लेखापालों की ओर से ज्ञापन पत्र | Memorandum from Junior Accountants of Eastern Railway .. | 1240 |
| 8188. श्रेणी 2 के रेलवे अधिकारियों की श्रेणी में पदोन्नति | Promotion of Class II Railway Officers to Class I .. | 1240 |
| 8189. मुगलसराय स्टेशन में इंजन का जलना | Burning of Engine at Mughalsarai Station .. | 1240—1241 |
| 8190. उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारी | Staff of Traffic Accounts Office, Northern Railway .. | 1241 |
| 8191. मुंगेर में गैर-सरकारी फर्म को नाव से माल ढोने का ठेका | Goods Ferry Contract to Private Firm at Monghyr .. | 1241—1242 |
| 8192. पी० एस० भागलपुर स्टीमर | "P. S. Bhagalpur" Steamer .. | 1242 |
| 8193. दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय तथा पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के सफाई वालों के लिये गरम वर्दियां | Winter uniform for safaiwalas in N. Rly. T. A./S. and W. Rly. F. A. Office, Delhi | 1242 |
| 8194. रूस को रेल पटरियों तथा वैगनों की सप्लाई | Supply of Rails and Wagons to Soviet Union .. | 1243 |
| 8195. ग्रेड दो के क्लर्कों की ग्रेड एक के क्लर्कों में पदोन्नति | Promotion of Clerks Grade II to Clerks Grade I .. | 1243 |
| 8196. पश्चिम रेलवे के ट्रैवलिंग इंस्पैक्टर्स आफ अकाउंट्स | Travelling Inspectors of Accounts on Western Railway .. | 1243—1244 |
| 8197. तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को कम्पलीमेंट्री पास | Complimentary Passes to Class III and IV Railway Staff .. | 1244—1245 |
| 8198. रुपयों में भुगतान के आधार पर ट्रैक्टरों का आयात | Import of Tractors on Rupee Payment basis .. | 1245 |
| 8199. रूस से निकल का आयात | Import of Nickle from USSR | 1246 |
| 8200. पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विकास पर घेराव का प्रभाव | Impact of Gheraos on Industrial Development in West Bengal .. | 1246—1247 |
| 8201. कृषि उपकरणों पर आयात शुल्क | Import Duties on Agricultural Implements .. | 1247 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 8203. पश्चिम रेलवे के कांडला बंडर स्टेशन पर खाद्यान्नों की ढुलाई | Loading of Foodgrains at Kandla Bunder Station of Western Railway .. | 1247 |
| 8204. अमरीका से भेड़ों का आयात | Import of Sheep from U. S. A. .. | 1247—1248 |
| 8205. निर्मित तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं का निर्यात | Export of Manufactured and Semi-Manufactured Goods .. | 1248 |
| 8206. रेलवे में मास्टर कार्ड | Master Cards on Railways .. | 1248—1249 |
| 8207. उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों का विकास | Development of Cottage Industries in U. P. .. | 1250 |
| 8208. पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलवे में दुर्घटनाएं | Accidents on North Eastern and Southern Railways .. | 1250 |
| 8209. उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें | Textile Mills in U. P. .. | 1250—1251 |
| 8210. हावड़ा से टूण्डला तक विद्युतीकरण | Electrification from Howrah to Tundla .. | 1251 |
| 8211. रेलवे गार्ड | Railway Guards .. | 1251—1252 |
| 8212. संकटग्रस्त कपड़ा मिल | Sick Textile Mills .. | 1252 |
| 8213. संयुक्त सहयोग का कार्य संचालन | Working of Joint Collaboration .. | 1252—1253 |
| 8214. दुग्ध चूर्ण के कारखाने | Milk Powder Factories .. | 1253 |
| 8215. भुसावल और इटारसी डिवीजनों के रेलवे स्टेशन | Railway Stations in Bhusawal and Itarsi Divisions .. | 1253 |
| 8216. मध्य प्रदेश में उद्योग | Industries in Madhya Pradesh .. | 1254 |
| 8217. भुसावल इटारसी सेक्शन के स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड | Sheds over Platforms on Stations of Bhusawal-Itarsi Section .. | 1254—1255 |
| 8218. मध्य रेलवे में भुसावल और इटारसी डिवीजनों के राजपत्रित कर्मचारी | Gazetted Officers in Bhusawal and Itarsi Divisions on the C. Rly. .. | 1255 |
| 8219. मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास | Industrial Development of M. P. .. | 1255 |
| 8221. विदर्भ में कपड़ा मिलों का बन्द होना | Closure of Textile Mills in Vidharbha .. | 1255—1256 |
| 8222. इस्पात कारखानों के लिये लौह अयस्क | Iron Ore for Steel Plants .. | 1256 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 8223. मुरादाबाद में लघु उद्योग | Small Scale Industries in Moradabad .. | 1256 |
| 8224. लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश | Small Scale Industries Corporation, U. P. .. | 1257 |
| 8225. उत्तर प्रदेश में उद्योगों को दिया गया ऋण | Loans given to Industries in U. P. .. | 1257 |
| 8226. उत्तर प्रदेश के लिये स्टेनलैस स्टील का नियतन | Allocation of Stainless Steel in U. P. .. | 1257—1258 |
| 8227. निषेध मदों के आयात के लिये लाइसेंस | Licences for Import of Prohibited Items .. | 1258 |
| 8228. दुर्गापुर इस्पात कारखाना | Durgapur Steel Plant .. | 1259 |
| 8229. खनिजों का वैमानिक सर्वेक्षण | Aerial Mineral Survey .. | 1259—1260 |
| 8230. माडल वुलन मिल्स, बम्बई | Model Woollen Mills, Bombay .. | 1260 |
| 8231. बिड़ला उद्योग समूह की सूती कपड़ा मिलों पर छापा | Raids on Birla Group of Textile Mills .. | 1261 |
| 8232. नारियल जटा मजदूरों के लिये कल्याण योजना | Welfare Scheme for Coir Workers .. | 1261—1262 |
| 8233. चलचित्रों का आयात और निर्यात | Import and Export of Films | 1262 |
| 8234. व्यापार प्रक्रियाओं का प्रभाव | Impact of Trade Practices .. | 1262—1263 |
| 8235. हिन्दी प्रशिक्षण योजना | Hindi Training Scheme .. | 1263 |
| 8236. औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाना । | Teaching of Hindi to the Staff in the Ministry of I. D. & C. A. .. | 1263—1264 |
| 8237. वाणिज्य मंत्रालय में हिन्दी न जानने वाले कर्मचारी | Employees not knowing Hindi in Commerce Ministry .. | 1264 |
| 8238. सूक्ष्म औजारों का निर्माण | Manufacture of Delicate Instruments .. | 1264—1265 |
| 8239. निवेली लिग्नाइट परियोजना | Neyveli Lignite Project .. | 1265 |
| 8240. रेलवे द्वारा मध्य भारत से दिल्ली तक सामान लाने में विलम्ब | Delay in Railway Transits from Central India to Delhi .. | 1265—1266 |
| 8241. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | UNCTAD-II .. | 1266 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 8242. पटसन उद्योग | Jute Industry .. | 1266—1267 |
| 8243. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | UNCTAD-II .. | 1267 |
| 8244. केला तथा फल विकास निगम | Banana and Fruit Development Corporation .. | 1268 |
| 8245. पश्चिम रेलवे की 19 डाउन और 20 अप गाड़ियों में शयन डिब्बे | Sleeper Coaches for 19 Down and 20 UP Trains of Western Railway .. | 1268 |
| 8246. हैदराबाद में शराब का कारखाना | Wine Factory at Hyderabad .. | 1268 |
| 8247. उदयपुर में फास्फेट राक के निक्षेप | Phosphate Rock Deposits in Udaipur .. | 1269 |
| 8248. फरक्का पुल पर रेल की लाइन | Railway Line over Farrakka Bridge .. | 1269 |
| 8249. दिल्ली में ग्रामीण तेल संघ | Gramin Tel Sangh in Delhi .. | 1269—1270 |
| 8250. उत्तर रेलवे मुख्यालय में 'नान डेसीमल' टिकटों का प्रयोग | Use of Non-decimal stamps in Northern Railway Head quarters .. | 1270 |
| 8251. जूतों का निर्यात | Export of Shoes .. | 1270—1271 |
| 8252. उत्तर प्रदेश में आयात लाइसेंसों का दिया जाना | Issue of Import Licences in U. P. | 1271 |
| 8253. बम्बई की रिटेल ग्रेन डीलर्स कोआपरेटिव सोसाइटी को आयात लाइसेंस | Import Licence to Retail Grain Dealers Co-operative Society, Bombay .. | 1271 |
| 8254. कैपेसीटरों का निर्माण | Manufacture of Capacitors .. | 1271 |
| 8255. कैपेसीटरों का निर्माण | Manufacture of Capacitors .. | 1272—1273 |
| 8256. साम्यवादी देशों को औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात | Export of Industrial Goods to Communist Countries .. | 1273 |
| 8257. कच्चे ऊन का आयात | Import of Raw Wool .. | 1273—1274 |
| 8258. तार उद्योग | Cable Industry .. | 1274—1275 |
| 8259. 4 अप तथा 3 डाउन आसाम मेल से यात्रा करने पर प्रतिबन्ध | Restriction to travel by 4 UP and 3 Down Assam Mail .. | 1275 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 8260. पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था | Electrification of Stations on North Eastern Railway | .. 1275—1276 |
| 8261. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | UNCTAD-II | .. 1276 |
| 8262. खुरदा रोड डिवीजन में भोजन व्यवस्था यूनिट | Catering Units in Khurda Road Division | .. 1276—1277 |
| 8263. दक्षिण पूर्व रेलवे में खुरदा रोड डिवीजन में स्थानीय लोगों की नियुक्ति | Recuritment of Local Men in Khurda Road Division (S. E. Rly.) | .. 1277 |
| 8264. कन्टेनराइज्ड फ्रेट सर्विस | Containerised Freight Service | .. 1277—1278 |
| 8265. रूरकेला इस्पात कारखाना | Rourkela Steel Plant | .. 1278 |
| 8266. कोटा डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर लगाये गये विज्ञापन बोर्ड | Advertisement Boards Displayed at Railway Stations of Kota Division | .. 1278 |
| 8267. राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य | Prices of Goods imported by S. T. C. | .. 1278—1279 |
| 8268. धातु तथा खनिज व्यापार निगम | Metals and Minerals Trading Corporation | .. 1279 |
| 8269. सेन्ट्रल बैंकों के गर्वनरों की वाशिंगटन में बैठक | Meeting of Governors of Central Banks in Washington | .. 1279—1280 |
| 8270. भिलाई इस्पात कारखाने की लौह अयस्क-खानें | Iron Ore Mines of Bhilai Steel Plant | .. 1280 |
| 8271. लौह और मैंगनीज अयस्कों पर निर्यात शुल्क | Export Duty on Iron and Manganese Ores | .. 1280 |
| 8272. मैसर्स वल्लभ एण्ड अग्रवाल लेबर कान्ट्रेक्टर, कलकत्ता | M/s. Ballabh and Agarwal Labour Contractor, Calcutta | .. 1280—1281 |
| 8273. पार्सलों को ढोने आदि का ठेका | Contract for Handling Parcels | .. 1281 |
| 8274. तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड | Tungabhadra Steel Products Ltd. | .. 1281—1282 |
| 8275. अफगानिस्तान के साथ व्यापार | Trade with Afghanistan | .. 1282 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 8276. जोझरिया और लांघनाज के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना | Derailment between Jojharia and Langhnaj .. | 1282—1283 |
| 8277. स्कूटर, कार और ट्रैक्टरों का आयात | Import of Scooters, Cars and Tractors .. | 1283 |
| 8278. जवाहरातों तथा हीरों का निर्यात | Export of Jewels and Diamonds | 1283 |
| 8279. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल | Heavy Electricals Ltd., Bhopal | 1284 |
| 8280. रेलवे मंत्रालय की एक जीप में शराब का पकड़ा जाना | Recovery of Liquor from a jeep of Ministry of Railways | 1284 |
| 8282. उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग | Heavy Industries in Uttar Pradesh | 1284 |
| 8283. बम्बई के एक चलचित्र अभिनेता द्वारा स्टेनलेस स्टील का आयात | Import of Stainless Steel by Bombay Film Star | 1285 |
| 8284. एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड | Asiatic Oxygen and Acetylene Co. Ltd., | 1285 |
| 8285. ईस्टर्न इंडिया सर्विसेज एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड | Eastern India Services and Marketing Co. Ltd. .. | 1285—1286 |
| 8286. राज्य व्यापार निगम द्वारा दालों का निर्यात | Export of Pulses by S. T. C. .. | 1286—1287 |
| 8287. गाड़ियों पर नियंत्रण के स्वचालित तरीकों का आद्य-रूप | Prototypes of Automatic Train Control Devices .. | 1287 |
| 8288. बांदा जंकशन में प्लेटफार्म और उपरि-पुल का निर्माण | Construction of Platform and Over-Bridge on Banda Junction | 1287—1288 |
| 8289. पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में उद्योगों की स्थापना | Setting up of Industries in Bankura District in West Bengal | 1288 |
| 8290. औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय के सेवानिवृत्ति अधिकारी | Retired Officers of the Ministry of I. D. & C. A. .. | 1288—1289 |
| 8291. इस्पात उद्योग का विकास | Development of Steel Industry .. | 1289 |
| 8292. बन्द सूती कपड़ा मिल | Closed Textile Mills .. | 1289 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 8293. नई दिल्ली में प्रगति की झांकी प्रदर्शनी | Panorama of Progress Exhibition in New Delhi .. | 1289—1290 |
| 8294. बैड फोर्ड की बसें | Bedford Buses .. | 1290 |
| 8295. गुजरात में सीमेंट के कारखाने | Cement Plants in Gujarat .. | 1290—1291 |
| 8296. अप्रयुक्त लाइसेंस | Unused Licences | 1291 |
| 8297. त्रिपुरा में रेलवे लाइन | Railway Line in Tripura .. | 1291—1292 |
| 8298. त्रिपुरा में छोटे पैमाने के उद्योग | Small Scale Industries in Tripura .. | 1292—1293 |
| 8299. आयात लाइसेंस जारी करना | Issue of Import Licences .. | 1293 |
| 8300. मेसर्स प्रैस्टोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड | M/s. Prestolite of India Ltd. .. | 1293—1294 |
| 8301. दक्षिण में उद्योग स्थापित करना | Establishment of Industries in the South .. | 1294 |
| 8302. पटना-गया यात्री गाड़ी | Patna-Gaya Passenger Train .. | 1294—1295 |
| 8303. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर | Indian Iron and Steel Co. Burnpur .. | 1295 |
| 8304. राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन | Reorganisation of State Trading Copora-tion .. | 1295—1296 |
| 8305. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपकरण | Industrial Undertakings in U. P. .. | 1296 |
| 8307. पशुओं का आयात | Import of Animals .. | 1296 |
| 8308. गुड़ियों का निर्यात | Exports of Dolls .. | 1296—1297 |
| 8309. पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध | Trade Relations with Pakistan .. | 1297 |
| 8310. बिहार तथा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को कोयले का आवंटन | Allotment of Coal to Sugar Mills in Bihar and Uttar Pradesh .. | 1297 |
| 8311. सीमेंट कारखानों के लिये निर्धारित धारण मूल्य | Retention Prices fixed for Cement Factories | 1298 |
| 8312. सहकारी क्षेत्र की सूती कपड़ा मिलें | Textile Mills in Co-operative Sector .. | 1298 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 8313. | खानों के मुहानों पर कोयले के स्टाकों का जमा हो जाना | Pit-head Stocks of Coal .. | 1298—1299 |
| 8314. | राष्ट्रीय राजपथ संख्या 3 में रेल फाटकों पर पुल | Bridges on Railway Crossings on National Highway No. 3 .. | 1299 |
| 8315. | त्रिवेन्द्रम में मीटर गेज कोच फैक्ट्री | Metregauge Coach Factory in Trivandrum .. | 1299—1300 |
| 8316. | तिरुवल्ला रेलवे स्टेशन | Thiruvalla Railway Station | 1300 |
| 8317. | क्विलोन से एर्णाकुलम तक रेलवे लाइन | Railway Line from Quillon to Ernakulam .. | 1300 |
| 8318. | त्रिवेद्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन | Trivandrum-Kanyakumari Railway Line .. | 1300 |
| 8319. | दिल्ली डिवीजन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति | Promotion of Class IV Employees of Delhi Division .. | 1301 |
| 8320. | अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा नियमानुसार काम करने की धमकी | Work-to-Rule Threat by All-India Station Masters' Association | 1301 |
| 8321. | भारतीय रेलों के विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी की सरकार से ऋण | Loan from Federal Republic of Germany for Development of India Railways .. | 1301—1302 |
| 8322. | आयात नीति | Import Policy .. | 1302 |
| 8323. | सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण | Modernisation of Textile Industry | 1303 |
| 8324. | भारतीय रेलवे की लोको-यांत्रिक कर्मचारी संघ की बैठक | Meeting of Indian Railway Loco Mechanical Staff Association | 1303 |
| 8325. | यलविगी रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में आहत हुए तथा मारे गये व्यक्तियों के लिये अनुग्रहपूर्वक दी गई धनराशि | Ex-gratia Amount to injured and deceased passengers in accident at Yalvigi Station .. | 1303—1304 |
| 8326. | नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के डिवीजनल लेखा कार्यालय में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के लेखा क्लर्कों के निवास-स्थानों पर छापा | Raid on residences of Accounts Clerks Grade I in D. A. O. Northern Railway, New Delhi .. | 1304—1305 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 8327. उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के टाइपिस्ट | Typists of Delhi Division of Northern Railway .. | 1305 |
| 8328. यमुना पुल, दिल्ली के निकट देहरादून-बम्बई सेन्ट्रल ऐक्सप्रेस गाड़ी का रोका जाना | Detention of Dehra Dun—Bombay Central Express near Yamuna Bridge, Delhi .. | 1305—1306 |
| 8329. भारत में विदेशी मिलकियत वाली चाय कम्पनियां | Foreign-owned Tea Companies in India .. | 1306 |
| 8330. हथकरघे से बने कपड़े का निर्यात | Export of Handloom Cloth .. | 1306—1307 |
| 8331. त्रैमासिक सीजन टिकट वालों को रियायत | Concession to quarterly Season Ticket Holders .. | 1307 |
| 8332. औद्योगिक लाइसेंसों को देने के बारे में डा० हजारी का प्रतिवेदन | Dr. Hazari's Report on Industrial Licensing .. | 1307—1308 |
| दिनांक 2-4-68 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6077 के उत्तर में शुद्धि | Correction of Answer to USQ. No. 6077 Dt. 2-4-68 .. | 1309 |
| विशेषाधिकार प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में | Re. Privilege Motions and Calling Attention Notices .. | 1309 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table .. | 1309—1310 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति | Committee on Absence of Members from Sittings of the House .. | 1310 |
| कार्यवाही सारांश | Minutes .. | 1310 |
| प्राक्कलन समिति— | Estimates Committee— | |
| सेंतालीसवां प्रतिवेदन | Fourty-seventh Report .. | 1311 |
| सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति | Leave of Absence from the sittings of the House .. | 1311 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings— | |
| तेरहवां प्रतिवेदन | Thirteenth Report .. | 1311 |
| सामान्य, आयव्ययक, 1968-69— | General Budget 1968-69— | |
| अनुदानों की मांगें | Demands for Grants .. | 1311—1362 |
| पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय | Ministry of Tourism and Civil Aviation | 1311—1337 |

| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| श्री गाडिलिंगन गौड | Shri Gadilingana Gowd | .. | 1312—1313 |
| श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panigrahi | .. | 1313 |
| श्री बाबूराव पटेल | Shri Baburao Patel | .. | 1314 |
| श्री न० कु० सांघी | Shri N. K. Sanghi | .. | 1314—1315 |
| श्री कण्डप्पन | Shri S. Kandappan | .. | 1316 |
| श्री अ० श्री० कस्तूरे | Shri A. S. Kasture | | 1317 |
| श्री मेघचन्द्र | Shri M. Meghachandra | .. | 1325—1326 |
| श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह | Shrimati Jahanara Jaipal Singh | .. | 1326—1327 |
| श्री गयूर अली खां | Shri Ghayoor Ali Khan | .. | 1327—1328 |
| श्री नम्बियार | Shri Nambiar | .. | 1328—1329 |
| श्री ओंकार लाल बोहरा | Shri Onkar Lal Bohra | .. | 1329 |
| श्री एस० एम० कृष्ण | Shri S. M. Krishna | .. | 1329—1330 |
| श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा | Shri Inder J. Malhotra | .. | 1330—1331 |
| श्री लोबो प्रभु | Shri Lobo Prabhu | .. | 1331—1332 |
| श्री वीरभद्र सिंह | Shri Virbhadra Singh | | 1332 |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री | Shri Prakash Vir Shastri | .. | 1332—1333 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri | | 1333 |
| डा० कर्णसिंह | Dr. Karan Singh | .. | 1333—1337 |
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय | Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation | .. | 1338 |
| श्री कृ० मा० कौशिक | Shri K. M. Koushik | .. | 1338—1340 |
| डा० मेलकोटे | Dr. Melkote | .. | 1340—1341 |
| श्री हुकमचन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai | .. | 1341—1342 |
| श्री काशी नाथ पाण्डेय | Shri Kashi Nath Pandey | .. | 1342—1343 |
| श्री नी० श्रीकान्तन नायर | Shri N. Sreekantan Nair | .. | 1351—1352 |
| श्री कृष्णमूर्ति | Shri V. Krishnamoorthi | .. | 1352—1355 |
| श्री दा० रा० चह्वाण | Shri D. R. Chavan | .. | 1353—1354 |
| श्री अदिचन | Shri P. C. Adichan | .. | 1354—1355 |
| श्री गंगा रेड्डी | Shri Ganga Reddy | .. | 1355 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| श्री देवेन सेन | Shri Deven Sen | .. 1355—1356 |
| श्री मेहता | Shri P. M. Mehta | .. 1356 |
| डा० मैत्रेयी बसु | Dr. Maitreyee Basu | .. 1356—1357 |
| श्री बे० कृ० दासचौधरी | Shri B. K. Daschowdhury | 1357 |
| श्री देवराव पाटिल | Shri Deorao Patil | .. 1357—1358 |
| श्री हाथी | Shri Hathi | .. 1358—1362 |
| सभा का कार्य | Business of the House | .. 1344 |
| कार्य मंत्रणा समिति— | Business Advisory Committee— | |
| अठ्ठारहवां प्रतिवेदन | Eighteenth Report | 1353 |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

**मंगलवार**, 23 **अप्रैल**, 1968/3 **वैशाख**, 1890 (**शक**)
*Tuesday, April 23, 1968/Vaisakha 3, 1890 (Saka)*

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### रूसी आयोजन प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यात्रा

*1377. **श्री दीवीकन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने तथा भारतीय आयोजकों को परामर्श देने के लिए एक रूसी आयोजन प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्योरा क्या है तथा बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) तथा (ख). गोस्प्लान के उपाध्यक्ष परमश्रेष्ठ श्री ए० एम० जारस्की के नेतृत्व में एक सोवियत प्रतिनिधिमण्डल जिसमें वैदेशिक व्यापार तथा वित्त मंत्रालयों, और राज्य समितियों के सदस्य और अन्य तकनीकी प्रमुख शामिल हैं, 26-3-1968 से भारत में आया हुआ है। इस प्रतिनिधिमण्डल का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य व्यापारिक विनिमय और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना है। अपनी यात्रा की अवधि में इस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने अपने भारतीय समकक्षों से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का स्वरूप खोजपरक ही है और दोनों सरकारों को, अंतिम निर्णय किये जाने से पूर्व, एक दूसरे से प्राप्त हुई आधार-सामग्री का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा।

**श्री दीवीकन** : प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्री दिनेश सिंह** : जैसा मैंने पहले बताया, इस प्रतिनिधिमण्डल के मुख्य उद्देश्य ये हैं— हमारा आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सोवियत संघ को हमारे निर्यात में वृद्धि की सम्भावनाओं की खोज करना और वहां से भारत को निर्यात बढ़ाना। सोवियत संघ अपनी आगामी योजना आरम्भ करने जा रहा है और हम भी अपनी योजना पर विचार कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि आर्थिक सहयोग को कैसे और कहां तक बढ़ाया जा सकता है ?

**Shri Rabi Ray:** I want to know whether in the matter of exports, India Stands to gain more from the Soviet Union as compared to other democratic countries?

**Shri Dinesh Singh:** Exports are naturally profitable.

**श्री सुपकार** : हाल ही के एक समाचार के अनुसार भारत सोवियत संघ को रेल-डिब्बे बेचकर बदले में रूसी विमान खरीदेगा। तो, क्या यह सौदा भी इस प्रतिनिधिमण्डल के विचाराधीन आयेगा ?

**श्री दिनेश सिंह** : रेल-डिब्बे की बिक्री का विमानों की खरीद से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने रूस से एक समझौता किया है जिसके अनुसार 1969 से हम रेल-डिब्बे रूस भेजने लगेंगे तथा 1975 तक हमारा विचार 10000 माल डिब्बे वहां भेजने का है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि इस समय रूस के साथ हमारा व्यापार हमारे लिये अधिक लाभदायक है। अतः रूस चाहता है कि जहां भारत रूस से अधिक वस्तुएं खरीदे वहां रूस भी भारत से अधिक वस्तुएं खरीदे। इस पृष्ठ भूमि में विमानों की खरीद भी आ सकती है।

**Shri Deven Sen:** I want to know whether the Soviet Union is ready to import our manufactured articles and what are the commodities which are proposed to be exported?

**Shri Dinesh Singh:** Yes, Sir. Soviet Union makes such Imports from India. Before this, we had concluded an agreement for the export of consumer goods worth Rs. 6 lakhs to them.

**श्री वेदव्रत बरुआ** : कहा जाता है कि सोवियत विशेषज्ञों ने भारत-सोवियत सहयोग से चल रहे कुछ धन्धों के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या हैं ?

**श्री दिनेश सिंह** : सदस्य महोदय पहले आये दो प्रतिनिधिमण्डलों का उल्लेख कर रहे हैं। जिनका मेरे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं था।

**श्री हेम बरुआ** : निर्यात-वृद्धि के अतिरिक्त क्या इस मण्डल ने सरकार को योजनाएं तैयार करने के सम्बन्ध में कोई सलाह दी है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

**श्री दिनेश सिंह** : मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है।

**Shri K. N. Tiwary:** In the light of the press reports to the effect that 140 U. S. firms are going to develop industries in Pakistan, it appears that we are inclined more towards Russia

in the matter of trade development. I want to know whether other ministries also held discussions with this delegation for industrial development as it conceives the Government as a whole?

**Shri Dinesh Singh:** I think there is a mis-apprehension that at the cost of trade relations with other countries, we are desirous of increasing such relations with the Soviet Union. But, this is not so. Regarding import and export of products we held special discussions regarding establishment of a Shoe factory and other Leather goods as also a plant to process fruit-juices. Possibilities of obtaining their collaboration in other spheres have also been explored.

**Shri Maharaj Singh Bharati:** May I know whether the discussions included provisions in Soviet plans of items to be imported by us and similar provision in our plans about goods to be exported by us to the Soviet Union?

**Shri Dinesh Singh:** Yes, Sir.

**Shri Abdul Ghani Dar:** May I know whether the goods exported by us to the Soviet Union fetched prices cheaper than the cost price, more than that or any subsidy or other concession had to be given to producers and whether the goods imported were comparative cheaper for us. I also want to know whether the same quantity of machinery would be imported as is being exported?

**Shri Dinesh Singh:** It is rather difficult to say as to what was the price of goods imported by us from the Soviet Union and whether it was more or less than the international price. But I can say that the importers paid full price for goods imported by them and the exporters also did not sustain any loss in exporting goods to that country.

**Shri Shiv Chandra Jha:** May I know whether the Soviet Delegation has advised that India should synchronise her plans with those of the Soviet Union?

**Shri Dinesh Singh:** I do not know what is meant by synchronisation. We take into account in our plans the commodities which can be of utility to the Soviet Union to the maximum and they on their part take into account the commodities which can be imported for India to the maximum. This is what was discussed.

**श्री लोबो प्रभु :** इस वर्ष प्रस्तुत की गई प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि हमने अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक औद्योगिक क्षमता बना ली है और यह कि परियोजनाएं स्वीकार करने से पूर्व हमने अपने उत्पादन का मूल्यांकन नहीं किया और विश्वव्यापी टेंडर प्रणाली त्याग कर हमने मशीनरी और उत्पादन का तुलनात्मक मूल्यांकन भी नहीं किया है। तो क्या रूसी सहयोग के मामले में ऐसा किया गया है ?

**श्री दिनेश सिंह :** अभी तक हम इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं।

**श्री समर गुह :** क्या भारतीय इन्जीनियरी वस्तुओं की खरीद के बदले रूस सरकार ने भारत पर किसी विमान खरीदने के लिए दबाव डाला है ?

**श्री दिनेश सिंह :** पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि दबाव का कोई प्रश्न नहीं है। रूस के साथ हमारा व्यापार संतुलित है। जो वस्तुएं हम उन्हें बेचते हैं उनके बदले में

हमें भी उनसे कुछ वस्तुएं खरीदनी होंगी । इस प्रकार हमें एक उचित संतुलन बनाये रखना होगा ।

**श्री समर गुह** : क्या रूसी विमानों की बिक्री का भी कोई प्रश्न उठा था ?

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

## इलायची की खेती

*1378. **श्री श्रीधरन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने इलायची की खेती के विकास के लिये एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने योजना की स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-992/68**]

(ग) तथा (घ). इलायची बोर्ड द्वारा भेजी गई पांच योजनाओं में से तीन को सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है तथा बाकी दो विचाराधीन हैं ।

**श्री श्रीधरन** : इलायची हमारे देश की परम्परागत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से एक है । इस समय 1,60,000 एकड़ भूमि में इलायची की खेती होती है और 1963-64 में 319.98 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई । योजना के अनुसार विद्यमान इलायची बागान को पुनर्जीवन दिया जायेगा किन्तु यदि अधिक भूमि पर इलायची का उत्पादन किया जाये तो निर्यात दुगना हो सकता है । क्या सरकार इस दिशा में विचार करेगी और एक इलायची बागान निगम की स्थापना करेगी ?

**श्री दिनेश सिंह** : मेरे विचार में क्षेत्र बढ़ाने की अपेक्षा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना अधिक लाभदायक होगा । क्षेत्रफल तो बढ़ता ही जा रहा है । 1961-62 में 55,848 हेक्टेयरों से बढ़ कर 1965-66 में 73,102 हेक्टेयर हो गया है, जबकि उत्पादन 1961-62 में 3,205 से घटकर 1966 में 2,700 हो गया है । इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं और हम इनपर विचार कर रहे हैं ।

**श्री श्रीधरन** : मुझे हर्ष है कि मंत्रालय ने अन्ततः इस ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया है क्योंकि इलायची बोर्ड ने काफी पहले इस ओर ध्यान दिलाया था । उनके द्वारा दिये गये

सुझावों में मुख्यत: 'काहे' बीमारी दूर करना है जो इलायची की फसल चट कर जाती है। सरकार का विचार पांच वर्ष में 25,000 एकड़ खेती से इस रोग को दूर करना है परन्तु क्योंकि यह रोग काफी भयंकर है इसलिये क्या सरकार इसे विस्तृत ढंग से और बड़े पैमाने पर दूर करेगी ?

**श्री दिनेश सिंह** : हमारा प्रयत्न तो यही है। इसमें बहुत धन खर्च होता है इसलिए जहां साधन उपलब्ध हैं वहीं प्रयत्न किये जाते हैं। हां, हम अपने प्रयत्नों का क्षेत्र बढ़ाते चले जायेंगे।

**श्री लकप्पा** : विवरण में बताया गया है कि 24,000 एकड़ भूमि के बागानों में ही स्वस्थ बीजों से नए पौधे लगाए जाएंगे। मैसूर, मद्रास तथा केरल में कितनी भूमि में इलायची की खेती होती है, मैं इसका पृथक-पृथक क्षेत्रफल जानना चाहता हूं। क्या इलायची का उत्पादन बढ़ाने के बारे में केन्द्र ने इन राज्यों के सुझावों पर विचार किया है। राज्यों द्वारा दिये गये सुझाव क्या हैं ?

**श्री दिनेश सिंह** : हम चाहते हैं कि योजना केरल में 12,000 एकड़ भूमि में और 12,000 एकड़ भूमि में मद्रास तथा मैसूर दोनों में लागू की जाये।

**श्री लकप्पा** : क्या बोर्ड को राज्यों की सिफारिशें मिल गई हैं और क्या बोर्ड ने इन्हीं सिफारिशों के अनुसार अपने सुझाव दिये हैं ?

**श्री दिनेश सिंह** : मुझे यह तो निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि बोर्ड को राज्य सरकारों ने क्या-क्या सुझाव दिये हैं। हम तो बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री कण्डप्पन** : क्या समाचार-पत्रों में छपे यह समाचार सच हैं कि तमिलनाड की कोली पहाड़ियों में कुछ इलायची बागान लगाए जाएंगे ताकि श्री लंका से आए भारतीयों का पुनर्वास किया जा सके ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय लिया है ?

दूसरे, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ की ओर से मांग की गई थी कि उनके प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में स्थान मिलना चाहिए। क्या सरकार ने यह मांग स्वीकार कर ली है ?

**श्री दिनेश सिंह** : पुनर्वास योजना के बारे में इस समय तो हमारे पास कोई योजना नहीं है। इस संबंध में संबंधित राज्य से पूछना होगा।

उत्पादकों और व्यापारियों की मांग के बारे में बोर्ड के पुनर्गठन के समय विचार किया जायेगा।

**श्री श्रीकान्तन नायर** : क्या 22.5 लाख रुपये की रोग मुक्ति योजना जिसका उल्लेख विवरण में किया गया है ऋण के रूप में खर्च किया जायेगा अथवा अनुदान के रूप में ?

**श्री दिनेश सिंह** : जी नहीं। एक योजना होगी जिसे चाहे बोर्ड क्रियान्वित करे चाहे राज्य सरकारें। इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

## आयातित अखबारी कागज का मूल्य

*1380. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले अखबारी कागज का मूल्य करार के अनुसार निर्धारित किया जाता है अथवा घटता बढ़ता रहता है ;

(ख) यदि यह मूल्य करार के अनुसार निर्धारित किया जाता है तो क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष का मूल्य निर्धारित किया जाता है ; और

(ग) यदि अखबारी कागज अनुमोदित तथा पंजीकृत आयात अभिकर्ताओं के माध्यम से खरीदा जाये तो क्या अखबारी कागज के मूल्यों में अन्य प्रासंगिक मूल्यों के अलावा कोई अन्तर होता है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) आयातित अखबारी कागज का मूल्य करार के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(ख) अखबारी कागज का मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा संभरण करने वाले विभिन्न देशों के साथ तय किया जाता है। तय किये गये मूल्य करार की अवधि में समान रूप से लागू होते हैं।

(ग) जब पंजीकृत आयातकों द्वारा राज्य व्यापार निगम के करारों पर अखबारी कागज का आयात किया जाता है तो उसके आधार मूल्य में कोई अन्तर नहीं होता।

**श्री कृ० मा० कौशिक** : क्योंकि लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति सीधे अथवा आयातकर्ता एजेंटों द्वारा माल मंगा सकते हैं। क्या इन एजेंटों को राज्य व्यापार निगम द्वारा निश्चित दरों से अधिक दरों पर वसूलियां करने की छूट है ?

**श्री दिनेश सिंह** : निगम ने क्या प्रबन्ध कर रखा है यह तो उनसे पूछ कर ही बताया जा सकता है किन्तु जहां तक मुझे याद है उन्हें निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही माल बेचना चाहिए।

**श्री कृ० मा० कौशिक** : मैंने पूछा था कि क्या लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को मूल दस्तावेज देखने का अधिकार है ताकि वह जांच कर सके कि उससे अधिक मूल्य तो वसूल नहीं किया गया ?

**श्री दिनेश सिंह** : मुझे पहले इसकी जांच करनी पड़ेगी।

**श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या यह सच है कि मंत्रालय और आयात तथा निर्यात व्यापार के मुख्य नियंत्रक के पास इस आशय की कई शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री दिनेश सिंह** : मैं इसकी पहले जांच करूंगा ।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आयात नियंत्रण आदेशों के अनुसार आयात तथा निर्यात व्यापार के मुख्य नियंत्रण को आयात की जाने वाली वस्तु का 'सी आई एफ' मूल्य अंकित करना होता है जो राज्य व्यापार निगम के साथ हुए करार में उल्लिखित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है ? क्या उन्हें यह भी पता है कि आयात लाइसेंस के इस मूल्य के अधिक लिखे जाने के कारण अब तक कुल आयातित माल पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है जिसमें मुख्य नियंत्रण का भी हाथ है ?

**श्री दिनेश सिंह** : इस प्रश्न का आधार यह धारणा है कि इन दो मूल्यों में अन्तर है । इसकी पहले जांच कर लेने दीजिये ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee**: May I know whether any proposal to increase the import of newsprint is under Government's consideration so that scarcity might be removed and it should not sell in black market ?

**Shri Dinesh Singh**: I shall, first, have to consult my friend, the Minister of Information and Broadcasting as rules in this regard are framed by his Ministry.

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : यह देखा गया है कि अखबारी कागज जिस मूल्य पर आयात किया जाता उससे कहीं अधिक मूल्य पर बेचा जाता है चाहे राज्य व्यापार निगम द्वारा अथवा आयातकर्ता एजेंटों द्वारा । मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जायेगा जिससे सम्पूर्ण देश में यह मूल्य समान रूप से स्थिर किया जा सके ?

**श्री दिनेश सिंह** : ऐसा प्रयत्न रक्षित भंडार बना कर किया गया है ताकि मूल्य भी स्थिर हो सके और सप्लाई भी चालू रखी जा सके । मूल्य में अन्तर के बारे में मैं जांच करके कुछ कह सकूंगा ।

**Paper Factory in Nagaland**

*1381. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the action taken by Government in regard to the assistance and permission sought by the Nagaland Government for the setting up of a paper factory in Nagaland ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : नागालैंड सरकार ने राज्य में कागज बनाने की परियोजना की आर्थिक जांच के लिए एक समिति बनाई है जिससे केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी सम्बद्ध हैं । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**Shri Maharaj Singh Bharati**: When I went to Nagaland recently, I was informed by some responsible Ministers there, that they had submitted certain schemes to the Centre for the establishment of paper and Sugar Mills in the state but nothing has been done in this

regard. I, therefore, want to know what is the cause of delay in sanctioning this scheme when bamboo is available there in abundance ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):** The Advisers of the State Government have prepared a Project Report which is being considered by the Central Committee and Nagaland Government's Committee jointly to see where such projects are viable. But one thing has to be noted in this regard. The paper produced in a factory in Nagaland would have to be brought to places like Calcutta for marketing and thus its price would go up considerably. We are trying to set up a paper mill near the consuming sector. The price of this paper is also sufficiently high. Therefore we have to think as to how early a paper mill should be set up there.

**Shri Maharaj Singh Bharati:** I want to know since how long the project has been submitted to the Ministry and whether the Centre has been hesitant to start development schemes in Nagaland because in their opinion it would be of less utility ?

**Shri F. A. Ahmed:** All the aspects have to be taken into account before embarking upon an economic project in Nagaland.

**Shri Maharaj Singh Bharati:** The Hon. Minister should not forget that Nagaland holds strategic position and its development works should be expeditiously completed.

**Shri F. A. Ahmed:** Other assistance like subsidies etc. can be granted to Nagaland but no economic unit can be started without taking all factors into account.

**Shri Chandrajit Yadav:** Whether Government would consider the feasibility of establishing paper mills in other states like U. P. also where raw materials are available in view of scarcity of newsprint ?

**Shri F. A. Ahmed:** We have delicenced paper mills etc. from 1966. The question is that in the Public Sector or under the corporation which we have set up such mills should be brought up where paper and newsprint can be manufactured. After the completion of the plan which we are making it will be considered that how many mills can be set up and where these can be set up in the plan and under the corporation. This demand is from all the states. All these things will be looked into.

**Shri Gunanand Thakur:** Mr. Speaker, it has been the policy of the Government to show its inability to establish paper industry even in those areas where all means and all facilities are available. When we ask the Government about it they answer that they can consider if there is a proposal from the State Government. When the industry is set up and much capital is invested then the State Governments request the Central Government for giving the protection and taking over those industries but the Central Government refuse to accept. I can cite an example—there is no paper mill in Bihar, specially in North Bihar which is a very backward area. I would like to know from the Hon. Minister whether the Government are going to take over the Ashoka Paper Mill in Darbhanga district of North Bihar, because the Bihar Government have made recommendations for it ?

**Mr. Speaker:** He will not answer to it because we are discussing the question relating to Nagaland and he is asking about Bihar ?

**Shri Gunanand Thakur:** Mr. Speaker, I am not asking any administrative question but it is a very important question because there is no paper industry in our State... ..

**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस समय मैं आपको अनुमति दे दूं तो प्रत्येक सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में प्रश्न पूछना आरम्भ कर देगा। यह प्रश्न बिहार से सम्बन्धित नहीं है। मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि मैं उनको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बिहार के बारे में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

**Shri Gunanand Thakur:** We bring this question here again and again but the Hon. Minister always evaded it.

**Shri O. P. Tyagi:** Mr. Speaker, the Government have accepted that in Nagaland the raw-material for making paper is in plently. The position of Nagaland is very strange in India. It is the most backward state with regard to industry. I would like to know from the Government whether they will consider to set up a paper mill there keeping in view the necessities of Nagaland and the Eastern area and the industrial development of Nagaland so that it could become a centre of supply to Eastern area?

**Shri F. A. Ahmed:** All these things are being looked into. Therefore we have appointed a committee to look into the project report. We will take action after the report of the committee is received.

**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि नागालैंड में सही अर्थों में कोई आधुनिक उद्योग नहीं है, वहां कागज के कारखानों के निर्माण के लिये पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है, तथा मंत्री महोदय द्वारा वहां कागज के कारखाने को स्थापित करने से इन्कार करने के कारण वहां के मुख्य मंत्री द्वारा इस बात के लिए नाराजी प्रकट करना आदि ऐसी बातों के कागज के कारखाने के पक्ष में होते हुए भी और सरकार के ऐसे रुख अपनाने के कारण देशभक्त नागाओं में जो असंतोष फैल रहा है उसे देखते हुए सरकार नागालैंड की ऐसी उचित मांग की उपेक्षा करने की कोशिश क्यों कर रही है ?

**Shri Gunanand Thakur:** Mr. Speaker, I rise on a point of order.

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

**श्री फख्रुद्दीन अली अहमद** : माननीय सदस्य का प्रश्न अनुमानों पर आधारित है।

**श्री हेम बरुआ** : यह अनुमानों पर आधारित नहीं है बल्कि ये सब तथ्य हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सच है कि नागालैंड में कोई बड़ा उद्योग नहीं है।

**श्री हेम बरुआ** : यह भी सत्य है कि मुख्य मंत्री महोदय सरकार के रुख से दुःखी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस बात की मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री फख्रुद्दीन अली अहमद** : ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि भारत सरकार ने नागालैंड में कागज का कारखाना स्थापित न करने का निर्णय किया है, उन्होंने अपने परामर्शदाताओं द्वारा

तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन हमें दिए हैं और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम किस सीमा तक इस मांग को पूरा कर सकते हैं ।

**श्री हेम बरुआ** : यह स्वीकृति के लिए विचाराधीन है अथवा अस्वीकृति के लिए ?

**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी बात सम्भव हो सकती है ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : हम दो वर्षों से योजना को स्थगित किये हुये हैं और चौथी पंच-वर्षीय योजना की आरम्भिक अवस्था में कठिनाइयां आने लगी हैं । मैं जानता हूं कि नागालैण्ड के आर्थिक विकास के लिए इस योजना-स्थगन-काल में कितना धन व्यय किया गया है तथा जब से नागालैंड बना है तबसे इसके आर्थिक विकास पर कितना धन व्यय किया गया है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं बाद में दिए जा सकते हैं ।

**Shri Shinkre** : Mr. Speaker, Nagaland has made a demand for the establishment of a paper mill. I would like to know from the Hon. Minister whether the raw-material for paper is available in Nagaland ; whether the Central Government have made any survey in this respect ?

**Shri F. A. Ahmed** : Only the availability of raw-material is not sufficient for estabilishing a paper mill. Raw-material is certainly available there.

**Microwave Towers for Railways Communication Service at Gorakhpur**

*1384. **Shri Hardayal Devgun :** **Shri P. L. Barupal :**
**Shri Ram Charan :** **Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) the name of the party to whom the contract for erecting Microwave towers for Railway Communication Service at Gorakhpur in Uttar Pradesh has been awarded ;

(b) whether it is a fact that the said party has never undertaken such works of erecting towers so far and is inexperienced in this field ;

(c) whether it is also a fact that the Officers who helped in giving the said contract have been promoted ; and

(d) the value of contract ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष)** : (क) मेसर्स एस०ए०ए० एस० इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) जी नहीं । फर्म को इस तरह के काम का पहले से अनुभव है, अर्थात् इसने कलकत्ता क्षेत्र में डाक तार विभाग की माइक्रोवेव प्रणाली के लिये मेसर्स निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी, जापान से प्राप्त माइक्रोवेव टायरों को तैयार करने, उनकी नींव डालने, उन्हें खड़ा करने और उनकी जांच करने का काम किया है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) ठेके की कीमत 14,28,000 रुपये है।

**Shri Hardayal Devgun :** Mr. Speaker, Ministry of Railways has created a confusion. I, with your permission, want to ask from the Hon. Minister of Railways whether it is a fact that SAAS Engineering works Limited and SA \S Towers Private Limited are one and the same company. Their offices are at one place that is at 9, water Loo street, Calcutta and the Managing Director is Shri B. C. Guha who is the brother-in-law of Shri Parimal Ghosh and he has no factory of his own and the towers which he is erecting are made by another company at another place, namely at M/s. Associated S. Y. Private Limited, Baranagar, Calcutta. He has given sub-contract to them and the officials of D G S & D go there for inspection, I would like to know whether this company has been given the contract because the Minister is related to him ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक प्रश्न के रूप में होना चाहिए कि :

"What is the relations"

**Shri Hardayal Devgun :** Well, has the Minister got any relation with him and their company has no experience in this line ?

**श्री परिमल घोष :** मैं कम्पनी के निर्माण के बारे में और इसके निदेशकों के नाम के बारे में नहीं जानता। यह टेंडर वर्ष 1966 में जारी किया गया था।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** The Hon. Minister is giving absolutely a wrong statement.

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। आपने आरोप लगाया है। आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आप आरोप नहीं लगा सकते और आपको उनकी बात सुननी चाहिए। जब आपने उन पर आरोप लगाया है तो उनको अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

**श्री परिमल घोष :** यह टेंडर उत्तर-पूर्वी रेलवे में बहु-सरणि (मल्टी चैनल) सूक्ष्म तरंग प्रणाली की स्थापना के लिए 1966 में जारी किया गया था। उस समय 10 या 15 टेन्डर थे। उनमें से 3 टेंडर सब प्रकार से पूर्ण थे। इन टेंडरों की जांच अधिकारियों की एक समिति के द्वारा की गयी जिसमें उत्तर-पूर्वीय रेलवे के मुख्य दूर संचार इंजीनियर (चीफ टेलीकाम इन्जीनियर) तथा वित्तीय परामर्शदाता भी शामिल थे। उनकी सिफारिशें मुख्य प्रबन्धक ने स्वीकार कर ली हैं।

कागजातों से जहां तक मैं पता लगा सका विशेषरूप से इस फर्म को निप्पन इन्जीनियरिंग कम्पनी से इस प्रकार के काम का अनुभव प्राप्त है जिसने डाक और तार विभाग के लिए कलकत्ता में एक ऐसी ही सूक्ष्म तरंग प्रणाली (माइक्रोवेव प्रणाली) को कार्यान्वित किया है। यह टेंडर तकनीकीतौर से सबसे कम का था इसलिए इस प्रकार के काम में उनके अनुभव को देख कर यह ठेका उनको दिया गया।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या यह मूल्य में भी सबसे कम था ?

**श्री परिमल घोष :** जी हां ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह भिन्न प्रश्न है । जब माननीय सदस्य को अवसर प्राप्त हो वे इसे पूछ सकते हैं ।

**Shri Hardayal Devgun :** My question was whether the Managing Director of the company which has been given the contract is Shri B. C. Guha that is the brother-in-law of Shri Parimal Ghosh ? Secondly, whether he has got his own factory to do this work and Thirdly, whether it is a fact that the towers which are being erected are fabricated and galvanised at another place on sub-contract and D G S & D; Government of India are doing inspection work there ? Can you deny from all these three things ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** यह बहुत अनुचित है कि इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यारोप लगाये जाते हैं । माननीय सदस्य के दिमाग से इस प्रकार के संदेह दूर हो जाने चाहिए क्योंकि यह टेंडर वर्ष 1966 में जारी किया गया था जबकि शायद श्री परिमल घोष चुनाव लड़ने की बात भी नहीं सोच रहे थे । चुनावों से पहले ही सब कुछ तय हो गया था और इस-लिये अब इस विशेष बात की कोई सुसंगतता नहीं है । उस समय महत्व की बात थी टेंडरों की प्रतियोगात्मकता तथा उन फर्मों के कार्य को कार्यान्वित करने की क्षमता । ये दो बातें थीं जिनका टेंडर समिति के आगे महत्व था । इसकी पूरी तरह जांच की गयी तथा टेंडर को अन्तिम रूप दिया गया । मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र इस स्तर पर ऐसी बातें करना कैसे उचित समझते हैं ।

**Shri Hardayal Devgun :** Mr. Speaker, I have asked whether he owns factory, whether he is getting his work done on sub-contract at another place ? If it is a fact then what right he had got to give the contract to them, why it was not taken back from them and cancelled ?

**अध्यक्ष महोदय :** चाहे यह सच है या नहीं, माननीय मंत्री ने कहा है कि इसे 1966 में दिया गया था जबकि श्री परिमल घोष मंत्री नहीं बने थे ।

**श्री हरदयाल देवगुण :** मैं सहमत हूं । मेरा प्रश्न भिन्न है । मैं जानना चाहता हूं कि यह कम्पनी वर्तमान स्थिति में इस करार को पूरा करने में सक्षम है अथवा नहीं, और क्या यह सच है कि वे उप-ठेके (उप-संविदा) के आधार पर दूसरी कम्पनी से काम करवा रहे हैं ?

**श्री चे० मु० पुनाचा :** यह निर्माण का कार्य है । मैं नहीं जानता कि किस सीमा तक सहायक उद्योगों को क्रयादेश दिये जाते हैं । ऐसा नहीं है कि सारा काम मुख्य ठेका लेने वाला ही करेगा । सहायक तथा अधीनस्थ उद्योग भी हैं । किस सीमा तक सहायक उद्योगों को क्रयादेश दिये जाते हैं इस बात की इस समय मुझे जानकारी नहीं है । मैं उनकी जांच करूंगा और इन बातों का पता लगाऊंगा, यह है कि काम आरम्भ हो गया है और लगभग आठ महीने में यह

कार्य पूर्ण हो जायेगा । उनकी कार्य करने की सक्षमता का पूरा मूल्यांकन कर लिया गया है तथा इस प्रकार की उनकी क्षमता संतोषजनक सिद्ध हुई है ।

**Shri Molahu Prasad :** I would like to know how he was given tender for microwave towers for Railway communication Service at Gorakhpur because he has no registered factory and it is the policy of the Govenment to give the tender only to those who have registerd company ?

My second question is that what amount has been spent so far and what amount will be spent for the erection of the complete tower ?

**चे० मु० पुनाचा :** यह कम्पनी रजिस्टर्ड है और पिछले कई वर्षों से ऐसे ठेके लेती रही है । टेंडर का कुल मूल्य 14,28,000 रुपये है । इसका भी उल्लेख किया जा चुका है । निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य के ब्योरे की जांच मुझे अवश्य करनी पड़ेगी । लेकिन मुझे विश्वास दिलाया गया है कि काम कार्य-सूची के अनुसार चल रहा है ।

**श्री द्वा० ना० तिवारी :** श्रीमन् इसमें कई बाहरी तत्त्व भी आ गये हैं, इस विषय में जिस प्रश्न से हम सम्बन्धित हैं वह यह है कि सार्वजनिक टेंडर (ओपन टेंडर) मांगे गये थे अथवा ऐसा कोई करार किया गया था जो बातचीत पर तय हुआ हो, और क्या सीमित टेंडर मांगे गये थे तथा क्या उल्लिखित दरें सबसे कम थीं ?

**(श्री चे० मु० पुनाचा) :** श्रीमन् सार्वजनिक टेंडर (ओपन टेंडर) मांगे गये थे, कई पार्टियों ने इसमें भाग लिया तथा अन्त में छः टेंडरों को प्राप्त हुए सारे टेंडरों में से विचारार्थ छांट लिया गया । उनमें से भी जहां तक संक्षमता और प्रतियोगिता का सम्बन्ध है तीन को चुना गया । उनमें से एक फर्म ने 16,35,000 रुपये उधृत किये इस फर्म ने 14,28,000 रुपये किये तथा तीसरी फर्म ने 14,42,000 रुपये, इसी फर्म का टेंडर सबसे कम मूल्य का था और इसको स्वीकार किया गया । इसके लिए बातचीत पर कोई करार तय नहीं किया गया ।

**श्री दत्तात्रेय कुण्टे :** यदि मैं गल्ती पर हूं तो सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक (डी०जी० एस० डी०) नियम के अनुसार उन फर्मों को ठेका नहीं देता जो रजिस्टर्ड नहीं हैं । यह यहां तक कि रजिस्टर्ड फर्मों के विषय में भी उनकी सम्पन्नता तथा अन्य बातों के बारे में पूछताछ करता है, उनके आय-कर भुगतान तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में भी पूछताछ की जाती है । मैं जानना चाहता हूं क्या इस फर्म के सम्बन्ध में भी ऐसी सम्पूर्ण पूछताछ या जांच की गयी थी ?

**(श्री चे० मु० पुनाचा):** यह ऐसा निर्माण कार्य है जो कि सम्भरण तथा निपटान महा-निदेशक के कार्य क्षेत्र में नहीं आता जो सरकार को कुछ निर्मित मदों की सप्लाई के लिए दर-ठेके (दर-संविदा) करता है । यह काम की अलग कोटि है ।

**श्री दत्तात्रेय कुण्टे :** ये नियम वहां लागू नहीं होते ।

**श्री चे० मु० पुनाचा :** यह एक दूसरी तरह का ठेका है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** May I know whether it is a fact that when the Shri Parimal Ghosh had lost in elections, he was the director of Censor Paper Mill, SAAS Tower Private Limited, Himalyan Paper Broad Mills Private Limited, Himalyas Paper Machinery Private Limited and when he won the election, his brother-in-law became the managing director of the two companies and in the remaining two companies, his wife became the director ? I have papers with me in this connection and all these facts have been mentioned in the paper 'Eves' weekly.

**श्री क० ना० तिवारी :** श्रीमन् वे क्या कह रहे थे, उनकी पत्नी क्या कर थी, क्या इन बातों की यहां कोई संगत है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यदि कुछ आरोप लगाए जायें और उनका मंत्री महोदय उत्तर न दें तो यह खराब बात होगी । इसीलिये मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं । मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने का मौका देना चाहता हूं । वे सिद्ध कर सकते हैं कि यह ठेका उनके मंत्री या सदस्य बनने से पहले दिया गया था । किन्तु यदि आरोपों पर आपत्ति न की गई तो ऐसा समझा जायेगा कि कुछ गड़बड़ है । इसीलिये मैं उन्हें मौका देना चाहता हूं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** As I said Shri Parimal Ghosh was the director of four companies before elections and after his election, his son-in- law has become the director of two companies and his wife has become the director of the two other companeis and the officer who had helped in giving this contract, got the promotion as he had helped in getting the order. I would like to know whether it is a fact that the Hon'ble Minister had put pressure on one of these companies which is a Japanese firm and through his Ministry got this order placed with his brother-in-law, Shri B. C. Guha, who is the managing director of the SAAS Tower Private Limited.

**श्री परिमल घोष :** माननीय सदस्य ने कई कम्पनियों का जिक्र किया है जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है । फिर उन्होंने दो कम्पनियों अर्थात् हिमालय पेपर और बोर्ड मिल्स तथा हिमालय पेपर तथा मशीनरी का भी जिक्र किया है । मैं इन कम्पनियों का डायरेक्टर ही नहीं बल्कि इन कम्पनियों का अकेला स्वामी था । किन्तु चुनाव लड़ने से पहले मैंने इन दोनों कम्पनियों की डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था और अब मेरा लड़का और मेरी पत्नी इन कम्पनियों को संभाले हुए हैं । इन दोनों कम्पनियों का सरकार के किसी काम से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** It has become clear from the answer given by the Minister that his wife and his son are running those two Companies. But he has mentioned about two Companies only and not about the other two Companies ..... **(Interruptions)**

**श्री परिमल घोष :** इन दो कम्पनियों के अलावा उनके पास सरकार का खासकर रेलवे का कोई काम या ठेका नहीं है । सांसर कम्पनी और अन्यों के बारे में जिनका उन्होंने जिक्र किया, उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है । मैं नहीं जानता कि इन कम्पनियों के डायरेक्टर कौन हैं और उनके रजिस्टर्ड आफिस कहां-कहां हैं आदि (**व्यवधान**) ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** He knows everything but he is deliberately saying wrong things.

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइये । नियम बहुत स्पष्ट है । कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मान-हानिकारक बात नहीं कह सकता । उसे इसके लिये अध्यक्ष को पूर्व सूचना देनी चाहिये ताकि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये जांच कर सकें । अध्यक्ष के प्रति शिष्टता बरती जानी चाहिये और ऐसी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ताकि वह मंत्री को उत्तर के लिये तैयार होकर जाने के लिये कह सकें । नियम एकदम स्पष्ट है । जब कोई गड़बड़ हो जाये तो विपक्षी दलों का यह कर्त्तव्य है इस गड़बड़ी की ओर सभा का तथा देश का ध्यान आकर्षित करें । उनके इस अधिकार को मैं स्वीकार करता हूं । किन्तु नियमों का पालन करके अध्यक्ष के प्रति शिष्टता बरती जानी चाहिये वर्ना मेरे लिये काम करना मुश्किल हो जायेगा ।

**Hindi Teleprinters**

*1385. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to meet the requirements of the Hindi teleprinters and typewriters ;

(b) the progress made in this regard so far ; and

(c) the time by which the target in respect of meeting the requirements of the whole country would be achieved ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :** (क) से (ग) . जहां तक हिन्दी टेलीप्रिंटरों का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास ने जो कि एक सरकारी उपक्रम है, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दी टेलीप्रिंटरों के निर्माण का काम अपने हाथ में ले लिया है । उन्होंने इटली के सहयोगियों से हिन्दी टेलीप्रिंटरों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी तथा कलपुर्जे प्राप्त करने के लिए एक करार किया है और इनके मई, 1968 तक भारत पहुंच जाने की आशा है । उत्पादन जुलाई, 1968 तक प्रारम्भ होगा । 1968-69 में 800 मशीनों की अनुमानित मांग कम्पनी द्वारा पूरी की जायगी । भविष्य में टेलीप्रिंटरों की होने वाली मांग का अनुमान इस अवस्था में लगाना सम्भव नहीं है ।

जहां तक हिन्दी टाइपराइटरों का सम्बन्ध है सरकारी दफ्तरों में आगामी पांच वर्षों में 17,000 टाइपराइटरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है । दो फर्म इस समय इनका उत्पादन कर रही हैं, और 1967 में हिन्दी टाइपराइटरों का कुल उत्पादन 5003 हुआ है । देश में हिन्दी टाइपराइटरों की कुल आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया गया है और इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

**Shri Y. S. Kushwah :** I would like to know the percentage of the tools of the telepriters that would be imported from abroad and also the percentage of the tools that would be manufactured indigenously and by when we would be able to meet out requirements of know-how and tooling indigenously and by when we would be self-sufficient in this regard ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)** : The Hon'ble Member might to be aware that this Company was started in 1960 and since 1961 we have been manufacturing teleprinters in the English language. Previously we used to import component parts from aboad and used to assemble them here. Even for Hindi teleprinters we used to import component parts from abroad and used to assemble them here. In the beginning we had to import Hindi teleprinters also but according to our present programme, we would be able to get tooling and know-how by the month of May and we would take in hand the assembling of the component parts of the teleprinters by the month of July. This year we need 800 teleprinters and we would be able to meet this demand of ours indigenously.

**Shri Y. S. Kushwah** : May I know the amount of foreign exchange being spent on the import of teleprinters and typewriters and also the amount of foreign exchange India would be able to save, after becoming self-reliant in this regard ?

**Shri Fakhruddin Ali Ahmed** : I cannot give these figures just now but we would be able to manufacture almost everything that we require and we would also be able to assemble teleprinters here.

**Shri N. K. Somani** : So far as the production and the prices of teleprinters of Hindi and other Indian languages are concerned, the production in our country is very low and their delivery is much more and, therefore, a good deal of difficulty is experienced in their use. May I know whether Government would give any subsidy in circuit rentals and the prices with a view to giving encouragement to Hindi and other Indian languages ?

**Shri Fakhruddin Ali Ahmed** : This question does not arise in so far as our production of teleprinters in public undertakings are concerned but we are prepared to start work in other languages also as and when such a necessity arises.

**The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh)** : The price of English teleprinters has been reduced by Rs. 1000/- and this reduction would also be effected as far as the teleprinters of Hindi and other Indian languages are concerned.

**श्री विश्वनाथन** : क्या सरकार अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं के टेलीप्रिंटरों की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करती है । और यदि हां तो अन्य भाषाओं में टेलीप्रिंटर बनाने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि वे इसे सिद्धांत रूप से स्वीकार नहीं करते तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : हमारा उद्देश्य प्रत्येक भाषा में टेलीप्रिंटर बनाने का है । किन्तु अभी हम हिन्दी टेलीप्रिंटरों की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । यदि दूसरी भाषाओं के टेलीप्रिंटरों की भी मांग हुई तो हमें उनके पुर्जों को आयात करके यहां उन्हें भी बनाना होगा । जैसे मांग बढ़ेगी उसी के अनुसार हम इसका उत्पादन भी शुरू कर देंगे ।

**Shri Shiv Narain** : May I know by when we would be able to produce teleprinters of Hindi and Urdu ?

**Shri Fakhruddin Ali Ahmed :** About Hindi, I have already said that in 1968 we would manufacture as many teleprinters as we require and about the teleprinters of other languages, we would see how early we would be able to manufacture them.

**Shri Prakash Vir Shastri :** Has the Commerce Ministry or Communications Ministry ever assessed the demand for Hindi teleprinters ? The Hon'ble Minister has said that the Government would produce 800 teleprinters each year. May know whether Government would manufacture Hindi as well as English teleprinters in equal proportions ? If not, then why do'nt the Government stop the production of English Teleprinters which they have been doing for the last twenty years and start the production of the teleprinters of Hindi and other Indian languages ? May I know how would the production of teleprinters compare with their demands ?

**Shri Fakhruddin Ali Ahmed :** So far there is a demand for 800 teleprinters only and we would meet this demand this year. I have written to sub-agencies about the requirement of the teleprinters. We would manufacture as many Hindi teleprinters as we need this year.

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## छोटे पैमाने के उद्योगों को करों में राहत

*1379. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति में यह व्यवस्था है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को करों में राहत दी जाये जिससे वह बड़े पैमाने के निर्माताओं की तुलना में अपना विकास उचित रूप से कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो 'क्राउन कार्क' उद्योग को अब तक ऐसी राहत क्यों नहीं दी गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) कुछ लघु उद्योगों का समुचित विकास करने के लिये जिससे उन्हें बड़े उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता मिल सके, कुछ उद्योग विशेष रूप से उनके लिये नियत कर दिये गये हैं । कार्क निर्माण इन्हीं उद्योगों में से एक है ।

(ख) 15 अप्रैल, 1968 को लोक-सभा में उप-प्रधान मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 7146 के दिये गए उत्तर में आगे कुछ और नहीं बताना है ।

## खादी रेशम उद्योग

*1382. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि सरकार ने 1 अप्रैल, 1968 से खादी रेशम उत्पादों के उत्पादन तथा परचून

बिक्री पर राजसहायता बन्द कर देने का निर्णय किया तो क्या पश्चिम बंगाल में रेशम खादी उद्योग में काम कर रहे लगभग दो लाख दस्तकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनके हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) यह राजसहायता विभिन्न संस्थानों को पूंजी निर्माण के हेतु दी जाती थी और दस्तकारों को नहीं पहुंचती थी, अतः इसके बन्द किये जाने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषदें

*1383. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता सम्बन्धी द्विदिवसीय गोष्ठी की ओर दिलाया गया है जो 19 मार्च, 1968 को नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस गोष्ठी में एक यह मुख्य सुझाव दिया गया था कि सभी औद्योगिक देशों के लिये व्यापक रूप से राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषदों और क्षेत्रीय संघों का गठन किया जाये; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उस गोष्ठी में कौन से अन्य सुझाव दिये गये थे ताकि देश में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हो सके ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). गोष्ठी का आयोजन भारतीय विवाचन परिषद् द्वारा किया गया था। गोष्ठी की कार्यवाही का विवरण अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय विवाचन परिषद् से प्राप्त होने पर गोष्ठी में दिये गये सुझावों और की गई टिप्पणियों पर विचार किया जायेगा।

## राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की एक कोयला खान में आग लगना

*1386. **श्री देवेन सेन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की एक कोयला खान में आग लग गई थी और यह आग हजारी बाग स्थित करगली नामक कोयला साफ करने वाले कारखाने से केवल 100 गज की दूरी पर थी; और

(ख) यदि हां, तो इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) करगली धावनशाला के रद्द माल के, जिनका करगली कोयला खान की 3 नम्बर की खदान के निश्शेषित

भाग में खत्ता लगाया गया था, एक छोटे से टुकड़े में आग लगने का पता चला। उस टुकड़े को उत्खनित किया गया और माल वहां से हटा दिया गया परंतु बाद में रद्द माल के खत्ते में से कई स्थानों से धुआं निकलने लगा और यह पाया गया कि आग ढेर में काफी गहरी पहुंच चुकी थी और स्वतः स्फूर्त तापन से उत्पन्न हुई थी।

(ख) आग को विच्छिन्न करने और वर्तमान में तथा भविष्य में इसके कोयला परत तक फैलने को रोकने के लिये कार्यवाही की गई है। खान सुरक्षा के महानिदेशालय के प्रवर अधिकारियों व अन्य विशेषज्ञों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और वे इस बात में संतुष्ट हैं कि प्रबन्धकों द्वारा उठाये गये कदम पर्याप्त हैं।

**द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन**

*1387. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री टी० पी० शाह :**
**श्री शारदानन्द :** **श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के आयोजन पर सरकार द्वारा कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) 15 अप्रैल, 1968 तक 52.86 लाख रुपये का वास्तविक व्यय खातों में दर्ज किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों को दी गयी 28.5 लाख रुपये की पेशगी भी शामिल है जिसका हिसाब वे हमें देंगे। परन्तु इससे पूरी स्थिति का मान नहीं होता है क्योंकि लेखे अब भी तैयार किये जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों के साथ आवश्यक समंजन करने पड़ेंगे।

(ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के सम्बन्ध में आगन्तुकों से उपार्जित विदेशी मुद्रा का ठीक-ठीक आकलन करना संभव नहीं है।

**सुपर एक्सप्रेस गाड़ियां**

*1388. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य नगरों के बीच निकट भविष्य में सुपर एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ख) क्या इन गाड़ियों का किराया वही रहेगा जो मेल अथवा साधारण एक्सप्रेस गाड़ियों का है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) और (ख). जैसे ही अपेक्षित व्यवस्था से सम्बन्धित काम पूरा हो जायेगा। नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच हफ्ते में दो बार एक तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**तमिलनाड के विधायकों को निःशुल्क रेलवे पास**

*1389. **श्री अम्बचेजियान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाड विधान सभा के सदस्यों को रेलवे के निःशुल्क पास जारी करने के बारे में तमिलनाड सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**हावड़ा तथा अन्य स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों से भरे माल डिब्बों से माल का न उतारा जाना**

*1390. **श्री समर गुह :**

**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मार्च, 1968 को पश्चिमी बंगाल के हावड़ा तथा अन्य स्टेशनों पर मक्का, जौ, दाल सरसों तथा आलू जैसे खाद्य पदार्थों से भरे माल डिब्बों से जान-बूझकर माल नहीं उतारा गया था;

(ख) क्या उन खाद्य पदार्थों को डिब्बों से उतारने में विलम्ब पश्चिम बंगाल के कुछ व्यापारियों के प्रयत्नों के कारण किया गया था जिससे उन वस्तुओं का कृत्रिम अभाव हो जाये और मूल्य बढ़ जाये;

(ग) क्या माल डिब्बों से माल को न उतरना इसलिये सम्भव हो सका था क्योंकि भारतीय रेलवे अधिनियम में कुछ त्रुटि थी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं । इन वस्तुओं से लदे माल डिब्बे 30 मार्च, 1968 को असामान्य रूप से नहीं रुके रहे ।

(ख) से (घ). भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

**सरकारी क्षेत्र के इन्जीनियरी उपक्रमों में मंदी**

*1391. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर

दिलाया है कि मंदी के कारण सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरी परियोजनायें नया सामान बना कर तथा वरीयता के आधार पर एक दूसरे से माल खरीद कर अपनी बेकार क्षमता का उपयोग करने का प्रयत्न कर रही हैं;

(ख) क्या इस विविधीकरण के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक क्षमता बेकार हो रही है और बिना सार्वजनिक टेण्डर मांगे पक्षपात करके अन्य सरकारी उपक्रमों से खरीदारी करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गैर-सरकारी क्षेत्र को अब हो रही कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Unloading of Coal Wagons

*1392. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to decentralise the unloading of coal wagons so that the unloading work is diverted from a congested place like New Delhi Station to Nizam-ud-din and Kishanganj Stations ; and

(b) whether Government propose to divert the said work to Nizam-ud-din Station only ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) No, Sir.

(b) does not arise.

### ट्रांजिस्टरों के सैलों की कमी

*1393. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (1) ट्रांजिस्टरों के सैलों (2) टायरों और (3) घरेलू प्रयोग की इस्पात से बनी वस्तुओं जैसी तैयार वस्तुओं की कमी के कारणों की सरकार ने जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यापारियों ने यह कमी कृत्रिम रूप से पैदा की है अथवा इसका कारण बाजार में मंदी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-993/68**]

**ताप प्रभाव रहित ईंटें तथा ब्लाक**

*1394. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप प्रभाव रहित ईंटों तथा ब्लाक, इस समय भारत में भारतीय तकनीकी जानकारी, देश के अन्दर प्राप्त कच्चे माल तथा देशी उपक्रमियों की सहायता के साथ बन रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो आयात किये जाने वाले कच्चे माल का नाम क्या है और इस समय उनकी स्थानापन्न वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) भारत में कितने सार्थ यह ईंटें तथा ब्लाक बना रहे हैं ;

(घ) क्या भारत इनमें से किसी वस्तु का अब आयात कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस्म तथा मूल्य के मामले में आयातित वस्तुएं कैसी हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) तपी इन्सुलेटिंग ईंटों और चट्टों का कच्चा माल बहुधा तपाई जाने वाली मिट्टी और बेकार अबरक है जो कि देश में ही उपलब्ध है। कच्चे माल का कोई आयात नहीं किया जाता है।

(ग) देश में तपी इन्सुलेटिंग ईंटें तथा चट्टे आठ फर्मों द्वारा बनाये जा रहे हैं।

(घ) इन वस्तुओं का आयात नगण्य है। अप्रैल से सितम्बर, 1967 की अवधि में कुल 14563 रुपये का आयात किया गया था।

(ङ) देश में निर्मित वस्तुएं आयातित वस्तुओं से भलीभांति मुकाबला करती हैं। तपी ईंटों तथा चट्टों की विभिन्न किस्मों के होने के कारण उनके मूल्य की आयातित वस्तुओं से तुलना करना कठिन है।

**थाईलैंड से पटसन का आयात**

*1395. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
**श्री नायनार** :
**श्री वि० कु० मोडक** :
**श्री सत्यनारायण सिंह** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री थाईलैण्ड से पटसन के आयात के बारे में 13 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 और 12 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले पाये गये ;

(ख) केन्द्रीय जांच विभाग ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो देरी के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच विभाग ने मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के न्यायालय, कलकत्ता में 11 अप्रैल, 1968 को निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है :

1. श्री जी० के० एस० नवलखा
2. श्री बी० पी० सराफ
3. श्री के० एल० गोयंका
4. श्री बी० के० गोयंका
5. श्री सी० एल० बाजोरिया
6. श्री एस० एल० बाजोरिया
7. मैसर्स मेक्लोड एण्ड कम्पनी
8. श्री ए० सी० फोर्दरिंघम

**भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा परीक्षा**

*1396. **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० गोपालन :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौकरी में स्थायी बनने के लिये भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा की परीक्षायें पास करने के बाद भी हिन्दी की परीक्षा पास करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह हिन्दी भाषा-भाषी लोगों को सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के विरुद्ध नहीं है ; और

(ग) इस शर्त को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). कई दशकों से यह नियम चला आ रहा है कि न केवल रेलों के बल्कि अन्य सभी केन्द्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के श्रेणी I के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्थायी होने के पूर्व एक भाषा-परीक्षा पास करनी चाहिये। 1951 से यह विभागीय भाषा-परीक्षा हिन्दी में होती है। इस परीक्षा का स्तर मिडिल स्कूल (प्रवीण स्तर) के समतुल्य है। उपर्युक्त व्यवस्था में कोई नयी बात नहीं की गयी है और इसलिये इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं आश्वासनों के पालन न करने का सवाल नहीं उठता।

## सलाहकार समितियों और बोर्डों के सदस्य

*1397. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे किन्हीं संगठनों के नाम क्या-क्या हैं, उनके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक का क्या-क्या काम है ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड के कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं तथा कितने अधिकारी हैं ; और

(ग) 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय किया गया था ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित बोर्डों तथा अधिकांश महत्वपूर्ण सलाहकार निकायों के ब्योरे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा यगा। देखिये संख्या एल० टी-994/68**] शेष निकायों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## इटली को इंजीनियरी की वस्तुओं का निर्यात

*1398. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली में भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं की बिक्री के लिये अच्छा बाजार है ;

(ख) क्या सरकार ने उस देश को भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इटली के बाजार में किस प्रकार की भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं की मांग है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी हाल में भारतीय व्यापारियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल इटली के बाजारों का पता लगाने तथा सम्पर्क स्थापित करने के लिए इटली गया था। इस प्रतिनिधि-मण्डल में इंजीनियरी क्षेत्र के चार सदस्य थे। प्रतिनिधिमण्डल को ज्ञात हुआ है कि अन्य वस्तुओं के साथ-साथ वहां छुरी कांटे आदि, सूखी बैटरियों तथा बिजली से पालिस की हुई निकल सिलवर की वस्तुओं जैसी कुछ मदों, जिनका अभी हाल में निर्यात किया गया है, के अतिरिक्त लोहे एवं इस्पात की मदों तथा मोटर गाड़ियों के पालतू पुर्जों के निर्यात की भी संभाव्यताएं हैं।

## माईनिंग एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, दुर्गापुर

*1399. **श्री रमानी :** **श्री भगवान दास :**
**श्री पी० राममूर्ति :** **श्री गणेश घोष :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माईनिंग एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, दुर्गापुर के शिक्षु इंजीनियरिंग असिस्टेंटों की सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से शिक्षु इंजीनियरिंग असिस्टेंटों को मार्च, 1968 में सेवा मुक्ति के आदेश दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने शिक्षुओं को सेवा मुक्ति के आदेश दिये गये थे ; और

(घ) क्या इन लोगों के लिये किन्हीं वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) शिक्षु इंजीनियरी सहायकों के लिये जारी किये जाने वाले नियुक्ति-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है, जिसमें सेवा की शर्तें दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-995/68]**

(ख) और (ग). मार्च, 1968 में 55 शिक्षु इंजीनियरी सहायकों को सेवा से हटाये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

(घ) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० में उन्हें वैकल्पिक नौकरी देना सम्भव नहीं है क्योंकि उनके उपयुक्त स्थान इस समय खाली नहीं है किन्तु उन लोगों की एक सूची विस्तृत जानकारी सहित तैयार कर ली गई है और वह सरकारी उपक्रमों, विभागों आदि को इस आशय से भेजी गई है जिससे उन संगठनों के प्रशिक्षित इंजीनियरों को उन संगठनों में रिक्त स्थानों पर लगाये जाने के बारे में जानकारी दी जा सके।

## Managing Agency Systems

*1400. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bill to abolish Managing Agency System has been prepared in pursuance of the assurance given by Government during discussion on a similar Private Member's Bill on the subject in the last Session ; and

(b) if so, when this Bill is likely to be introduced ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) and (b). Sir, Government intends to introduce a Bill in this regard in the current session of the Parliament.

**Export of Machineries and Equipment**

*1401. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had sought the assistance of West German Government for the export of machines and equipment produced by the industries set up with the collaboration of West Germany ;

(b) if so, the reaction of West German Government thereto ; and

(c) the type of assistance likely to be received from West Germany ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) to (c). An agreement was signed between the Governments of India and the Federal Republic of Germany in New Delhi on 14th December 1967 providing for technical assistance from that country in promoting exports of Indian engineering goods to West European countries including Germany. The scheme is popularly called "Vollrath Plan" after the name of its author. A copy of the Agreement which gives details of the scheme has already been placed in the Parliament Library,

**कारों का निर्माण तथा संसद् सदस्यों को आवंटन**

*1402 **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सयय प्रत्येक वर्ष कितनी फिएट तथा अम्बेसडर कारों का निर्माण होता है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार कितनी फिएट तथा अम्बेसडर कारें बनी थीं ; और

(ग) क्या संसद् सदस्यों को जिन्हें अपने बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है दो वर्ष की अवधि के पश्चात् ये कारें दिए जाने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों में एम्बेसडर और फिएट का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :

| | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (जनवरी से मार्च) | |
| एम्बेसडर | 8621 | 15351 | 15558 | 19469 | 20515 | 7313 |
| फिएट | 3750 | 3867 | 5673 | 7030 | 10055 | 3089 |

(ग) जी, नहीं ।

**हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम**

*1403. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने फ्रांस के डिजाइन तैयार करने वाले

'पाइरे कार्डिन' पर कितनी धनराशि व्यय की थी जो भारतीय कपड़ों से पोशाकों के डिजाइन तैयार करने के लिये निगम के अतिथि के रूप में फरवरी, 1968 में विमान से दिल्ली आये थे ;

(ख) उनको अब तक कितना कमीशन दिया गया है ;

(ग) क्या फ्रांस अथवा किसी अन्य देश के डिजाइन तैयार करने वाले कुछ और व्यक्तियों को यह काम सौंपा जा रहा है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) इस काम को भारतीय डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्तियों को न सौंपे जाने के क्या कारण थे ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) 14,250.00 रुपये ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) निगम इस समय कुछ विशेष प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(घ) पश्चिमी रुचि के अनुकूल फैशनों के डिजाइन तैयार करने की कला का विकास अभी भारत में नहीं हुआ और उसके लिये कुछ विदेशी डिजाइनरों के पास जो व्यवस्था है वह यहां अभी नहीं है ।

## भागलपुर में रेशम कारखाना

*1404. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर (बिहार) में जापानी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में रेशम का एक कारखाना लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, विशेषतः सहयोग की शर्तें क्या हैं और उस पर यदि कोई विदेशी मुद्रा खर्च होगी तो कितनी ; और

(ग) देश में रेशम का वार्षिक उत्पादन कुल कितना है और उसकी देश में तथा बाहर कितनी मांग है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). बिहार सरकार का भागलपुर में 3000 तकुओं वाली कते हुए रेशम की मिल स्थापित करने का विचार है । जापान से मशीनों के आयात के लिये लगभग 63.09 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई है । राज्य सरकार का लगभग 4.13 लाख रुपये के खर्चे पर एक जापानी परामर्शदाता अभियन्ता और एक सहायक परामर्शदाता अभियन्ता की 2 साल के लिये तथा तीन अधिष्ठापक अभियन्ताओं की 3 महीने के लिये सेवाएं प्राप्त करने का भी विचार है ।

1965-67 के तीन साल का कच्चे रेशम का औसत वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है– शहतूती कच्चा रेशम 15.99 लाख कि० ग्रा०, गैर-सहतूती कच्चा रेशम 5.27 लाख कि० ग्रा०

और कता हुआ रेशमी धागा 0.58 लाख कि० ग्रा०। कपड़े के निर्यात तथा स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हुए कच्चे रेशम की आन्तरिक मांग का अनुमान 23.5 लाख कि० ग्रा० तथा कते हुए रेशमी धागे की मांग 1 लाख कि० ग्रा० है। इस समय भारत केवल आयात्तक है और इसलिए कच्चे रेशम तथा/या कते हुए रेशमी धागे का निर्यात नहीं किया जाता।

**ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन**

*1405. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन को अपने अधिकार में लेने के लिए अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या वित्तीय घाटा होने का एक मुख्य कारण उच्चाधिकारियों की संख्या अधिक होना है ;

(घ) यदि हां, तो पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है; और

(ङ) इस कारखाने के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) नहीं, श्री मान्।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान, 8 दिसम्बर, 1967 को दिये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या 3677-ट के भाग (ग) की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ग) मुख्य कार्यालय तथा शाखाओं के वरिष्ट प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी वर्ग के साथ ही साथ उप-प्रबन्ध निदेशकों, जो 1,000 रुपए तथा अधिक का मूल वेतन ले रहे हों, पर खर्च की गई, लागत का लेखा किया जाय, तो यह लागत 1967 में, कुल वेतन बिलों का लगभग 4.24 प्रतिशत अथवा कुल उत्पादन या विक्रय का लगभग 1.2 प्रतिशत बैठती है।

(घ) 1967 में, 400 रुपये प्रति मास तथा अधिक का मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी-गण, तथा 1,000 रुपये प्रतिमास तथा अधिक का मूल वेतन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ कर्मचारी-गण, का मजदूरी बिल क्रमशः 21.64 तथा 11.97 लाख रुपयों की राशि का था।

(ङ) यह अवबुद्ध है कि प्रबन्ध सम्पूर्ण ऊपरी खर्चों की परीक्षा कर रहा है। जहां तक संभव होगा, फालतू वरिष्ठ कर्मचारी-गण कम किये जायेंगे तथा शेष वरिष्ठ कर्मचारी-गण के खर्च में कटौती की जायेगी। वरिष्ठ कर्मचारी-गण के कुछ सदस्य, पहले ही निगम की सेवाओं से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं।

## इटली को निर्यात में वृद्धि

*1406. **श्री रवि राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 28 मार्च के "पेट्रीआट" में प्रकाशित इटालियन चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रेजीडैन्ट डा० सी० रोसी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत इटली के साथ अपना निर्यात दुगना कर सकता है और भुगतान स्थिति को संतुलित कर सकता है ;

(ख) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि इटली खालें और चमड़ा, लौह अयस्क, माइका, चाय, केला, आम, काजू तथा अन्य वस्तुएं भारत से खरीदने का इच्छुक है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इटली को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सरकार ने साझा बाजार के देशों को, जिनमें इटली भी शामिल है, निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं । पश्चिमी यूरोप में अनेक निर्यात संवर्द्धन कार्यालयों की स्थापना, इटली में सामान्य तथा विशिष्टीकृत मेलों में भाग लेना, केवल भारत से सम्बन्धित समारोहों का आयोजन और द्वियपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताएं करना ताकि इटली बाजार में हमारे माल के प्रवेश के लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो सकें । हाल ही में हमारे कुछ महत्वपूर्ण परम्परागत तथा अपरम्परागत माल के लिये बाजारों का पता लगाने के लिए एक चौदह सदस्यीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल भी इटली गया था ।

सदन को विदित है कि भारत से कच्ची खालों के निर्यात पर रोक है और कच्ची चमड़ियों का निर्यात कोटे के आधार पर विनियमित किया जाता है । यह कार्यवाही चमड़े तथा तैयार चमड़े के माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की हमारी नीति के अनुसार है ।

## प्रीमियर क्रैडिट एण्ड मोटर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड

8124. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रीमियर क्रैडिट एण्ड मोटर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड ने 700 से अधिक धन जमाकर्ताओं को उनकी लगभग 28 लाख रुपये की राशि का धोखा दिया है और अब वह इस राशि को वापिस लौटाने में असमर्थ हैं ;

(ख) भविष्य में ऐसी धोखाघड़ी को रोकने के लिये उस फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी दस बड़ी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार से लोगों का धन जमा करने के आधार पर अपना काम चलाया है तथा प्रत्येक ने कितनी-कितनी राशि जमा की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) श्रीमान् जी, सरकार के पास प्राप्य सूचना के अनुसार लगभग 711 जमाकर्ता हैं, जिनका कम्पनी के पास लगभग 28 लाख रुपया जमा किया गया मालूम होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी ने सम्पूर्ण जमा को वापिस करने में कठिनाई का अनुभव किया है अतः उसने प्रतिभूति रहित जमाकर्ताओं से समझौते की योजना सहित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अन्तर्गत एक याचिका दायर कर दी है।

(ख) कम्पनियों द्वारा जनता से जमाओं को प्रतिग्रहण करने के लिये, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकार अथवा कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी दिसम्बर, 1963 में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में 1 लाख रुपयों से अधिक अभिदत्त पूंजी वाली गैर-बैंकिंग कम्पनियों, निगमों तथा फर्मों द्वारा जमा के प्रतिग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिये रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के उपबन्ध जोड़े गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई शक्तियों के अनुसरण में, बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों को उनके पूंजी-विन्यास के असमानुपाती जमा के प्रतिग्रहण पर रोक लगाते हुए व्यापक निर्देशन प्रेषित किये थे। इस कम्पनी के मामले में, जब उच्चन्यायालय से कम्पनी द्वारा दायर की गई धारा 391 के अन्तर्गत याचिका से सम्बन्धित, नोटिश प्राप्त होगा, तो कम्पनी विधि बोर्ड इसके बारे में अपने सम्पूर्ण सम्भव विस्तार से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

| (ग) क्रम-संख्या | कम्पनी का नाम | 31-3-66 तक जमा की गई राशि लाख रुपयों में |
|---|---|---|
| 1. | मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लि० | 2,85.6 |
| 2. | सुन्दरम फाइनेंस लिमिटेड | 1,84.6 |
| 3. | ग्लोब फाइनेंसियर्स (प्रा०) लि० | 1,21.8 |
| 4. | दी इन्सटालमेन्ट सप्लाई (प्रा०) लि० | 70.5 |
| 5. | गुडविल इन्डिया लिमिटेड | 56.4 |
| 6. | ग्रेट फिइनेंस कम्पनी (प्रा०) लि० | 46.6 |
| 7. | प्रीमियर क्रेडिट एण्ड मोटर्स (प्रा०) लि० | 37.5 |
| 8. | फीरोज फाइनेंस (प्रा०) लि० | 36.9 |
| 9. | दिल्ली इन्सटालमेन्ट फाइनेंस एण्ड इनवैस्टमेन्ट (प्रा०) लि० | 35.1 |
| 10. | प्रीस्टाइज फाइनेंस (प्रा०) लि० | 31.2 |

**ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने वाली कम्पनियां**

8125. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय और विदेशी स्वामित्व वाली ग्रामोफोन के रिकार्ड बनाने वाली कितनी कम्पनियां हैं, उनके नाम क्या हैं तथा उनके मालिकों अथवा निदेशकों के नाम क्या हैं तथा उनकी पूंजी विनियोजन, वार्षिक बिक्री, लाभ तथा वेतन-बिल कितना है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी की, देशवार, वार्षिक निर्यात आय कितनी है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी को किन-किन विदेशी उपकरणों के लिये प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है; और

(घ) प्रत्येक विदेशी कम्पनी द्वारा गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी राशि स्वदेश भेजी गई ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) इस समय देश में ग्रामोफोन के रिकार्ड बनाने वाली केवल एक ही कम्पनी है जिसका नाम मेसर्स ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया प्रा० लिमिटेड, कलकत्ता है । विशिष्ट विवरण निम्न प्रकार है :

**निदेशक :**

(1) श्री एच० जे० सिलवरस्टोन, ब्रिटिश (अध्यक्ष)

(2) श्री भास्कर मेनन, भारतीय (उत्पादन निदेशक)

(3) श्री ए० ए० वारेन, ब्रिटिश

(4) श्री जे० जी० स्टेनफोर्ड, ब्रिटिश

**अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी :** 1,50,00,000 रु०
45,00,000 रु०

(सम्पूर्ण पूंजी ग्रामोफोन कं० ब्रिटेन के अधिकार में है)

**रक्षित धन** : 15,98,813 रु० (30 जून, 1967 के सन्तुलन-पत्र के अनुसार) 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ तथा हानि संबंधी लेखा ।

**वार्षिक बिक्री :** 3,38,80,190 रु०

**लाभ :** 13,05,036 रु०

मजदूरी, वेतन तथा बोनस 32,30,231 रु०

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-996/68]**

(ग) मेसर्स ग्रामोफोन कं० आफ इण्डिया (प्रा०) लि०, को 1965-66 तथा 1966-67 की लाइसेंस अवधि में प्रमुख रूप से कच्चे माल का आयात करने के लिये सिफारिश की गई धन-राशि क्रमश: 27,690 रु० तथा 4.54 लाख रु० है ।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

**फिल्म निर्माताओं तथा गायक कलाकारों को दी गई रायल्टी**

8126. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के भारतीय फिल्म रिकार्ड ग्रामोफोन बनाने वाली कम्पनियों द्वारा बेचे गये; और

(ख) उक्त अवधि में फिल्म निर्माताओं तथा गायक कलाकारों को रायल्टी के रूप में कितनी राशि दी गई ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**वाल्टेयर-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी का चालू किया जाना**

8127. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाल्टेयर-नागपुर लाइन पर भारी भीड़ को कम करने के लिये स्थानीय लोगों द्वारा की गई मांग को देखते हुए रायपुर के रास्ते वाल्टेयर-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) यातायात की दृष्टि से इसका कोई औचित्य नहीं है ।

**Writing of Names of Railway Stations in Urdu**

8128. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any orders for not writing the names of Railway Stations in Urdu ;

(b) if not, the reason for not writing the names of railway stations in Urdu in Santhal Pargana, Darbhanga and some other Districts of Bihar ;

(c) whether Government propose to issue general orders in this regard to railway authorities ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) No.

(b) and (c). In regard to the use of script for writing the names of railway stations on station name boards, the instructions to the Railway administrations are to adopt the following policy :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Where Hindi is the regional language | English and Hindi in Devnagri script to be used |
| (ii) | Where Hindi is not the regional language | English, Hindi in Devnagri script and regional language to be used. |

The Railway administrations have instructions to follow this policy rigidly. Use of Urdu script for writing station names is governed by the extant instructions to the Railways.

(d) Does not arise.

**Running of Special Trains on Holidays on Southern and Eastern Railways**

8129. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for running special trains on holidays has been implemented on Southern and Eastern Railways ;

(b) whether it is also proposed to run a new train on holidays between New Delhi and Bombay keeping in view the over-crowding on the Western Railway as well ;

(c) if so, the time by which it would be introduced ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) To the extent necessary and operationally feasible, it is proposed by the Southern and Eastern Railways to run holiday specials on certain days to cater to extra traffic during summer rush/Puja holidays in 1968.

(b) New Delhi-Bombay route is one of those on which such holiday specials are proposed to be run.

(c) The first summer holiday specials will be run on 27-4-68 ex. New Delhi to Bombay Central and on 28-4-68 in the reverse direction.

(c) Does not arise.

**Industrial Survey in Sawai Madhopur and Tonk**

8130. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sometime back, an industrial survey was conducted in Sawai Madhopur and Tonk districts of Rajasthan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the industries which are proposed to be started as a result of the survey ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

**Signal Arrangements at Khandeep Railway Station**

8131. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that signal arrangements at Khandeep Railway Station, Kotah Division are not satisfactory;

(b) whether it is also a fact that there are no arrangements for checking passengers travelling without tickets at the aforesaid station;

(c) if the replies to Part (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons therefor;

(d) when the said arrangements would be made at that station; and

(e) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) No. There are no signals at this station as this is a 'D' Class station.

(b) No. There are arrangements for checking the tickets of passengers at this station.

(c) to (e). Do not arise.

**Production of Salt in Rajasthan**

8132. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the total production of salt in Rajasthan during 1967-68;

(b) whether Government gave any financial assistance to general salt industries in Rajasthan during the above period;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether it is proposed to give such financial assistance in future also?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) 4.09 lakh tonnes.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Recommendations regarding financial assistance made by the Central and Regional Advisory Boards for salt are under examination.

**Ticketless Travel from Hanumangarh to Bhatinda**

8133. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no ticket collector is regularly on duty at the gate of Mandi Dabwali station of the Northern Railway;

(b) whether it is a fact that most of the passengers travel usually without tickets between Hanumangarh Junction and Bhatinda Junction;

(c) whether it is also a fact that the passengers travelling from Hanumangarh Junction to Bhatinda Junction travel without tickets upto Mandi Dabwali and from there they purchase tickets for Bhatinda Junction;

(d) whether it is further a fact that all the employees concerned of the said station are involved in the said malpractice;

(e) the average number of tickets issued to outgoing passengers and of those collected from incoming passengers, daily, at Mandi Dabwali station respectively; and

(f) the action proposed to be taken by Government for checking the said corrupt practice?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) to (d). No.

(e) The daily average number of tickets issued to outgoing passengers .. 1410
The daily average number of tickets collected from incoming passengers .. 1155

(f) This section along with others is being subjected to special checks to curb the evil out of ticketless travel which is experienced through Indian Railways.

## हथकरघा उद्योग को आवंटन

8134. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में तथा 1968-69 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा उद्योग को कितना अनुदान और ऋण दिया गया; और

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इस धनराशि से कितने धन का प्रयोग किया और वह धन किन-किन योजनाओं पर लगाया गया ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०-टी०** 997/68]

## टर्बो-ब्लोअर्स और टर्बो-कम्प्रेसरों का निर्माण

8135. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात मिलों के लिये टर्बो-ब्लोअर्स और टर्बो-कम्प्रेसरों के निर्माण के लिये भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रामचन्द्रपुरम कारखाने में एक संयंत्र लगाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उसकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या यह विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अधिकार दे दिया गया है कि वह निम्नलिखित उपकरणों के उत्पादन के लिए अपने रामचन्द्रपुरम् (हैदराबाद) स्थित भारी विद्युत उपकरण संयंत्र के विस्तार के लिए मेसर्स स्कोडा एक्स्पोर्ट, प्राग से मिलकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करे :

(1) आक्सीजन संयंत्रों तथा इस्पात कारखानों तथा विभिन्न रसायन उद्योगों के लिये, टर्बो-कम्प्रेसरों तथा टर्बो-ब्लोअरों का निर्माण;

(2) एक्सीयल कम्प्रेसर तथा फील्ड पम्पों के लिए भाप के सहायक टर्बाइन;

(3) पावर स्टेशनों के लिए अतिरिक्त फीडवाटर पम्प, कन्डैंसेट पम्प तथा विशिष्ट पम्प।

जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती, उसकी जांच नहीं की जाती और उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता यह बताना सम्भव नहीं होगा कि योजना का रूप क्या होगा।

यदि योजना अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली जाती है तो भारत सरकार को मई, 1964 में दिए गए चैकोस्लोवाकिया के ऋण से कार्यान्वित की जायगी।

**हंगरी के साथ व्यापार समझौता**

8136. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **वाजिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हंगरी से व्यापार समझौता कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). भारत-हंगरी व्यापार तथा भुगतान करार जो 22 नवम्बर, 1963 को हुआ था और वह 1970 के अंत तक वैध है तथा उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

**श्रीलंका को सीमेंट का सप्लाई किया जाना**

8137. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रीलंका को सीमेन्ट सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध

में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). श्रीलंका को सीमेंट सप्लाई करने के सम्बन्ध में भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने मार्च, 1968 में दो संविदाओं पर हस्ताक्षर किए थे। ये संविदाएं 25800 मे० टन सीमेंट की कुल मात्रा के लिए हैं। इन संविदाओं पर लदान निगम की ओर से मेसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

**हांग कांग और थाईलैंड को इस्पात का निर्यात**

8138. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार सदस्यीय भारतीय इस्पात निर्यात संवर्द्धन प्रतिनिधिमण्डल हाल में हांग कांग और थाईलैण्ड गया था;

(ख) भारत ने 1967-68 में हांग कांग और थाईलैण्ड को कितना इस्पात बेचा था तथा उपर्युक्त प्रतिनिधिमण्डल के साथ हुई बातचीत के फलस्वरूप 1968-69 में इस्पात की कितनी बिक्री बढ़ने की सम्भावना है; और

(ग) इन देशों में भारतीय इस्पात की अधिक से अधिक बिक्री हो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 1967-68 में (फरवरी 1968 तक) हांग कांग और थाईलैण्ड को निम्नलिखित मात्रा में लोहा और इस्पात निर्यात किया गया।

| | हांग कांग | थाईलैण्ड |
|---|---|---|
| | टन | टन |
| गोल छड़ | 553 | 45531 |
| ढांचे | 603 | 10206 |
| बिलेट | — | 503 |
| कच्चा लोहा | — | 103 |

इन दोनों देशों में पुनर्बेलन मिलें लगाई गई हैं। ये मिलें तेजी से अपना कारबार बढ़ा रही हैं। इसलिए शीघ्र ही इनकी मांग छड़ों/गोल छड़ों की बजाए बिलेट, वायर राड, विकृत छड़ों और ढांचों की हो जायेगी। वायर राड और बिलेट की सप्लाई के लिए भारतीय सम्भरण-कर्त्ताओं और हांग कांग और थाईलैण्ड में क्रेताओं के बीच बातचीत चल रही है।

## औद्योगिक लाइसेंस देने से सम्बन्धित नीति

8139 **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1968 को मद्रास में हुई भारतीय इंजीनियरी संस्था (दक्षिण क्षेत्र) की चौथी वार्षिक बैठक में इंजीनियरी संस्था, कलकत्ता के अध्यक्ष द्वारा दिये गये उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने का अनुरोध किया है क्योंकि वर्तमान नीति प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बैठक में व्यक्त किये गये विचारों तथा दिये गये सुझावों के अनुसार सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति पर पुनर्विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार को इण्डिया इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता के पास से 15 मार्च, 1968 को मद्रास में इस एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा दिये गए अपने भाषण में उठाई गई बातों के बारे में कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है किन्तु भाषण का समाचार सरकार की जानकारी में आया है।

(ख) और (ग). सरकार समय-समय पर औद्योगिक लाइसेंस कार्यविधि की समीक्षा करती रहती है और कुछ सीमा तक लाइसेंस कार्यविधि पहले से ही सुव्यवस्थित की जा चुकी है तथा भिन्न-भिन्न दिशाओं में उसे उदार भी किया जा चुका है। केवल कुछ ऐसे विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर जिनमें 25 लाख रु० तक की अचल सम्पति लगी है, अन्य सभी औद्योगिक एकक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिए गए हैं। कुछ उद्योग जिनके लिये काफी संख्या में पुर्जों या कच्चे माल के आयात की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अधिनियम के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से बिलकुल ही छूट दे दी गई है। सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में विविधता लाने तथा कुछ शर्तें पूरी कर देने पर पंजीबद्ध/लाइसेंस प्राप्त क्षमता का 25 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा लाइसेंस संबंधी नीति और कार्यविधियों पर भी इस समय पुनर्विचार किया जा रहा है। औद्योगिक लाइसेंस कार्यविधि में और आगे परिवर्तन करने, यदि कोई हुए, के संबंध में निर्णय समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

## अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा दिये गए ऋणों से उपकरणों का आयात

8140. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त हुए ऋणों से

बहुत बड़ी मात्रा में अमरीकी वस्तुएं खरीदी जा रही है यद्यपि देश में ऐसी वस्तुओं के उत्तरोत्तर अधिकाधिक निर्माण के लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या यह आयात देशी उद्योग के हितों के विरुद्ध नहीं होगा; और

(ग) देसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसे आयातों पर पूर्ण प्रतिबन्ध न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) वर्तमान लाइसेंस नीति के अनुसार जो माल देश में ही पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हो उसका सामान्यतः आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है । अमरीकी सहायता के अन्तर्गत आयातों के मामले में कोई भी छूट नहीं दी जाती है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा ट्रैक्टरों का आयात**

8141. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चेकोस्लोवाकिया से जेटर-2011 के 2,000 ट्रैक्टरों का हाल ही में आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या है और चैक फर्म को इंगलैण्ड तथा विश्व के अन्य देशों में विद्यमान लागत बीमा भाड़ा मूल्य जितना ही लागत बीमा भाड़ा मूल्य दिया गया है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित जेटर-2011 ट्रैक्टरों का वितरण सुस्थापित आयातकों द्वारा किया गया था अथवा उन सरकारी संगठनों द्वारा जिनके पास बिल्कुल भी मरम्मत सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि जिन सरकारी संगठनों को ट्रैक्टरों के वितरण तथा मरम्मत के ठेके दिये गये थे उन्होंने स्वयं मरम्मत करने के बजाय मरम्मत के ठेके गैर-सरकारी फर्मों को दे दिये हैं; और

(ङ) इन सरकारी संगठनों को इन ट्रैक्टरों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में कितना कमीशन दिया गया और क्या कुछ अनुभवी तथा सुस्थापित आयातकर्त्ता कम दरों तथा अधिक दक्षता से वितरण का कार्य नहीं कर सकते थे ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हाल ही में राज्य व्यापार निगम ने चैकोस्लोवाकिया से तैयार जेटर-2011 माडल के 1000 ट्रैक्टरों का आयात किया है । इसके अतिरिक्त अर्ध तैयार हालत में 1000 जेटर-2011 ट्रैक्टरों का भी आयात किया जा रहा है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने चैकोस्लोवाकिया के संभरकों के साथ जेटर-2011 माडल के ट्रैक्टरों के लागत तथा भाड़ा आधार पर आयात के लिये संविदा की है। सह साधनों सहित जेटर-2011 माडल के तैयार ट्रैक्टर का लागत भाड़ा सहित मूल्य 10,274 रुपये है और सह साधनों सहित अर्ध तैयार हालत में ट्रैक्टर का मूल्य 9767 रुपये है। राज्य व्यापार निगम बीमे की व्यवस्था भारत में करता है। ब्रिटेन तथा विश्व के अन्य देशों में जेटर ट्रैक्टरों के लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). चैकोस्लोवाकिया से आयात के लिये स्वीकार किये गये 2000 ट्रैक्टरों में से 1000 जेटर-2011 ट्रैक्टरों की पहली किश्त निम्नलिखित विभिन्न राज्य कृषि-उद्योग निगमों के जो कि सरकारी समवाय हैं, माध्यम से वितरण के लिये आवंटित की गयी है।

| | |
|---|---|
| 1. कृषि-उद्योग निगम, बिहार | 300 |
| 2. कृषि-उद्योग निगम, हरयाणा | 200 |
| 3. कृषि-उद्योग निगम, पंजाब | 300 |
| 4. कृषि-उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश | 200 |
| | 1000 |

हाल ही में गठित किये गये ये कृषि-उद्योग निगम इन ट्रैक्टरों के लिये संभाल सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं।

(ङ) लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्यों पर 16-1/2 प्रतिशत कमीशन, जिसमें राज्य व्यापार निगम का 1-1/2 प्रतिशत कमीशन, जिसमें राज्य व्यापार निगम का 1-1/2 प्रतिशत संभाल व्यय शामिल है, दिया जाता है। सरकार का विचार है कि यह व्यवस्था कम खर्चीली और सक्षम होगी।

**मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता**

8142. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेनोमैग ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये मेसर्ज बर्ड एंड कम्पनी, कलकत्ता को आशय-पत्र दे दिया गया है;

(ख) क्या हनोमैग ट्रेक्टर की बनावट को स्वीकृति दे दी है तथा क्या उसको भारतीय स्थितियों के लिये उपयोगी पाया है;

(ग) क्या मेसर्ज बर्ड एंड कम्पनी को बहुत बड़े पैमाने पर कम बीजक दिखाने की कार्यवाही करने के कारण काली सूची में रख दिया गया था और यदि हां, तो क्या वह औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य हैं; और

(घ) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री शचिन्द्र चौधरी, बर्ड समूह की कम्पनियों के निदेशक/परामर्श देने वाले थे तथा अब भी हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) कुछ हेनोमैग ट्रैक्टर देश में चल रहे हैं और उनके काम के बारे में कोई भी विपरीत रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) फर्म को काली सूची में नहीं रखा गया है।

(घ) श्री सचिन्द्र चौधरी उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन, आकलैंड जूट कम्पनी लिमिटेड, कुमारघुबी फाइन कल्ले एण्ड सिलिका वर्क्स लिमिटेड और टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड के निदेशक थे। ये सभी कम्पनियां बर्ड समूह की हैं। उन्होंने निदेशक के पद से 4-1-66 को त्याग-पत्र दे दिया था। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि वह बर्ड समूह की कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी के सलाहकार थे या अब भी हैं।

## सियालदह डिवीजन में वैन्डर केरिंग रेलगाड़ियां

8143. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री भगवान दास :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में 'वैन्डर केरिंग रेलगाड़ियों' की संख्या कितनी है ;

(ख) एक जुलाई, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 की अवधि में शान्तिपुर और सियालदह और कृष्णनगर और सियालदह के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या क्या थी ;

(ग) उनमें से कितनी निरीक्षण कर्मचारी वर्ग के नियमित कार्यक्रम के अनुसार थीं ;

(घ) क्या एस 104 डाउन और 113 अप का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में उनका कितनी बार निरीक्षण किया गया था ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) 330 गाड़ियां।

(ख) सियालदह और शान्तिपुर के बीच प्रत्येक ओर से 8 गाड़ियां और सियालदह और कृष्णनगर सिटी के बीच प्रत्येक ओर से 10 गाड़ियां प्रति दिन।

(ग) जुलाई से दिसम्बर, 1967 की अवधि में प्रत्येक खण्ड में प्रति दिन औसतन 8 गाड़ियों की जांच की गई।

(घ) जी हां।

(ङ) इस अवधि में एस 104 डाउन गाड़ी की पांच बार और एस 113 अप की पांच बार जांच की गयी थी ।

**काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता**

8144. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जनपथ पर स्थित सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के कुछ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर सुपर बाजार भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो एम्पोरियम में उनके वेतन का ब्योरा क्या है और वे किस पद पर थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में बाहर की गैर-सरकारी एजेन्सी से एक व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति किया गया है और उसे प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त प्रति मास 100 रुपए की राशि और दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त भत्ता देने के क्या कारण हैं और उसे क्या काम सौंपा गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-998/68]**

(ग) जी, हां, चूंकि इम्पोरियम के आयोजना तथा संवर्धन विभाग के गवेषणा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये इम्पोरियम में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं था इसलिए इम्पोरियम के एक भूतपूर्व कर्मचारी को, जो इस समय भारतीय सहकारी संघ की सेवा में है, 3 नवम्बर, 1967 को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के तौर पर नियुक्त किया गया ।

(घ) सामान्य प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त, इस अधिकारी को 100 रुपए का भत्ता स्वीकृत किया गया है । ऐसा उनकी योग्यताओं, अनुभव और गवेषणा अधिकारी के तौर पर कार्य के अतिरिक्त घन्टों के आधार पर जो भारतीय सहकारिता संघ में उनके पद के कार्य के समय से अधिक हैं किया गया है ।

उनको सौंपे गये कार्य में मण्डी सर्वेक्षण, मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन, सप्लाई के स्रोतों का पता लगाना, उपभोक्ताओं की मांगों और उनके विचारों, तैयार माल पर अनुसंधान तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का अध्ययन, कीमतों के उतार चढ़ाव और सम्बन्धित समस्याएं शामिल हैं ।

**भारत रूस औद्योगिक तथा व्यापार करार**

8145. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, और 1968-69 की अवधि में पृथक-पृथक भारत-रूस

औद्योगिक तथा व्यापार सौदों के लिए रूस को भारतीय मुद्रा में कुल कितनी राशि मिली अथवा मिलेगी ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : भारत-रूस औद्योगिक तथा व्यापार सोदों के सम्बन्ध में 1964-65 से 1968-69 के वर्षों में रूस को प्रति वर्ष प्राप्त हुई अथवा सम्भवतः प्राप्त होने वाली राशियां नहीं बताई जा सकतीं क्योंकि प्राप्तियों को विभिन्न लेखों में इस प्रकार से अंकित नहीं किया जाता ।

## ड्राई बैटरी सेल

8146. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में ड्राई बैटरी सेलों का निर्माण करने वाले उद्योगों को अधिष्ठापित क्षमता क्या है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन सेलों का कितना निर्माण हुआ है ; और

(ग) बाजार में बैटरी सेलों की कमी के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सूखी बैटरी के निर्माण की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 5840 लाख सेल है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान कारखानों में से एक को अपनी क्षमता का विस्तार 780 लाख सेल तक करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है । इस समय निर्धारित क्षमता 3600 लाख सेल है और 720 लाख सेल की क्षमता कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों में उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :

| | |
|---|---|
| 1963 | 2760.06 लाख संख्या |
| 1964 | 2860.55 लाख संख्या |
| 1965 | 3000.68 लाख संख्या |
| 1966 | 3280.52 लाख संख्या |
| 1967 | 3140.45 लाख संख्या |

(ग) 1967 में सूखी बैटरी बनाने वाले प्रमुख कारखानों में हानि से एक कारखाने में 2 महीने तक हड़ताल के कारण उत्पादन को धक्का पहुंचा जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से कुछ खास किस्म के सेलों की कमी हो गई ।

## Tea Buffet in Parliament House

8147. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tea service of the Tea Buffet in Parliament House, which is being run by the Tea Board, is available for M. Ps. only and not for the employees working there ;

(b) whether it is also a fact that the empty tea boxes are taken away by the Manager and other employees of the said Buffet at the rate of 35 paise per box and sold by them outside at the rate of Rs. 1 or 1.25 per box ;

(c) whether these boxes are shown in Government accounts as sold at the rate of 35 paise per box and they are not given to other persons when asked for by them ; and

(d) if so, the number of tea boxes supplied to the said Tea Buffet during the last two years and the number of empty boxes out of them purchased by employees of the Tea Board and by other persons separately ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)** : (a) No, Sir. But the service from the Tea Buffet to the staff working in Parliament House is subject to the requirements of the Member of Parliament official meetings etc. being given prior attention.

(b) to (d). The empty and broken tea chests are disposed of on the spot at the rate of 55 p. per empty chest and 35 p. per empty small wooden case on a "First come - first served" basis. No detailed account is kept of the persons to whom the empty chests and cases are sold. During the year 1966-67, 377 empties were sold for an amount of Rs. 140.28 p. and during 1967-68, 370 empties were sold for an amount of Rs. 140.25.

## छपाई वाले सफेद कागज का उत्पादन

8148. **श्री लोबो प्रभु :**
**श्री मुहम्मद इमाम :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 20 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छपाई वाले सफेद कागज की उत्पादन क्षमता इस समय कितनी है ; और

(ख) छपाई वाले सफेद कागज का दाम अखबारी कागज की तुलना में प्रतियोगी बनाने के लिये यदि इस समूची क्षमता को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी जाये, तो उससे अखबारी कागज पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) इस समय देश में कागज तथा गत्ते के उत्पादन की कुल क्षमता 7,30,000 मी० टन प्रति वर्ष है। 1967 में कागज तथा गत्ते का कुल उत्पादन लगभग 6,09,000 मी० टन हुआ था। कागज की विभिन्न किस्मों की क्षमता को विभक्त करने की प्रथा नहीं है। फिर भी इस समय सफेद छपाई के कागज का उत्पादन लगभग 1,10,000 मी० टन है।

(ख) सफेद छपाई के कागज का फालतू उत्पादन, जो लगभग 20,000 मी० टन होता है पहले ही समाचार-पत्रों को आवन्टित किया जा रहा है और इस प्रकार आविन्टित मात्रा को उत्पादन-शुल्क की अदायगी से छूट दी जाती है। फिर भी छपाई का सफेद कागज देश में निर्मित अथवा आयातित अखबारी कागज से महंगा पड़ता है। यदि छपाई के सफेद कागज का सम्पूर्ण उत्पादन समाचार-पत्रों को ही दे दिया जाय तो देश में छपाई के सफेद कागज की कमी

हो जायगी। चूंकि यह अखबारी कागज से महंगा होता है इसलिए ऐसा करने से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यय कम होने की अपेक्षा अधिक होगा क्योंकि यह विदेशी मुद्रा के उस व्यय से कहीं अधिक हो जायगा जो कि अखबारी कागज के आयात पर किया जाता है।

**Fruit Preservation Industry in Nagaland**

8149. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the reasons for which the industry for the preservation of fruit, are grown in abundance in Nagaland, has not been established there so far although a decision to this effect was taken last year ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** An industrial Licence has been granted in favour of M/s. Assam Fruit Products for setting up a large scale fruit preservation and canning unit at Shillong which would help utilise the fruits from the neighbouring areas also.

## पूर्व रेलवे में हैड ट्रेन एग्जामिनर, केरिज फोरमैन तथा कैरिज और वैगन इन्स्पेक्टर

8150. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में मुख्यालय द्वारा नियन्त्रित पदों पर काम करने वाले हैड ट्रेन एग्जामिनगर, कैरिज फोरमैन तथा वैगन इन्सपैक्टरों को रिक्त स्थायी पद उपलब्ध होने के बावजूद अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन व्यक्तियों को स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :(क) और (ख). जब कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही थी, तो कुछ कर्मचारियों ने अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया। ज्योंही वरिष्ठता का प्रश्न तय हो जायेगा, उपलब्ध खाली जगहों पर स्थायी करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

## बाक्स टाइप के माल डिब्बों की मरम्मत

8151. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाक्स टाइप के मालडिब्बों के निर्माण के लिए डिजाइन तथा निर्माण के तरीकों में कई परिवर्तनों के बावजूद अब भी कुछ सामान जैसे स्प्रिग हैंगर, ब्रैकटें, बोगियां, फ्रेम, हैड स्टार, बोगी फ्रेम, सोल प्लेटें काम करते-करते बेकार हो जाते हैं ;

(ख) क्या इनकी मरम्मत अन्डाल जैसे यार्ड लाइनों पर कुछ ऐसे कैरिज तथा वैगन डिपुओं में, जहां पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, की जाती हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इन यार्डों में घटिया स्तर की मरम्मत किए जाने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं, चलती गाड़ियों में नहीं, बल्कि कुछ मामलों में ऐसी खराबियां यार्डों में जांच करते समय नोटिस में आती हैं ।

(ख) जी हां, मरम्मत के काम ऐसे बड़े डिब्बों में किये जाते हैं जहां पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था है । यार्ड लाइनों में केवल छोटी-मोटी मरम्मत के काम किये जाते हैं, ताकि माल डिब्बे रुके न रहें ।

(ग) यार्डों में की जाने वाली मरम्मत घाटिया किस्म की नहीं होती ।

**आई० सी० एफ० के डिब्बों की तरह के डिब्बे**

8152. **श्री अ० सिंह सहगल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० सी० एफ० की तरह के कुछ डिब्बों के जो 7 या 8 वर्ष पहले बनाये गये थे फ्लोरिंग, साइड पैनलों तथा अंडरफ्रेमों में जंग लगा पाया गया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण मध्य तथा पूर्वोतर सीमा रेलवे में ऐसे कितने डिब्बे पाये गये ;

(ग) जंग लगे इन डिब्बों की कुल अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो आई० सी० एफ० की तरह के डिब्बों के टफ फ्लोरिंग, टर्नअंडरों की दशा के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) सवारी डिब्बा कारखाने में 7 या उससे अधिक वर्ष पहले बने कुछ डिब्बों में फर्श के हिस्सों के कुछ खण्डों में और किनारों वाले पैनलों के मुड़े भागों में जंग लगा पाया गया है ।

(ख) जिन सवारी डिब्बों में जंग लगा उनकी संख्या इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| पूर्व रेलवे | 145 |
| दक्षिण रेलवे | 193 |
| पश्चिम रेलवे | 122 |
| दक्षिण-पूर्व रेलवे | 59 |
| दक्षिण मध्य रेलवे | 14 |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | कुछ नहीं । |

(ग) सवारी डिब्बा कारखाने में बने इन 533 सवारी डिब्बों की कुल अनुमानित उत्पादन लागत 8.2 करोड़ रुपये है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

**गुनपुर-नौपाड़ा छोटी लाइन सैक्शन पर रेलगाड़ी**

8153. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुनपुर-नौपाड़ा छोटी लाइन गाड़ी, इंजन की खराबी के कारण 31 जनवरी, 1968 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के हद्दुबंगी तथा सीतापुरम स्टेशनों के बीच रुक गई थी ;

(ख) क्या इस गाड़ी को कई बार चलाने तथा रफ्तार बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) 1-2-1968 को 2 एन० जी० डाउन गुणपुर-नौपाड मिली-जुली गाड़ी इंजन में खराबी आ जाने के कारण काशीनगर और हेडोमंगी स्टेशनों के बीच लगभग 3 घण्टे रुकी रही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**लद्दाख में व्यापारियों को वित्तीय सहायता**

8154. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमशः 1947 में, उसके कुछ समय बाद तथा 1962 में विदेशी शक्तियों द्वारा स्काटडू, सिन्कियांग और यांगथांग पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लद्दाख के व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी थी ;

(ख) क्या सरकार ने इन व्यापारियों की सहायता करने के लिये कोई सहायता दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस काम के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्हें कोई सहायता देने तथा धन नियत करने का है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) से (ग). स्काटडू सिन्कियांग और यांग थांग पर अवैध कब्जे के फलस्वरूप इन क्षेत्रों के साथ लद्दाखी व्यापार अव्यवस्थित हो गया है । इस सम्बन्ध में लद्दाख के व्यापारियों को हुई हानि की मात्रा ज्ञात नहीं है क्योंकि इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी सहायता के दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Manufacture of Locomotives**

8155. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri Sharda Nand :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new locomotives manufactured annually in each of the Locomotive Works in the country and the annual requirement thereof ;

(b) whether the assistance from some foreign countries is also received in the manufacture thereof ;

(c) if so, the extent thereof and the names of countries giving such assistance ;

(d) whether such foreign assistance was fully utilised during the last three years ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) The production of new locomotive during the last three years (1965-66 to 1967-68) has been as under :

| **Chittaranjan Locomotive Works** | **Steam** | **Diesel** | **Electric** |
|---|---|---|---|
| 1965-66 | 137 | — | 32 |
| 1966-67 | 112 | — | 57 |
| 1967-68 | 93 | 2 | 30 |
| **Diesel Locomotive Works** | | | |
| 1965-66 | — | 39 | — |
| 1966-67 | — | 55 | — |
| 1967-68 | — | 66 | — |
| **M/s. TELCO, Jamshedpur** | | | |
| 1965-66 | 68 | — | — |
| 1966-67 | 68 | — | — |
| 1967-68 | 62 | — | — |

Requirements are worked out on a 5-year plan basis and almost completely met from these units. For example, during the 4th Plan only some 70 diesels are proposed to be imported out of a total of about 1744 locomotives of all types planned to be provided during this period.

(b) Yes.

(c) (i) **Technical Assistance in terms of Collaboration Agreements**

(i) From M/s. ALCO/U. S. A. for developing indigenous manufacture of diesel locomotives.

(ii) From M/s. GROUP of Continent (a consortium of eight reputed manufacturing firms in Belgium, France, Germany and Switzerland) for developing indigenous manufacture of electric locomotives.

(2) **Financial Assistance**

Financial Assistance in the form of credits tied and non-project are made available and some of this is used to sustain locomotive production according to requirements. The Countries/Agencies which gave assistance and the quanta of such assistance during April'65 to March'68 expressed in rupee equivalents are as follows :

| | (Rupees in lakhs) |
|---|---|
| Canada .. .. | 152.34 |
| France .. .. | 193.57 |
| West Germany .. .. | 319.24 |
| Japan .. .. | 31.88 |
| Switzerland .. .. | 39.43 |
| USA (Exim) .. .. | 1950.00 |
| USA (Aid) .. .. | 127.25 |
| Poland .. .. | 0.69 |
| Austria .. .. | 2.24 |
| I. D. A. .. | 1372.15 |
| Total : | 4188.79 |

(d) (1) Technical assistance as per the collaboration agreements with the foreign firms is being fully utilised.

(2) As regards financial assistance, orders have been placed to the full extent of foreign exchange released for the manufacture of locomotives except for a small value released in 1967-68 for which orders are however under finalisation.

(e) Does not arise.

**Passenger Coaches**

8156. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri T. P. Shah :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the railway passengers traffic during the last three years ;

(b) the number of additional railway coaches required annually for the increasing of number of passengers ;

(c) the number of coaches which have to be replaced annually ;

(d) the number of new coaches being manufactured in the country during the last three years ; and

(e) the manner in which the shortage of new coaches proposed to be met ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) The percentage income in the number of passengers originating on Government Railways during the last three years has been as under :

| | Percentage increase |
|---|---|
| in 1965-66 over 1964-65 | 4.51 |
| in 1966-67 over 1965-66 | 5.21 |
| in 1967-68 over 1966-67 | 2.90 (Provisional) |

(b) The following number of passenger coaches were included in the Railways' Rolling Stock Programmes on additional account :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1965-66 | .. | .. | 449 units |
| 1966-67 | .. | .. | 1,073 units |
| 1967-68 | .. | .. | 890 units |

(c) The average annual number of passenger coaches included in the Railway's Rolling Stock Programme in the last three years on replacement account was 447.

(d) The number of passenger coaches manufactured in the country in the three years was :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1965-66 | .. | .. | 1,039 units |
| 1966-67 | .. | .. | 880 units |
| 1967-68 | .. | .. | 1,177 units (Provisional) |

The above figures include the spill over of production against the previous Rolling Stock Programmes, and also the coaches required on replacement account.

(e) A thirteen year perspective plan for the coaching stock requirements on replacements and additional accounts up to 1980-81 has been developed and is under consideration. The existing capacity for production of coaches will be reviewed to suit the requirements.

## भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ द्वारा पारित संकल्प

8157. **श्री अम्बचेंजियान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ ने निर्यात शुल्कों को समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) संकल्प की अन्य बातें क्या हैं ;

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां । निर्यात शुल्कों में पहले ही कुछ कमी की जा चुकी है ।

(ग) संकल्प में सुझाव दिया गया है कि पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के पश्चात भारतीय

निर्यात उत्पादों की प्रतियोगिता क्षमता के पुनःस्थापन के लिए निर्यातकों के लिए नकद सहायता के स्तर में वृद्धि की जानी चाहिए और कर में रियायतें तथा ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिये।

(घ) विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों द्वारा सामना की जाने वाली प्रतिस्पर्द्धा की परिस्थितियों का सरकार ने पुनर्विलोकन किया है तथा निर्यात विपणन के लिए चुने हुए उत्पादों पर नकद सहायता में वृद्धि, कर में रियायतों तथा निर्यातकों के लिए कम दरों पर ऋण की सुविधा देने के लिए कदम उठाये गये हैं।

**दक्षिण में कपड़ा मिलों का बन्द होना**

8158. **श्री अम्बचेजियान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर तथा तिरुची में 19 कपड़ा मिलों के बन्द होने के खतरे को रोकने के उपायों का विचार करने के लिये बम्बई कपड़ा आयुक्त के साथ उन्होंने बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ग) इन कपड़ा मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग). दक्षिण की कपड़ा मिलों के बन्द होने के खतरे की ओर सरकार का ध्यान है। मिलों को बन्द होने से रोकने में सहायता करने के लिये किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं : सूती धागे की कुछ किस्मों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की दरों में कमी, 34 नये फ्रैंच काउंट तक की गुंडी धागे पर शुल्क समाप्ति, जमा माल के दबाव को कम करने के लिए सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा विदेशी बाजारों में सूती धागे की निकासी के मार्गों का पता लगाने के लिए विशेष प्रयत्न। इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों से कपड़ा उद्योग को व्यापक वित्तीय सुविधाएं दिलाने के सम्बन्ध में विचार करने तथा उपायों की सिफारिशें देने के लिए हाल ही में एक समिति गठित की गयी है। इन मिलों की समस्याओं में से कुछ राज्य सरकार से सम्बद्ध हैं जिनकी ओर वह ध्यान दे रही हैं।

**भारत ईरान सहयोग योजनायें**

8159. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री वि० ना० शास्त्री :**
**श्री रा० बरुआ :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा ईरान भारत में कई औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ करने में एक दूसरे को सहयोग देने की योजना बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत ईरान सहयोग योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जायेंगे ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए दोनों देशों में विशेषज्ञों द्वारा एक दूसरे देश का दौरा करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब कितनी प्रगति हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) नवम्बर, 1967 में तेहरान में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई वार्ताओं में दोनों देशों के मध्य औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ था। इन वार्ताओं के फलस्वरूप दस उद्योग ऐसे माने गये जिनमें देशों के मध्य सहयोग व्यवहार्य समझा गया।

(ख) वे दस उद्योग ये हैं : रेलवे माल डिब्बे, मोटर गाड़ियों आदि का छोटा-मोटा सामान तथा फालतू पुर्जे, कपड़ा मशीनों के फालतू पुर्जे, ढले हुए हाथ के औजार, तार-रस्से, सिलाई मशीनें, नाशिकीटमार, डेक्सट्रोज, शिशु खाद्य तथा स्पंज लोहा।

(ग) और (घ). उपर्युक्त उद्योगों को समक्ष रख कर कुछ भारतीय पक्ष सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। प्रगति की समीक्षा करने के लिए कुछ समय बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक होने की आशा है।

## निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम

8160. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसी देशों के निर्यात बढ़ाये जाने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या ऐसा प्रस्ताव है कि यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तरी अमरीका तथा दक्षिण अमरीका के देशों को वहां के बाजारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए व्यापार प्रबंधकों को भेजा जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). नेपाल, श्रीलंका, बर्मा तथा अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए द्वित्तीय व्यापार करार, समय-समय पर वार्ताएं, ऋणों की मंजूरी आदि जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव अन्तिम रूप दिए जाने के लिए विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ). चालू वर्ष की अवधि में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा आयोजित बिक्री सह-अध्ययन दलों द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों, सं० रा० अमरीका तथा

यूरोप का दौरा किए जाने की सम्भावना है । रेलवे उपकरणों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए रेलवे विशेषज्ञों के एक दल को उरुग्वे तथा अर्जेन्टीना भेजने का प्रस्ताव है ।

**मैसर्स आर० अबरोल एन्ड कं०**

8161. **श्री हरदयाल देवगुण :**

**श्री बलराज मधोक :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मैसर्स आर० सी० अबरोल एंड कम्पनी ने जनता से प्राप्त 35 लाख रुपये की जमा राशि को वापिस करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि परिसमापन की कार्यवाही उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी है ; और

(ग) जमाकर्ताओं के धन की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) हां, श्रीमान । विभाग के पास प्राप्य सूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 1966 तक इस प्रकार की जमा राशि 25 लाख रुपयों के लगभग थी ।

(ख) हां, श्रीमान । उच्च न्यायालय ने कम्पनी के परिसमापन का आदेश दिया है, एवं वर्तमान में सरकारी समापक कम्पनी का समापक है ।

(ग) सरकारी समापक ने कम्पनी की परिसम्पति को अपने अधिकार में ले लिया है, तथा उसने कुछ परिसम्पति की बिक्री द्वारा कुछ राशि प्राप्त कर ली है । मरकेन्टायल बैंक लिमिटेड ने, कम्पनी तथा अपने मध्य किये गये उपप्राधीयन के विशेष समझौते की दृष्टि से, इस राशि पर अपनी प्राथमिकता का दावा किया है । सरकारी समापक ने, इस समझौते को प्रभावहीन तथा कपटपूर्ण घोषित करने के लिए, एक प्रार्थना-पत्र मिसिल किया है । सरकारी समापक कम्पनी की परिसम्पति को प्राप्त करने के लिए भी सम्पूर्ण आवश्यक पग उठा रहा है, एवं जब कभी उसके पास वितरण के लिए निधि होगी, वह जमाकर्ताओं को यथानुपात दी जायेगी ।

**Wagons of Soft Coke for Delhi**

8162. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons of soft-coke that arrived at Delhi from 1964 to 1967, year-wise ;

(b) whether it is a fact that the number of wagons that arrived at Delhi last year was comparatively less than that of previous years ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) The number of wagons loaded with soft-coke for Delhi from 1964 to 1967, year-wise is given below :

| | |
|---|---|
| 1964 | 13807 |
| 1965 | 15724 |
| 1966 | 17375 |
| 1967* | 16583 |

(b) Loading in 1967 was less than in 1966 but more than in 1964 and 1965.

(c) Demands dropped sharply in the months of October and November 1967 for reasons not known to Railways.

**Transport of Coal in Big Wagons**

8163. **Shri Shashibhusan Bajpai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Department consider it convenient to transport coal in big wagons only :

(b) whether convenience has been caused to the Railways due to requisitioning of both small and big wagons by the Delhi Coal Dealers ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in the matter.

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):** (a) Big wagons (BOX wagons) have been designed for carrying mineral traffic including coal in bulk to centres of heavy consumption as this 8-wheeler wagon is more economical for this purpose. Maximising coal movement in these wagons enables a larger number of 4-wheeler wagons to become available for movement of other traffic (including coal to smaller consumers).

(b) As Delhi is a centre of heavy consumption, it would normally have been better if all coal is moved to Delhi in BOX rakes, thus releasing ordinary wagons for other consumers. Every train load of coal in BOX wagons transports the equivalent of one and a half train loads in ordinary wagons.

(c) It is proposed to gradually bring all coal to Delhi in BOX wagons. This will be done in consultation with the coal trade.

**टायर निर्माण**

8164. **श्री कामेश्वर सिंह :**
**श्री श्रीधरन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में एक विदेशी टायर निर्माता को एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

*Figures of the last 3 months are of allotment, as confirmed loading figures State-wise which are compiled by the Coal Controller are not yet available.

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण**

8165. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कपड़ा निर्माण मशीनों के उत्पादन में अब तक आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) क्या कपड़ा निर्माण मशीनें पूर्णरूप से प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं और यदि हां, तो विद्यमान क्षमता तथा विकास क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली क्षमता को प्रयोग में लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या कारण है कि पड़ोसी तथा विकासशील देशों को कपड़ा निर्माण मशीनें सप्लाई करने में भारत अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है ; और

(घ) कपड़ा मशीन निर्माताओं द्वारा किन-किन सुविधाओं की मांग की जा रही है और उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) हमारे देश ने वस्त्र कुछ जटिल किस्म की वस्तुओं, कंघों, आटोमेटिकनाटर वार्प वाईंडिंग मशीनों, सिंगल स्पिंडल आटोमेटिक पर्व वाइंडिंग मशीनों, विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के स्वचालित करघों, अन्तिम रूप देने की जटिल मशीनों और ऊनी कताई तथा बेकार रूई की कताई मशीनों इत्यादि को छोड़कर शेष लगभग सभी कपड़ा मशीनों की सभी वस्तुओं के उत्पादन में लगभग आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है।

(ख) वस्त्र उद्योग में चल रही वर्तमान परिस्थितियों के कारण वस्त्र उद्योग मशीनों की निकासी में कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप कपड़ा उद्योग की मशीनों के उत्पादन की 60 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त रही। उद्योग का अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने में सहायता करने के लिए वस्त्र मशीनों का आयात न्यूनतम कर दिया गया है। आस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनें बेचने के लिये ऋण सुविधाओं को उदार बनाया गया है। इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया द्वारा बिलों को री-डिस्काउंट करने की अधिकतम सीमा 25 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० कर दी गई है और उपयुक्त मामलों में बिलों के पूरा होने की अवधि भी 7 साल तक बढ़ा दी गई है। निर्यात के लिए प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया की निर्यात ऋण योजना की अवधि जो 5 वर्ष तक सीमित थी, अब उपयुक्त मामलों में बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है और विशिष्ट मामलों में 10 वर्ष तक भी बढ़ा दी गई है। बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे वास्तविक कर्जदारों से 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज लें।

(ग) देश का वस्त्र उद्योग अब बहुत कुछ किस्म तथा मूल्य दोनों ही प्रकार से विदेशी बाजारों से मुकाबला कर सकता है ।

(घ) निर्माताओं द्वारा मांगी गई प्रमुख सुविधाएं तथा इन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :

| मांगी गई सुविधाएं | सरकार द्वारा की गई कार्यवाही |
|---|---|
| (1) निर्यात बढ़ाने के लिए नकद प्रोत्साहन को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना । | सरकार द्वारा मामले की जांच की गई थी और वर्तमान नकद प्रोत्साहन को पर्याप्त समझा गया है । |
| (2) मध्य अवधि के ऋण को ऐसी शर्तों पर दिया जाना जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों द्वारा दी जाती हैं । | जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) में कहा गया है, निर्यात ऋण योजना को अब विशिष्ट उपयुक्त मामलों में 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है । |
| (3) जिन अल्प विकसित देशों को हमारे देश द्वारा सहायता दी जा रही है, उसका कुछ अंश भारत से वस्त्र उद्योग की मशीनें खरीदने से जोड़ दिया जाय । | यह मान्य है और वास्तव में जहां तक सम्भव हो सकता है इस पर कार्यवाही भी की गई है । |
| (4) भारत के राज्य व्यापार निगम को उन पूर्वी यूरोपीय देशों में वस्त्र मशीनों का निर्यात बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयत्न करने चाहिए जिनके साथ उसने द्विपक्षीय व्यापार करार किए हैं । | जहां तक सम्भव होता है वस्त्र उद्योग मशीनों को द्विपक्षीय व्यापार करारों में सम्मिलित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । |

**महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर**

8166. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री अब्राहम :**
**श्री रमानी :**
**श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास तथा विनियमन

अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर को अपने अधिकार में लिए जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार को किसी औद्योगिक उपक्रम को अपने अधिकार में लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**भारतीय चाय की किस्म**

8167. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड को यह काम सौंपने का है कि वह चाय निर्माण के प्रत्येक क्रम पर चाय की किस्म को न केवल बनाये रखे बल्कि उसमें सुधार करे ;

(ग) क्या श्रीलंका चाय की अच्छी किस्म होने के कारण विदेशी बाजारों में हमसे प्रतियोगिता करता है ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में भारतीय चाय की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ताकि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क), (ख) और (घ). चाय की किस्म में सुधार करने का कार्य चाय बोर्ड का है। चाय बोर्ड द्वारा किये गये उपायों का उद्देश्य चाय की किस्म सुधारने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्यगिकी गवेषणा में सहायता करना और उद्योग को उर्वरक, नाशिकीटमार तथा अधिक अच्छे क्लोन जैसे विभिन्न निवेशों को प्राप्य कराने के साथ-साथ कतिपय शर्तों तथा ब्याज की अनुकूल दरों पर पुनर्रोपण अथवा मशीनों की खरीद के लिये ऋण देना है।

(ग) जी, नहीं।

**तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची के कर्मचारियों की सेवा शर्तें**

8168. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली की सूची में राज्यवार बड़े पैमाने के उद्योगों की कितनी फर्में हैं ;

(ख) इनमें से कितनी फर्मों ने अपने कर्मचारियों के वेतनक्रम, छुट्टी, पदोन्नति तथा स्थायीकरण नियम तथा विनियम बना रखे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन फर्मों पर जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिये कोई लिखित नियम नहीं बनाये हैं इन नियमों को लागू करने के लिये जोर देने का है ताकि औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित रखी जा सके और उनमें असंतोष न रहने पाये ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## निर्यात गृह

8169. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात गृहों को मान्यता देने की योजना कुछ समय से लागू है ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्यात गृहों के कार्य क्या हैं और ये निर्यात बढ़ाने में कहां तक सफल रहे हैं ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि वे लोग जो अन्य उद्योगों पर छा गये हैं इन निर्यात गृहों पर भी न छा जायें ; और

(घ) कोन-कौन से निर्यात गृह प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य का निर्यात करते हैं और उनमें किन की पूंजी लगी हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां । निर्यात गृहों को मान्यता देने की योजना 1961 से चल रही है ।

(ख) निर्यात गृहों को मान्यता की योजना को शुरू करने का उद्देश्य मुख्यतः निर्यात व्यापार में विशेषतः लगे हुए निर्यात गृहों को विकसित करना था । अनुभव के आधार पर समय-समय पर योजना का पुनर्विलोकन किया जाता रहा है । इसका 1965 तथा इस वर्ष के शुरू में भी पुनर्विलोकन किया गया था । बाद के पुनर्विलोकन के आधार पर 30 मार्च, 1968 को एक संशोधित योजना घोषित की गई । नई योजना के अंतर्गत केवल उन चुने हुए निर्यात गृहों को ही मान्यता मिल सकेगी जो व्यवस्थित आधार पर निर्यात विपणन करने की क्षमता तथा साधनों से सम्पन्न सिद्ध होंगे । अधिकांश निर्यात गृह, जिन्हें पहली योजना के अन्तर्गत मान्यता दी गई थी और जो नई योजना के अन्तर्गत भी सभी शर्तें पूरी करते हैं, बढ़ता हुआ निर्यात निष्पादन दिखा रहे हैं ।

(ग) 30 मार्च, 1968 को जारी की गई संशोधित योजना के अन्तर्गत सरकार अनुभवी,

योग्य, निर्यात निष्पादन की क्षमता वाले निर्यात गृहों को, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करेंगे, मान्यता प्रदान करेगी :

(1) निर्यात गृह सामान्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत समवाय अथवा उपयुक्त विधि के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहकारी विपणन समिति अथवा संघ होना चाहिए। व्यापारी-निर्यातक तथा निर्माता-निर्यातक भी मान्यता के लिए पात्र होंगे।

(2) निर्यात गृहों के सदस्यों को विभिन्न बाजारों में निर्यात करने का काफी अनुभव होना चाहिए।

(3) निर्यात गृह के पास बड़े पैमाने पर निर्यात व्यापार करने के लिये पर्याप्त साधन होने चाहिए।

(4) यदि निर्यात गृह एक व्यापारी-निर्यातक है तो निर्यात के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माल की प्राप्ति के लिये, भारत में निर्माताओं तथा संभरकों के साथ उसके स्थायी सम्बन्ध होने चाहिए।

(5) एक निर्यात गृह का अपरम्परागत उत्पादों का वार्षिक निर्यात स्तर पर 25 लाख रु० से कम का न हो अथवा परम्परागत उत्पादों का निर्यात 2 करोड़ रु० वार्षिक से कम का न हो।

(6) विभिन्न व्यापारी संस्थाएं अथवा निर्माण एकक, जो समन्वित प्रकार से निर्यात के लिये मिल जाएं, उन मिलने वाले एककों के संघ को उन सब की निर्यात क्षमता के आधार पर मान्यता दी जायेगी। नये समवायों के मामले में, जो विशेष रूप से आधुनिक प्रणालियों पर विदेशों में बिक्री की व्यवस्था करने के लिए स्थापित किये गये हों, प्रार्थी के दावे तथा प्रतियोगी क्षमता को देखते हुए मान्यता देने पर विचार किया जायेगा।

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें पुरानी योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों, जो 1967 ई० में 10 लाख रु० से अधिक मूल्य का निर्यात करते थे, के नाम तथा उनके संचालकों के नाम (निर्यात गृह के रूप में मान्यता के लिये आवेदन करते समय) दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-999/68**]

## रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग

8170. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे भोजन विभाग आरम्भ से ही घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी हानि हुई है और इस समय उसकी मासिक हानि कितनी है ;

(ग) क्या हानि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है और यदि हां तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) निरन्तर हो रही हानि के कारणों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) जब से विभागीय खान-पान व्यवस्था शुरू हुई है तब से हर वर्ष हानि हुई है सिवाय 1963-64 और 1966-67 के जबकि लाभ हुआ ।

(ख) विभागीय खान-पान व्यवस्था शुरू करने से लेकर अब तक विभागीय खान-पान के संचालन से रेलों को जो हानि लाभ हुआ है, वह इस प्रकार है :

| वर्ष | (+) लाभ | (−) हानि |
|---|---|---|
| 1955-56 | | (−) 11,01 |
| 1956-57 | | (−) 17,53 |
| 1957-58 | | (−) 21,98 |
| 1958-59 | | (−) 13,17 |
| 1959-60 | | (−) 7,05 |
| 1960-61 | | (−) 3,97 |
| 1961-62 | | (−) 6,45 |
| 1962-63 | | (−) 1,90 |
| 1963-64 | (+) 7,56 | |
| 1964-65 | | (−) 3,14 |
| 1965-66 | | (−) 6,60 |
| 1966-67 | (+) 1,19 | |

विभागीय खान-पान से हानि/लाभ के महीनेवार आंकड़े नहीं रखे जाते और 1967-68 के वर्ष के परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी हां । विभागीय खान-पान व्यवस्था में हुई हानि के कारणों की छानवीन की गयी है और वे इस प्रकार हैं :—

(i) विभागीय खान-पान व्यवस्था में नियोजित कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतनमान और भत्ते देना और समय-समय पर महंगाई में वृद्धि के कारण कर्मचारियों की लागत और वृद्धि ;

(ii) कच्चे सामान और भण्डार की लागत में वृद्धि ;

(iii) कर्मचारी लागत और कच्चे सामान की कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बार-बार दर सूची का न बढ़ाया जाना ।

(घ) रेलों ने किफायत सम्बन्धी जो उपाय किये हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

( i ) बिक्री बढ़ाना और बेयरों, स्टाल चलाने वालों और खोमचे वालों की कमीशन के आधार पर नियुक्ति;

(ii ) खाने की विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित उपादान अनुसूची का कठोरता से पालन;

(iii) खाद्य समग्री की खरीद और इस्तेमाल तथा पकाने के काम आने वाले ईंधन में किफायत ।

रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति ने विभागीय खान-पान व्यवस्था के अन्तर्गत होने वाली हानि को दूर करने के लिए कर्मचारियों पर आने वाली लागत में कमी करने और जब कभी आवश्यक हो, कीमतों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए दर-सूची में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है । इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

**अखिल भारतीय रेलवे अवर्गीकृत (अनग्रेडेट) एकाउन्ट्स क्लर्क सम्मेलन**

8171. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री चक्रपाणि :**
**श्री पं० गोपालन :** **श्री नम्बियार :**

क्या **रेलवे** मंत्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4381 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय रेलवे अवर्गीकृत एकाउन्ट्स क्लर्क सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक मांग पर रेलवे बोर्ड तथा श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से क्या निर्णय किया गया है;

(ख) सहमत मागों की कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) किन मांगों पर सहमति नहीं हो सकी है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) से (घ). निम्नतम ग्रेड में क्लर्कों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार के लिये उपाय करने के प्रश्न के अलावा सरकार अवर्गीकृत लेखा क्लर्क सम्मेलन की अन्य मांगों को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं समझती ।

जहां तक निम्नतम ग्रेड में क्लर्कों की पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार का प्रश्न है, इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं, 1-4-68 से लागू होंगे, कि लेखा विभाग में ग्रेड I 130-300 रु० के अधिकृत वेतनमान में क्लर्कों की रिक्तियों का जो 20 प्रतिशत सीधी भर्ती होने

वाले स्नातकों के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण वे स्थान भरे नहीं जा सके थे, अब स्नातकों की भर्ती शुरू होने तक उसी विभाग के ग्रेड II में काम करने वाले क्लर्कों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएं; रिक्त स्थानों के 75 प्रतिशत परिशिष्ट 11-ए परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों द्वारा भरे जाएं और 25 प्रतिशत वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएं। इसके अतिरिक्त हाल ही में यह आदेश भी जारी किया गया है कि 1-10-62 तक के लेखा विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर सुरक्षित रखे जाएं (इन पदों पर पदोन्नति 1-4-1968 से लागू होगी)। इन उपायों से लेखा क्लर्कों की पदोन्नति के अवसरों में सामान्यतया सुधार होगा।

यह भी विनिश्चय किया गया है कि 110-180 रु० वेतनमान में ग्रेड II के जिन क्लर्कों ने अपेन्डिक्स 11-ए परीक्षा पास कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल, 1968 से 110-180 रु० वेतनमान में 3 अग्रिम बढ़ोतरी दे दी जाएं। इस तारीख के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को परीक्षा की अन्तिम तारीख की अगली तारीख से 3 अग्रिम बढ़ोतरी दी जायेंगी।

**कानपुर रेलवे स्टेशन के कुली**

8172. **श्री अनिरुद्धन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री नम्बियार :** **श्री उमानाथ :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1962 से पहले की लाइसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत कानपुर रेलवे स्टेशन के कुली जब छुट्टी जाते थे तो वे अपने स्थान पर स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था करते थे और अपनी कुली-नम्बर पर अपना हक रखते थे ;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1962 के बाद इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1 नवम्बर, 1662 के बाद यदि कुली छुट्टी पर जाते हैं तो उनका लाइसेंस समाप्त हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुरानी प्रणाली को फिर से चालू करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) और (ख). 1-11-62 से पहले कानपुर में लाइसेंसदार भारिकों एक ठैकेदार के नियंत्रण में काम करते थे, जो छुट्टी पर जाने वाले भारिकों की जगह आवश्यक व्यवस्था करता था। ऐसी व्यवस्था का ब्योरा मालूम नहीं है। 1-11-62 से नैमित्तिक मजदूर प्रथा समाप्त करने की योजना लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत एबजी कर्मचारी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**अन्य रेल यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली और यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में फालतू कर्मचारी**

8173. **श्री अनिरुद्धन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य रेल यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली और यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू कर्मचारी बेकार बैठे रहे हैं और उनके पास कोई काम नही है; और

(ग) ऐसे फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनके पदनाम क्या-क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां, दिल्ली कार्यालय में, न कि अजमेर में ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना**

8174. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अनेक कर्मचारियों को पांच वर्ष से अधिक सेवा कर लेने के पश्चात् अब तक भी स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों को कब तक स्थायी बनाये जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). लगभग 1650 कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायी किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब स्थायी पद उपलब्ध होंगे तो उन्हें स्थायी करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा ।

**पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के काम के घंटे**

8175. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जिलों में इंजीनियरी विभाग के ग्रेटमैनों को 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा-जैनागर, दरभंगा-निरमली, दरभंगा-नरकटियागंज, अगरघाट-हसनपुररोड स्टेशनों (यातायात विभाग) में असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों और प्वाइंट्समैनों को इस समय दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है; और

(ग) क्या मेसी, सहारसा और थाना बीहपुर स्टेशन के कैरिज कर्मचारियों को भी दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार का विचार दिन में 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**रेलवे वर्कशापों में पदों का ऊंचा किया जाना**

8176. **भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कोई अनुदेश दिये हैं जिनके अन्तर्गत रेलवे वर्कशापों में 20 प्रतिशत पदों को ऊंचा करने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे को समस्तीपुर, गोरखपुर तथा इज्जतनगर के वर्कशापों के कर्मचारियों को ये सुविधा देने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त वर्कशापों के कर्मचारियों को ये सुविधा कब देने का प्रस्ताव है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) यांत्रिक कारखानों में कुशल कर्मचारियों के 20 प्रतिशत पदों का ग्रेड ऊंचा करने के लिए 1963 में हिदायतें जारी की गयी थीं। इन आदेशों को गैर-यांत्रिक कारखानों में भी लागू किया गया, बशर्ते वहां कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**रेलवे कर्मचारियों को रात्रि भत्ता**

8177. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के बारौनी, समस्तीपुर, सोनपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज के मैकेनिकल विभागों के कैरिज के कर्मचारियों को 1 अक्तूबर, 1962 से बकाया रात्रि भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 1 अक्तूबर, 1967 से रात्रि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें 1 अक्तूबर, 1962 से रात्रि भत्ते की बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई है लगभग 2,000 है; और

(घ) यदि हां, तो इस बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और इसका कब तक भुगतान करने का प्रस्ताव है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**रेलवे में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी**

8178. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की प्रतिशतता कम रखी गई है जिसका कारण वाणिज्यिक क्लर्कों को समय पर छुट्टी लेने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि रिक्त स्थानों को नहीं भरा जाता और अनेक छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों को इन स्थानों पर लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को जब कभी आवश्यकता होती है छुट्टी नहीं मिलती ;

(ग) 1967 में कितने पदों को रिक्त रखा गया; और

वर्ष 1967 में वाणिज्यिक क्लर्कों को कुल कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**भारत में चाय कम्पनियां**

8179. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीयों तथा विदेशियों की मिलकियत वाली चाय कम्पनियां कहां-कहां हैं, उनके तथा उनके निदेशकों के नाम क्या हैं, उनमें कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उनमें से प्रत्येक में विदेशी सहयोग, यदि कोई है तो, उसका ब्योरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों में वर्षवार प्रत्येक चाय कम्पनी ने कौन-कौन सा, कितना-कितना तथा कितने-कितने मूल्य का माल तैयार किया है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में वर्षवार कितने मूल्य का सामान निर्यात किया गया है तथा किन-किन देशों को किया गया ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्लर्कों का काम

8180. **श्री नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे के यातायात लेखा कार्यालयों में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के क्लर्कों द्वारा क्या काम किया जाता है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, कलकत्ता

8181. **श्री रमानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी कलकत्ता के निमित्त कतिपय जानकारी प्राप्त करने के लिये उसके द्वारा देय धनराशि किस आधार पर उसके नाम दिखाई जाती है;

(ख) पश्चिम रेलवे के लिए 1965-66 और 1966-67 में कितनी राशि दिखाई गई है और कितने कर्मचारियों की वेतन आदि की राशि दिखाई गई है; और

(ग) पश्चिम रेलवे की सांख्यिकी शाखा में किये जाने वाले कुल संकेतीकरण कार्य का कितना भाग इस जानकारी को निकालने के लिए होता है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, के नाम जिन आधारों पर रकम दिखायी जाती वे नीचे दिये गये हैं :

(i) 1963-64 के वर्ष तक : इस प्रयोजन के लिए लगाये गये लिपिक वर्ग के अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन के आधार पर;

(ii) 1-4-64 से 31-3-66 तक : इस प्रयोजन के लिए लगाये गये कर्मचारियों के वेतन के साथ पर्यवेक्षण, छुट्टी वेतन, भविष्य निधि/पेंशन और अन्य लाभों के कारण होने वाले खर्च के तत्त्व के आधार पर;

(iii) 1966-67 से आगे : इन्वायसों पर कूट अंक लगाने, कार्ड पंच/सत्यापित करने, मशीनों से गुजारने और विवरणियों को अंतिम रूप से तैयार करने में अंतर्ग्रस्त काम की मात्रा के अनुसार कर्मचारियों और मशीनों के आनुपातिक खर्च एवं वाणिज्यिक, आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक की आवश्यकताओं के अनुकूल कूट अंकों के विस्तार के परिणामस्वरूप अन्य कार्यों में अंतर्ग्रस्त काम की अतिरिक्त मात्रा के कारण आनुपातिक खर्च के आधार पर;

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी के महानिदेशक द्वारा अपेक्षित आंकड़ों के संकलन का आधार 1964 से क्रमशः बदल दिया गया था और अप्रैल, 1965 से सभी रेलों पर समान प्रक्रिया लागू कर दी गयी थी । काम को यूनिट रिकार्ड मशीनों की बजाय संगणकों पर करने के

कारण लागत में घटा-बढ़ी का हिसाब रखने के लिए लागत की रकम को नाम में दिखाने की वर्तमान प्रक्रिया की और समीक्षा की जायेगी ।

(ख)

| वर्ष | प्रभारित रकम | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1965-66 | 80,039.63 | 24 |
| 1966-67 | 1,03,534.22 | 18 |

(ग) माल इन्वायसों के सम्बन्ध में कूट-अंकों सम्बन्धी कुल काम की तुलना में इस सूचना के लिए किये जाने वाले कूट-अंकों सम्बन्धी काम का प्रतिशत 19.3 है ।

## निर्यात गृह

8182. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात गृहों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है;

(ख) क्या सरकार को परम्परागत तथा अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को मिलाने के लिये निर्यात गृहों को मान्यता देने की वर्तमान प्रणाली के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सुझाव दिया गया है कि मान्यता के लिये इनमें से किसी एक का कोटा दुगुना कर दिया जाये; और

(ग) क्या सरकार ने उन सभी निर्यात गृहों को मान्यता दी है जिनका परम्परागत वस्तुओं का वार्षिक निर्यात 5 करोड़ रुपये से अधिक है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) 30 मार्च, 1968 को घोषित संशोधित योजना के अनुसार निर्यात गृहों को मान्यता निम्नोक्त आधार पर दी जाती है :

1. निर्यात गृह सामान्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत समवाय अथवा उपयुक्त विधि के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी विपणन समिति अथवा संघ होना चाहिए । व्यापारी-निर्यातक तथा निर्माता-निर्यातक भी मान्यता के लिये पात्र होंगे ।
2. निर्यात गृहों के सदस्यों को विभिन्न बाजारों में निर्यात करने का काफी अनुभव होना चाहिए ।
3. निर्यात गृह के पास बड़े पैमाने पर निर्यात व्यापार करने के लिये पर्याप्त साधन होने चाहिए ।
4. यदि निर्यात-गृह व्यापारी-निर्यातकर्त्ता हो, तो इसे भारत में उत्पादकों और सप्लाई कर्ताओं के साथ निर्यात के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक माल इकट्ठा करने के लिये स्थायी संबंध स्थापित करने चाहिये ।
5. निर्यात-गृह को प्रति वर्ष काफी व्यापार करना होगा जो 25 लाख रुपये के गैर-परम्परागत माल अथवा 2 करोड़ रुपये के परम्परागत माल के प्रति वर्ष निर्यात से कम न हो ।

6. निर्माणकर्ता एककों के विभिन्न व्यापारी कंपनियों का समूह जिसे उनके निर्यात व्यापार को समन्वित ढंग से अपने हाथ में लेने के लिये बनाया गया हो, अपने एककों द्वारा किये गये निर्यात के बल पर मंजूर किया जा सकता है। नई कंपनियों के मामले में जिन्हें आधुनिक ढंग से विदेशों में विक्रय बढ़ाने के लिये विशेष रूप से स्थापित किया गया हो, मंजूरी पर, प्रार्थी के दावों और उसकी क्षमता पर उचित विचार के पश्चात् विचार किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) मंजूरी की पुरानी योजना के अन्तर्गत, जिसके स्थान पर नई प्रक्रिया अपनायी जा रही है, ये शर्तें रखी गई थीं कि परम्परागत वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं को मंजूरी न दी जाये। गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात-गृहों को जिनका निर्यात व्यापार कम से कम 10 लाख रुपये का हो, मंजूरी दी जाती थी। नई योजना के अन्तर्गत, इन निर्यात-गृहों के प्रार्थनापत्रों पर भी मंजूरी के लिये विचार किया जायेगा जिनका निर्यात व्यापार 2 करोड़ रुपये के परम्परागत माल से कम न हो।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा बेची गई कारों के मूल्यों में कमी**

8183. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में बेची गई कारों के मूल्य कम हो गये हैं;

(ख) क्या मूल्य गिरने के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई जांच की है; और

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि मूल्यों में कमी का कारण यह है कि कार बेचने वालों का एक गिरोह राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों से मिला हुआ है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) कुछ श्रेणियों की आयातित गाड़ियों के मूल्यों में साधारण सी कमी हुई है।

(ख) और (ग) इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है। इन कारों के मूल्यों पर संभरण तथा मांग का सामान्य नियम लागू होता है। कार के विक्रेताओं तथा राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के बीच कोई सांठ गांठ होने की सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री**

8184. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा दूतावासों की कारों की बिक्री अपने हाथों में लेने के समय से प्रत्येक नीलामी में उसके द्वारा कितनी कारें बेची गईं;

(ख) उन कारों की संख्या कितनी है जिनकी बोली उचित न होने के कारण उन्हें बेचा नहीं गया था तथा उनको बाद में किस प्रकार बेचा गया था ; और

(ग) कारों की बिक्री से राज्य व्यापार निगम को कुल कितना लाभ हुआ ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिसमें निविदाओं द्वारा बिक्री के लिये दी गई कारों की संख्या दिखाई गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी**-1000/68] राज्य व्यापार निगम द्वारा निविदाओं के माध्यम से 31 मार्च, 1968 तक बेची गई कारों की कुल संख्या 1637 है ।

(ख) जब कभी बोली उचित नहीं मिलती तब उनमें से कुछ का निपटान राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राथमिक उपयोक्ताओं जैसे सरकारी विभागों, पर्यटक टैक्सी सेवाओं आदि को कर दिया जाता है । बाकी कारें बाद की निविदाओं के लाट में शामिल कर ली जाती हैं । राज्य-व्यापार निगम ने प्राथमिक उपयोक्ताओं के अलावा अथवा निविदा पद्धति के बिना कोई भी कार नहीं बेची है ।

(ग) ऐसी जानकारी देना राज्य व्यापार निगम के व्यापार हित में अनुकूल न होगा ।

**पश्चिम रेलवे के अन्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के हमाल तथा खलासी**

8185. **श्री पी० राम मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अन्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के हमालों तथा खलासियों को राजपत्रित छुट्टियों और रविवारों की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, किशनगंज दिल्ली के उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को ये छुट्टियां दी जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संवर्ग के कर्मचारियों को उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के समान लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (घ) . कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए काम के घंटों का निर्धारण काम के घंटे विनियमों या फैक्टरी अधिनियम, जैसी स्थिति हो, के अनुसार किया जाता है और जहां कर्मचारियों को रविवार की सुविधा नहीं मिलती वहां उन्हें आवधिक आराम के दिन की सुविधा ड्यूटी रोस्टर के अनुसार दी जाती है ।

इसी तरह, राजपत्रित छुट्टियों की हकदारी के मामले में प्रत्येक कोटि के लिए विनिश्चय किया जाता है, जो सेवा की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है और इसलिए भिन्न-भिन्न रेलों पर भिन्न-भिन्न प्रक्रिया हो सकती है तथा इस सम्बन्ध में कोई एक समान कार्यविधि की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

**Memorandum from Junior Accountants of Eastern Railway**

8187. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any Memorandum from the Junior Accountants of the Eastern Railway in February, 1967 in which it was demanded that their pay scales be fixed in accordance with the recommendations of Jagannath Das Commission ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) and (b). Memorandum from the Junior Accountants of the Eastern Railway demanding the merger of the two Authorised scales of pay viz. Rs. 270-435 and Rs. 435-575 allotted to Junior Accountants and Senior Accountant respectively on Railways, into one single scale Rs. 270-575, was received. The Jagannadha Das Pay Commission recommended the scale of Rs. 270-575 to the Accountants and also left it to the Departments concerned to have split scales of pay of Rs. 270-435 and Rs. 435-575 to suit their requirements. Government decided to have two scales of pay for the Junior and Senior Accountants of Railways. No change is considered justified.

**श्रेणी 2 के रेलवे अधिकारियों की श्रेणी 1 में पदोन्नति**

8188. **श्री मधुलिमये :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी 2 से श्रेणी 1 में पदोन्नति चाहने वाले अधिकारियों की समस्याओं तथा कठिनाइयों के बारे में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक विधायक से सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां स्वयं माननीय सदस्य के जरिये ।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है ।

**Burning of Engine at Mughalsarai Station**

8189. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an electric railway engine (No. 20205 W. A. M.) had caught fire at Mughalsarai Railway Station towards the end of February, 1968 ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the amount of loss sustained as a result thereof ;

(d) whether the said incident has been inquired into and the officers responsible therefor given punishment ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes.

(b) Enquiry into the accident has revealed that the fire may have started as a result of electric sparks emanating from electric contactor switches falling on some oil deposits from adjoining machinery on the loco floor.

(c) The loss has been estimated at Rs. 1.52 lakhs.

(d) The incident has been enquired into and the Enquiry Report is under scrutiny with a view to take up action against the staff considered responsible.

(e) Question does not arise.

## उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारी

8190. **श्री प० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किशनगंज दिल्ली, स्थित उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को जो सरोजनी नगर, लोदी कालोनी, सेवा नगर और लाजपत नगर में रहते हैं, रेलगाड़ी संख्या 2 डी० एन० के० द्वारा कार्यालय में पहुंचने में दो घन्टे से अधिक समय लगता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) सरोजनी नगर, लोदी कालोनी, सेवा नगर और लाजपत नगर से दिल्ली-किशनगंज तक 2 डी एन एस (पहले की 2 डी एन के) शटल गाड़ी से यात्रा करने में क्रमशः 1 घन्टा 46 मि०, 1 घण्टा 40 मि०, 1 घन्टा 35 मि० और 1 घन्टा 30 मि० का समय लगता है।

(ख) जी हां।

(ग) इस पर यथावत विचार किया गया, लेकिन इसमें दिया गया सुझाव परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

## मुंगेर में गैर-सरकारी फर्म को नाव से माल ढोने का ठेका

8191. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग ने मुंगेर स्थित किसी गैर-सरकारी फर्म को नाव से माल ढोने का ठेका दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये उनका विभाग इस ठेके को समाप्त करने का विचार कर रहा है; और

(ग) क्या उनके विभाग ने परिवहन तथा नौवहन विभाग से पटना में बेकार पड़ी विभिन्न किस्म की कर्षनावों (टग्स) को देने का अनुरोध किया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). जी नहीं, 1-1-1968 से मुंगेर-मुंगेर घाट वाला मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है । यातायात कम होने के कारण ठेका समाप्त कर दिया गया हैं और यह मार्ग बंद कर दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

## पी० एस० भागलपुर स्टीमर

8192. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टीमर पी० एस० भागलपुर को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस समय पानी की सतह ऊंची हो रही थी तो उस स्टीमर को पुनः चलाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां, 1960 में स्टीमर निकम्मा घोषित कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). स्टीमर के गतायु होने के कारण और हालत को देखते हुए उसे निकम्मा घोषित करके उसका निबटारा कर दिया गया था । इसलिए उसको फिर से चलाने का सवाल नहीं उठा ।

## दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय तथा पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के सफाई वालों के लिये गरम वर्दियां

8193. **श्री भगवान दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किशनगंज में उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में काम कर रहे सफाई वालों तथा दिल्ली किशनगंज में पश्चिम रेलवे के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में काम कर रहे सफाई वालों को दी गई गरम वर्दियों का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दोनों कार्यालयों में सफाई वालों को दी गई गर्म वर्दियां एक स्तर की नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्दियों के मामले में उन्हें बराबर लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**Supply of Rails and Wagons to Soviet Union**

8194. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Railways** to pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the former Railway Minister, Shri S. K. Patil at the General Meeting of All-India Industries Federation on the 23rd March, 1968 in Bombay to the effect that the order placed by the U.S.S.R. on India for the supply of rails and wagons is not for her own use as the dimensions of rails in the Soviet Union are different from those to be supplied ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) and (b). The reported speech dated 23-3-68 of Shri S. K. Patil, former Minister for Railways has come to the notice of the Government. The Ministry of Railways are not aware of any order for export of rails to U.S.S.R. as rails are produced in steel plants. So far export of wagons is concerned, a protocol has been signed between the State Trading Corporation of India Ltd, and M/s. Machinoimport, U.S.S.R, on 13-3-68 laying down the procedure to be followed for further negotiations in order to supply wagons to U.S.S.R. The drawings and specifications of U.S.S.R. Railways have already been received. The Vice Minister of Soviet Raliways who led the Soviet delegation has asserted that the wagons are required for use over the U.S.S.R. Railways and the Government have no information to the contrary.

**ग्रेड दो के क्लर्कों की ग्रेड एक के क्लर्कों में पदोन्नति**

8195. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1962 से अब तक उत्तर रेलवे, दिल्ली, किशनगंज के ट्रैफिक अकाउन्ट्स सिनियरटी यूनिट में ग्रेड दो के कितने क्लर्कों को पदोन्नत किया गया है और प्रत्येक नाम के आगे यह भी बताया जाये कि उसने अपैंडिक्स दो में अहर्ता प्राप्त कर ली है अथवा नहीं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** 232

(i) अपैंडिक्स II-ए में अर्हता प्राप्त पदोन्नत क्लर्कों की संख्या ...149

(ii) बिना अर्हता प्राप्त पदोन्नत क्लर्कों की संख्या ... 83

**पश्चिम रेलवे के ट्रैवलिंग इन्सपेक्टर्स आफ अकाउन्ट्स**

8196. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर आकस्मिक अवकाश तथा अन्य छुट्टियों के लिये ट्रैवलिंग इंस्पैक्टर्स आफ अकाउन्ट्स को लाइन स्टाफ समझा जाता है या आफिस स्टाफ समझा जाता है ; और

(ख) एक पत्री वर्ष में इन्हें कितने अकस्मिक अवकाश मिल सकते हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) पश्चिम रेलवे में, नैमित्तिक छुट्टी और दूसरे छुट्टियों के मामले में लेखा विभाग के चल निरीक्षकों को कार्यालय के दूसरे कर्मचारियों के ही समान माना जाता है।

(ख) एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिन।

**तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को कम्पलीमेन्टरी पास**

8197. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को कितने-कितने कम्पलीमेंटरी पास दिये जाते हैं ;

(ख) क्या दोनों श्रेणियों को इन पासों के दिये जाने में कोई अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों श्रेणियों को एक स्तर पर लाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) इन कर्मचारियों को जितनी सुविधा पास और सेवानिवृत्ति के बाद जितने मानार्थ पास दिये जाते हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :

**सुविधा पास**

| **तृतीय श्रेणी** | | **चतुर्थ श्रेणी** | |
|---|---|---|---|
| 5 वर्ष की रेल सेवा तक | प्रतिवर्ष एक सेट | 5 वर्ष की रेल सेवा तक | प्रतिवर्ष एक सेट |
| 5 वर्ष से अधिक रेल सेवा | प्रतिवर्ष तीन सेट | 5 वर्ष से अधिक रेल सेवा | प्रतिवर्ष तीन सेट |

**सेवा-निवृत्ति के बाद मानार्थ पास**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 वर्ष की रेल सेवा | प्रतिवर्ष एक सेट | 25 वर्ष की रेल सेवा और अधिक | 5 वर्ष में एक बार इकहरी यात्रा के दो पास |
| 30 वर्ष की रेल सेवा | प्रतिवर्ष दो सेट | | |

(ख) इन कर्मचारियों को दिये जाने वाले सुविधा पासों की संख्या में कोई अन्तर नहीं है।

सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाले मानार्थ पासों में अन्तर का कारण यह है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या जो इन पासों के हकदार होंगे, बहुत बड़ी है और इनकी शिनाख्त करने के बाद उनको पास जारी करने में प्रशासनिक कठिनाइयां आयेंगी तथा इससे गाड़ियों में भीड़-भाड़ भी बढ़ जायेगी ।

(ग) और (घ). वित्तीय तंगी और ऊपर बताई गयी कठिनाइयों को देखते हुए यह समय वर्तमान सुविधाओं को और उदार बनाने के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

**रुपयों में भुगतान के आधार पर ट्रैक्टरों का आयात**

8198. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा चैकोस्लोवाकिया से आयात किये गये ट्रैक्टरों के आतिरिक्त अन्य देशों से रुपयों में भुगतान के आधार पर ट्रैक्टरों का आयात करने के कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). जी, हां । अधिकांश यूरोपीय देश ट्रैक्टरों का उत्पादन और उनका निर्यात कर रहे हैं । निम्नलिखित देशों ने निम्नवर्णित विभिन्न ट्रैक्टरों का प्रस्ताव रखा है :

| | | |
|---|---|---|
| बल्गारिया | ... | 30 एच० पी० क्रालर ट्रैक्टर<br>पावर टिलर्स (10 एच० पी०) |
| जर्मन जनवादी गणतंत्र | ... | ह्वील्ड ट्रैक्टर 30 एच० पी० |
| हंगरी | ... | हाई एच० पी० ह्वील्ड ट्रैक्टर |
| रूमानिया | ... | 65 एच० पी० क्रालर ट्रैक्टर<br>45 एच० पी० ह्वील्ड ट्रैक्टर |
| यूगोस्लाविया | | क्रालर ट्रैक्टर्स 65 एच० पी०<br>तथा उससे अधिक |

इसके अतिरिक्त पोलैण्ड तथा यूगोस्लाविया का भारत में ह्वील्ड ट्रैक्टरों के लिये सहयोग चालू है और वे दोनों उसी किस्म के संपूर्ण ट्रैक्टर निर्यात करने के इच्छुक हैं । सरकार 20 एच० पी० वर्गक्रम के अलावा, जिसका देश में निर्माण नहीं हो रहा, है किसी भी ह्वील्ड ट्रैक्टर का आयात करने को सहमत नहीं है । क्रालर ट्रैक्टरों का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की संभावना है और इस प्रकार के निर्माण के लिये संघटकों के आयात का प्रश्न विचाराधीन है । वर्तमान सहयोग के सम्बन्ध में संघटक पोलैण्ड तथा यूगोस्लाविया से आयात किये जा रहे हैं ।

**रूस से निकल का आयात**

8199. **श्री दीवीकन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस भारत को 400 मीटरी टन निकल की सप्लाई करने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सप्लाई कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ग) उस निकल से देश में धातु मिश्रित उद्योग के विकास को कितनी सहायता मिलेगी ;

(घ) क्या निकल की इस मात्रा की सप्लाई वर्षवार की जायेगी ; और

(ङ) क्या इस धातु की देश में अविलम्ब आवश्यकता है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) हां, महोदय ।

(ख) इस प्रदाय के सम्बन्ध में एक व्यापारिक संविदा के लिये भारत में स्थित सोवियत व्यापारिक प्रतिनिधि के साथ बातचीत हो रही है और इसके 1968 के दौरान सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) अविकारी-इस्पात (स्टैन्लैस स्टील) व अन्य प्रकार की कई और मिश्र धातुओं और विशेष प्रकार के इस्पातों के बनाने के लिये निकल एक आवश्यक मिश्र धातु है । संसार भर में इस धातु की तीव्र न्यूनता है और इसे खुले बाजार में प्राप्त करने के सभी प्रयास सीमित रूप से ही सफल हो पाये हैं । रूस द्वारा प्रत्याशित प्रदाय से देश में अविकारी-इस्पात और विशेष प्रकार के इस्पात के निर्माण के लिये स्थापित एककों के चलाने में बहुत मात्रा तक सहायता मिलेगी ।

(घ) यह मात्रा केवल 1968 के लिये है । 1969 व अनुगामी वर्षों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सोवियत प्राधिकारियों के साथ वार्षिक व्यापार आयोजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के समय बातचीत की जायेगी ।

(ङ) हां, महोदय ।

**पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विकास पर घेराव का प्रभाव**

8200. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद भी उद्योगों में घेराव के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन घेरावों में उद्योगों के विकास पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) राष्ट्रपति के शासन के दौरान तथा उससे पहले घेरावों के कारण किन-किन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या इस स्थिति को देखते हुए उद्योगपतियों ने उस राज्य से अपना व्यापार अन्य स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है ; और

(ङ) उद्योगपतियों को अपना काम चलाने में सुरक्षा में सहायता के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**कृषि उपकरणों पर आयात शुल्क**

8201. **श्री दीवोकन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस देश की जनता को ब्रिटेन में अपने रिस्तेदारों से सीमा-शुल्क दिये बिना उपहार के रूप में ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायत उन लोगों से भी जिनके रिस्तेदार अमरीका, रूस तथा कनाडा जैसे अन्य देशों में हैं, दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). मामला अभी विचाराधीन है ।

**पश्चिम रेलवे के कांडला बंडर स्टेशन पर खाद्यान्नों की ढुलाई**

8203. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कांडला बंडर स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन 300 डिब्बों में अनाज ढोया जाता है जिसमें लगभग 45,000 बोरियां होती हैं जबकि उन बोरियों पर रेलवे के चिन्ह लागाने के लिये केवल तीन व्यक्तियों को रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**अमरीका से भेड़ों का आयात**

8204. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीका से भेड़ों का आयात करता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक अमरीका से कितनी भेड़ों का आयात किया गया है ;

(ग) चौथी योजना की कालावधि में लगभग कितनी भेड़ें आयात की जायेंगी ; और

(घ) भेड़ों के आयात पर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा चुकी है और इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना में कितनी धनराशि खर्च की जानी है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां। देश में बढ़िया ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयोजन से भेड़ों की स्वदेशी नस्लों का विकास करने हेतु 1964-65 में संयुक्त राज्य अमेरिका से 400 रैम्बोइलेट भेड़ों का उपहार प्राप्त हुआ था। आयातित भेड़ों पर किये गये परीक्षण सफल सिद्ध हुये हैं और हाल ही में 1467 भेड़ों की एक और खेप आयात की गई है।

(ग) और (घ). अब तक भाड़े सहित 347,326 अमरीकी डालर की राशि खर्च की गई है। चौथी योजना में भेड़ों के आयात के प्रक्कलन बताना सम्भव नहीं है क्योंकि योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

## निर्मित तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं का निर्यात

8205. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दस वर्षों से मूल उत्पादों (प्राइमरी प्रोडक्ट्स) की अपेक्षा निर्मित तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इनका निर्यात और अधिक बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) कार्यवाही के बारे में एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1001/68]**

## रेलवे मास्टर कार्ड

8206. **श्री चक्रपाणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में यातायात लेखा प्रणाली में यंत्रों का प्रयोग आरम्भ करने के कारण प्रत्येक रेलवे के लिए कितने मास्टर कार्ड तैयार किये गये हैं ;

(ख) इस समय प्रत्येक रेलवे पर कितने मास्टर कार्ड उपलब्ध हैं ;

(ग) 1966 और 1967 में प्रति मास प्रत्येक रेलवे पर पृथक-पृथक कितने मास्टर कार्ड तैयार किये गये हैं ;

(घ) क्या मास्टर कार्ड मानदेय के आधार पर तैयार किए जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो 1966 और 1967 में पृथक-पृथक प्रत्येक रेलवे में उन पर कितना व्यय हुआ है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख).

| रेलवे का नाम | मास्टर कार्डों की संख्या (हजार में) | |
|---|---|---|
| | जो प्रारम्भ में तैयार किये गये | जो इस समय उपलब्ध हैं |
| मध्य | 45 | 109 |
| पूर्व | 35 | 109 |
| उत्तर | 31 | 146 |
| पूर्वोत्तर | 20 | 79 |
| पूर्वोत्तर सीमा ... | 7 | 41 |
| दक्षिण ... | 35 | 113 |
| दक्षिण मध्य | 48 | 86 |
| दक्षिण पूर्व | 26 | 91 |
| पश्चिम | 54 | 145 |

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-1002/68]

(घ) और (ङ). जी हां, कुछ रेलों द्वारा कुछ समय के लिए।

| रेलवे | वर्ष में मानदेय के रूप में दी गई रकम | |
|---|---|---|
| | 1966 | 1967 |
| | ( रुपये ) | ( रुपये ) |
| मध्य | 4,268 | 1,290 |
| पूर्व ... | 6,211 | 1,219 |
| उत्तर | 17,775 | 6,310 |
| पूर्वोत्तर | — | — |
| पूर्वोत्तर सीमा | — | — |
| दक्षिण ... | 14,211 | 1,765 |
| दक्षिण मध्य | 2,105 | 3,081 |
| दक्षिण पूर्व ... | — | — |
| पश्चिम ... | — | — |

## उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों का विकास

8207. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों का और विकास करने की सम्भावना पर विचार किया गया है ; और

(ख) कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को गत पांच वर्षों में कितनी सहायता दी गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1003/68]**

## पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलवे में दुर्घटनायें

8208. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1967 से 28 फरवरी, 1968 तक की अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे तथा दक्षिण रेलवे में क्रमशः कितनी दुर्घटनाएं हुई थीं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : 1-1-1967 से 29-2-1968 तक की अवधि में टक्कर लगने, पटरियों से उतर जाने, समपारों पर सड़क यातायात से टकरा जानेऔर गाड़ियों में आग लग जाने की कोटियों में पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलों पर क्रमशः 176 और 163 गाड़ी दुर्घटनायें हुईं ।

## उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें

8209. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) उनमें कितने नियमित तथा नैमित्तिक मजदूर नियुक्त हैं ;

(ग) वर्ष के अन्त में जिन मिलों ने घाटा दिखाया था उनका ब्यौरा क्या है और इस समय कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं ; और

(घ) इन मिलों की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में 31 सूती कपड़ा मिलें हैं तथा एक विवरण संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मिलों की संख्या उनमें लगे हुए अस्थायी तथा स्थायी मजदूरों की संख्या दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-1004/68]**

(ग) केवल तीन मिलें बन्द पड़ी हैं। वर्ष के अन्त में जिन मिलों ने घाटा दिखाया उनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) ऐसी सूती कपड़ा मिलों की, जिन पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जाती है। जांच रिपोर्टों के आधार पर कुछ मिलें, जो सीमित धन लगाने पर उचित समय में अर्थक्षम बनाई जा सकती हैं, उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गये प्राधिकृत नियंत्रक को सौंपी जाती हैं। सम्बद्ध राज्य सरकार के परामर्श से उपयुक्त मामलों में वित्तीय सहायता भी दी जाती है। यदि कोई मिल इतनी पुरानी हो कि उसका पुनर्स्थापन करना लाभप्रद न हो तो उसे व्यर्थ घोषित करने की कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश में, उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत इस समय एक कपड़ा मिल का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जा रहा है।

## हावड़ा से टूंडला तक विद्युतीकरण

8210. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से टूंडला तक रेलवे विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). हावड़ा-टूंडला खण्ड पर हावड़ा से कानपुर तक के हिस्से का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है। इस खण्ड के बाकी हिस्से अर्थात कानपुर और टूंडला के बीच विद्युतीकरण का काम विद्युतीकरण के चालू कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और परियोजना अनुमान की मंजूरी दे दी गई है। योजना से सम्बन्धित वास्तविक निर्माण-कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है। ऊपरी उपस्कर, स्विचिंग स्टेशनों और एल० टी० सप्लाई बूस्टर ट्रान्सफार्मर स्टेशनों और ट्रैक्शन सब-स्टेशनों की सप्लाई करने तथा उन्हें लगाने के लिये आर्डर भी दिए जा चुके हैं। कानपुर-टूंडला खण्ड के विद्युतीकरण का वास्तविक क्षेत्र कार्य शुरू कर दिया गया है और आशा है यह काम 1970-71 तक पूरा हो जायेगा।

## रेलवे गार्ड

8211. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डों का वेतन बढ़ाने और उनके कार्य की शर्तों में सुधार करने के लिये अन्तिमरूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गार्ड परिषद के सदस्य उन्हें हाल में मिले थे ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मागें गया हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ङ). गार्डों की ओर से अभ्यावेदन मिले थे। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं— उनके वेतन-मानों में वृद्धि की जाये । प्रतिशत के आधार पर पदों का पुनर्वितरण किया जाए, बेहतर पदोन्नति सरणि की व्यवस्था की जाए और रनिंग भत्ते की दरें संशोधित की जायें । सरकार ने उन मांगों पर विचार किया था, लेकिन उनका औचित्य नहीं पाया गया, केवल रनिंग भत्ते के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना आवश्यक समझा गया। (गार्डों सहित) सभी वर्गों के रनिंग कर्मचारियों के रनिंग भत्ते के नियमों और दरों पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। मई, 1968 के अन्त तक समिति की रिपोर्ट के मिल जाने की आशा है।

## संकटग्रस्त कपड़ा मिल

8212. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन) अधिनियमन, 1968 के बनाये जाने के बाद किसी कपड़ा मिल को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह विलम्ब धन उपलब्ध न होने के कारण हुआ है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सूती कपड़ा (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा समापन अथवा पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1967 में ही किसी वस्त्र उपक्रम को आरम्भ में कब्जे में लेने की कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु यह केवल ऐसे उपक्रमों पर लागू होता है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार पहले ही सरकार के प्रबन्ध में हैं अथवा जो इसके पश्चात उस अधिनियम के अन्तर्गत कब्जे में लिए जाएं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## संयुक्त सहयोग का कार्य संचालन

8213. **श्री रवि राय :**
**श्री दीवीकन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उद्योगों की अखिल भारतीय संस्था द्वारा भारत में संयुक्त

सहयोग के कार्यसंचालन के बारे में 9 महीने के अध्ययन के बाद तैयार किए प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जैसा कि 25 मार्च, 1968 के नेशनल हेरल्ड में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1005/68**]

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा नोट कर ली गई हैं ।

## दुग्ध चूर्ण के कारखाने

8214. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के सहयोग से दुग्धचूर्ण के दो कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं ;

(ख) प्रतिदिन दुग्धचूर्ण का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(ग) कारखानों को कहां स्थापित किया जायगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 6 मी० टन ।

(ग) राजस्थान में धोलपुर और मध्य प्रदेश में इन्दौर ।

## Railway Stations in Bhusawal and Itarsi Divisions

8215. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number and names of those Railway Stations in Bhusawal and Itarsi Divisions of the Central Railway which were constructed about 100 years back ; and

(b) whether Government propose to reconstruct these stations in view of the fast increasing traffic ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) There is no Itarsi Division on Central Railway in Bhusawal Division station buildings at two stations namely Bhadli and Bhusawal were constructed about 100 years back.

(b) No. These station buildings are in good condition.

**Industries in Madhya Pradesh**

8216. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received applications for the grant of licences for the setting up of industries in Madhya Pradesh from the year 1964 to date ;

(b) if so, the names of the persons who applied for the grant of licences and the names of the industries they propose to set up ; and

(c) the number of applications sanctioned, the number of applications rejected and the number of applications on which decision is pending ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) to (c). Information regarding the No. of applications for licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 received for setting up of industries in Madhya Pradesh and the numbers approved, rejected etc., during 1964 (13-2-64) to 31-3-68 and the industries to which they relate is as follows :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | No. of applications received | | 227 |
| 2. | No. of applications approved | .. | 33 |
| 3. | No. of applications rejected | .. | 173 |
| 4. | No. of applications on which decision is still pending | .. | 21 |

5. Names of industries to which the above applications relate—Iron and Steel castings, pig iron foundry, Alloy Steel, Tin plates Seamless steel tubes, Coal and Coke, Electrical Equipment, Television, Diesel engines, motor starters and power driven pumps, Railway wagon, Mopeds, Motor cycles and Scooters, Auto and industrial gears, Milling cutters, Dairy machinery, Flour Mill machinery, Tractors, Fractional H. P. Motors, Diesel Engines, Fertilizers and Chemicals, Cotton and silk textiles, Wheat Products, Sugar, Beer, Vegetable oil and Vanaspathi, Paper, pulp and boards, Regenerated rubber, Glass Tiles, Cement.

In so far as approved cases are concerned the names of applicants together with the items of manufacture for which they have been licenced are regularly published in the Indian Trade Journal, Jounral of Industry and Trade and the Weekly Bulletin of Licences Issued, published by the Chief Controller of Imports and Exports. Full details of applications are not normally published prior to decision being taken on them.

**Sheds over Platforms on Stations of Bhusawal-Itarsi Section**

8217. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations on Bhusawal-Itarsi Section which have sheds over their Platforms ;

(b) the alternative arrangements made for protection from sun and rain at stations where there are no sheds ; and

(c) the names of stations which are district and tehsil headquarters among them where there are no sheds ; and

(d) the time by which sheds are proposed to be provided there ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) Out of 37 stations on the Bhusawal-Itarsi Station, 33 stations have waiting facilities in the form of waiting hall/shed or cover over the platforms.

(b) Proposals for provision of adequate waiting facilities at the remaining four stations **viz.** Asirgarh Road. Kurawan, Masingaon and Chhidgaon are being developed for inclusion in the 1968-69 Works Programme subject to availability of funds.

(c) The stations serving District and tehsil headquarters have been provided with the sheds.

(d) The question does not arise in view of answer to (c) above.

**Gazetted Officers in Bhusawal and Itarsi Divisions on the Central Railway**

8218. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Gazetted Officers working in Bhusawal and Itarsi Divisions are stationed there for more than four years;

(b) whether it is contrary to the current rules in this regard; and

(c) if so, the number of such officers and the reasons for not transferring them from there?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) and (b). No.

(c) Does not arise.

**Industrial Development of M. P.**

8219. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh is more backward as compared to other States from the point of view of industrial development per capita income and employment;

(b) whether Government propose to set up some industrial projects in Madhya Pradesh for its quick development; and

(c) if so, the projects to be set up in the public sector during the Fourth Five Year Plan?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**: (a) It is a fact that Madhya Pradesh is among the less developed States in the country.

(b) and (c). The work on the formulation of the Fourth Five Year Plan has just been initiated. It is not possible to indicate at this stage the projects likely to be taken up in Madhya Pradesh during this Plan period.

**Closure of Textile Mills in Vidharbha**

8221. **Shri Dearao Patil**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of textile mills in Vidharbha which were closed down by their owners during the last five years and the reasons therefor;

(b) the number of labourers rendered jobless as a result of closure of these mills ;

(c) the number of mills, which have been started working again and are functioning under Government control ; and

(d) whether any of the mills would function under the new Corporation proposed to set up ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

## इस्पात कारखानों के लिये लौह अयस्क

8222. **श्री दामानी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के लिए अपेक्षित लौह अयस्क के लिए दिये जाने वाले नये मूल्यों के बारे में कोई बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति मीट्रिक टन् अतिरिक्त लागत कितनी आयेगी ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). एक ओर लौह अयस्क के उत्पादकों और दूसरी ओर एम० एम० टी० सी० और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ कुछ बातचीत की गई है परन्तु लौह-अयस्क के नये मूल्य के बारे में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है ।

## मुरादाबाद में लघु उद्योग

8223. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रकार के व्यवसायों के कितने लघु निर्माता यूनिटों का स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट, मुरादाबाद में रजिस्टर किया गया है ;

(ख) प्रत्येक निर्माता यूनिट की स्थापना से अब तक कितनी उत्पादन क्षमता है;

(ग) यूनिट के आरम्भ होने से अब तक वर्षवार प्रत्येक निर्माता यूनिट को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(घ) राज्य के कोटे में से प्रत्येक यूनिट को कितने मूल्य का तथा कितनी मात्रा में कच्चा माल दिया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) मुरादाबाद में कोई भी लघु उद्योग संस्था न नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश**

8224. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश के पास इस समय प्रत्येक धातु का कितना भण्डार है तथा उसका मूल्य कितना-कितना है ;

(ख) वर्तमान भण्डार कितनी-अवधि से पड़े हुए हैं ;

(ग) भण्डार में पड़ी प्रत्येक धातु का प्रति क्विंटल मूल्य कितना है ; और

(घ) निगम द्वारा निर्माताओं को धातु वितरित किये जाने का तरीका क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**उत्तर प्रदेश में उद्योगों को दिया गया ऋण**

8225. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने उद्योगों को ऋण दिये गये हैं और उनमें से कितने उद्योगों में इस समय काम हो रहा है ; और

(ख) चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**उत्तर प्रदेश के लिये स्टेनलेस स्टील का नियतन**

8226. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1957 से 28 फरवरी, 1968 तक उत्तर प्रदेश के लिये स्टेनलेस स्टील का कितनी मात्रा में नियतन किया गया तथा वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा में नियतन किया गया ;

(ख) उत्तर प्रदेश में स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं के विभिन्न निर्माताओं को सरकार द्वारा नियत किये गये कोटे में से उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक द्वारा वर्षवार दिये गये स्टेनलेस स्टील की मात्रा के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं के प्रत्येक निर्माता को कितने-कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये तथा उनके पते क्या हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) बर्तन बनाने के लिये केवल अप्रैल-सितम्बर, 1961 लाइसेंस-अवधि से लेकर ही भिन्न-भिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों को लाइसेंस दिये गये हैं। अप्रैल-सितम्बर, 1961 से लेकर उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश को निम्न-लिखित आवंटन किये गये हैं।

| अवधि | मात्रा टनों में |
|---|---|
| अप्रैल-सितम्बर, 1961 | 15 |
| अक्तूबर, 1961-मार्च, 1962 | 17 |
| अप्रैल-सितम्बर 1964 | 107 |

(ख) आवंटन राज्यों के उद्योग निदेशकों को किये जाते हैं और वे आगे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को माल देते हैं। उसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है।

(ग) ऐसा विचार है कि 11 वर्ष से अधिक वर्षों के लिये सविस्तार जानकारी इकट्ठी करने में जितनी मेहनत और समय लगेगा वह निकलने वाले परिणाम की तुलना में बहुत अधिक होगा।

## निषेध मदों के आयात के लिये लाइसेंस

8227. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
**श्री अब्राहम :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० गोपालन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2666 तथा 27 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1873 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निषेध मदों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे में विशेष पुलिस संस्थान ने इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(घ) देरी के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (घ). विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच अभी जारी है। चूंकि यह जांच भारत में कई स्थानों पर की जानी है इसलिये इसमें कुछ और समय लग सकता है।

**दुर्गापुर इस्पात कारखाना**

8228. **श्री उमानाथ :** **श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की सम्भावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन दल की रिपोर्ट मई, 1968 में उपलब्ध हो जायेगी ।

**खनिजों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण**

8229. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री गणेश घोष :**
**श्री भगवान दास :** **श्री एस्थोस :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के मैसर्स पारसन्स कारपोरेशन और मैसर्स एयरो-सर्विस कारपोरेशन को खनिजों का वैमानिक सर्वेक्षण करने का ठेका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं तथा कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) वैमानिक सर्वेक्षण करने के हेतु आधुनिक साज-सामान खरीदने के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) हां, महोदय। "आपरेशन हार्ड राक" प्रायोजना के लिये ठेका मैसर्स पारसन्स कारपोरेशन को दिया गया है। मैसर्स एयरो-सर्विस कारपोरेशन को हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण करने के लिए उप-ठेका दिया गया है।

(ख) निबन्धन व प्रतिबन्धों के अनुसार संविदाकार व उप-संविदाकार भारत सरकार के नियंत्रण में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार के चुने हुए क्षेत्रों में कार्य करेंगे। इस कार्य के अन्तर्गत, खनिज निक्षेपों के मूल्यन के लिये लगभग 1,04,000 लाइन-किलोमीटर क्षेत्र का हवाई विद्युत-चुम्बकीय, चुम्बकीय और रेडियोमितीय सर्वेक्षण और भूमि पर भूवैज्ञानिक, भूभौतिक, भूरसायनिक सर्वेक्षण और हीरक आन्तरक व्यधन (डायमंड कोर ड्रिलिंग) सहित

विस्तृत भूमि-अनुपरीक्षण कार्य आदि आते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे आवश्यक साधन-विनियोगों से लैस एक हवाई जहाज, प्रयोगशाला उपकरण आदि का आयात करेंगे और भूविज्ञान, भूभौतिकी, भूरसायन, चित्र-भूविज्ञान, धातुविज्ञान और व्यधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भारतीय तकनीकी अधिकारियों के सहयोग में कार्य करने के लिए भारत बुलायेंगे।

संविदाकारों से यह भी प्रत्याशा की जाती है कि वे एक केन्द्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला और चलती-फिरती रसायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना में भारत सरकार की सहायता करेंगे। संविदाकार एक एकीकृत आधुनिक पूर्वेक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण भी देंगे। सारा कार्य हवाई सर्वेक्षण कार्यवाहियों के शुरू किये जाने से 30 महीनों की अवधि में पूरा किया जाना है।

सारी प्रायोजना के लिये कुल 35 लाख डालर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, जोकि अमरीका सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी जायेगी।

(ग) यह स्पष्ट नहीं कि इस संदर्भ में "आधुनिक साजसामान" से क्या लक्षित है। सम्भवतः माननीय सदस्य इस कार्य के लिये अमरीका से आयात किये जाने वाले उपकरणों के सम्बध में सूचना चाहते हैं। इस प्रायोजना के लिए इन उपकरणों की खरीद के लिये कुल 7.5 लाख डालर की राशि की आवश्यकता है।

**माडल वूलन मिल्स, बम्बई**

8230. **श्रीनायनार :**
**श्री वि० कु० मोडक :**
**श्री नम्बियार :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 तथा 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 2634 और 2872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडल वूलन मिल्स, बम्बई द्वारा रेशम के करघों को अवैधरूप से ऊन के करघों में बदलने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा और देरी के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (घ). प्रतिवेदन की अभी जांच की जा रही है जिसमें कुछ और समय लगाने की सम्भावना है।

**बिड़ला उद्योग समूह की सूती कपड़ा मिलों पर छापे**

8231. **श्री चक्रपाणि :** **श्री रमानी :**

**श्री अ० क० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो सूती कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में न्यायालय में दायर की गई आरोप सूचियों में क्या आरोप लागये गये हैं ;

(ख) ऐसी मिलों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है ; और

(ग) यह जांच-कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है तथा इस बारे में देरी होने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा दो सूती कपड़ा मिलों अर्थात मैसर्स बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली तथा मैसर्स टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाइल्स, भिवानी के सम्बन्ध में न्यायालय में दायर की गई आरोप सूचियों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-1006/68]**

(ख) और (ग). मेसर्स भिवानी टेक्सटाइल्स मिल्स, भिवानी के सम्बन्ध में भी छानबीन पूरी कर ली गई है और न्यायलय में एक आरोप सूची दायर कर दी गई है। मैसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी, बम्बई तथा मैसर्स जियाजीराव काटन मिल्स, ग्वालियर के सम्बन्ध में छानबीन जारी है। अन्य तीन मिलों अर्थात मैसर्स न्यू स्वदेशी मिल्स, अहमदाबाद, मैसर्स मंजुश्री टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद तथा मैसर्स केशोराम इंडस्ट्रीज, कलकत्ता के सम्बन्ध में सम्बद्ध अभिलेखों को प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। वे अभिलेख इस समय न्यायिक परिरक्षा में सील-युक्त पड़े हुए हैं।

**नारियल जटा मजदूरों के लिए कल्याण योजना**

8232. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

**श्री अब्राहम :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई कल्याण योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि उस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है तथा देरी होने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1007/68**]

(ख) सीमित साधनों के कारण कल्याण के उपायों का उत्तरदायित्व अधिकांशतः राज्य सरकारों पर है और नारियल जटा बोर्ड का मुख्य कार्य नारियल जटा उद्योग को निर्यात के विशिष्ट संदर्भ में विकसित करना है, इसलिए ऐसा समझा जाता है कि नारियल जटा बोर्ड, नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों के लिए इस प्रकार की कल्याण योजनाओं को शुरू करने के लिए उपयुक्त संस्था नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**Import and Export of Films**

8233. **Shri Onkar Lal Bohra :**
**Shri Deiveekan:**
**Shri Mayavan :**
**Shri Subravelu .**
**Shri Dhandapani ;**
**Shri Narayanan :**
**Shri Jyotirmoy Basu :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which Indian films are exported and the foreign exchange earned by India during the last five years thereby ;

(b) the number of films imported by India during these five years, the names of the countries from which they were imported and the expenditure incurred thereon ; and

(c) the policy being pursued by the Ministry in regard to the selection of films which are being imported ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)** : (a) The more important countries to which Indian films are exported are the U. K., East Africa, North Africa, West Africa, Sudan, Middle East countries, Iran, Mauritius, Fiji, West Indies, Persian Gulf countries, Ceylon, Burma, Singapore and Malaysia. The value of exports from 1963-64 upto December, 1967 stood at 18.27 million U.S. dollars.

(b) Import statistics of films is maintained by the Director General Commercial Intelligence and Statistics Calcutta, in metres. Import of 14.88 million metres valuing 3.05 million dollars was made during 1963-64 upto December, 1967. The more important countries from which films were imported were the U. K., the U.S.A. and the U.S.S.R.

(c) Policy regarding the selection of imported films is being framed from time to time by the Government on the recommendations of the Ad-hoc Screening Committee set up by the Ministry of Information & Broadcasting.

**व्यापार प्रक्रियाओं का प्रभाव**

8234. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें विकसित देशों के गैर-सरकारी उद्योगपतियों की व्यापार प्रक्रियाओं के विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो संकल्प का सही स्वरूप क्या था और उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) संकल्प में प्रस्तावित निरोधक कार्यवाही का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया जिसमें यह निश्चय किया गया कि विकसित देशों के गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा अपनाये गये प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक तरीकों के प्रश्न पर, विकासशील देशों, विशेषत: कम विकसित देशों, के निर्यात हितों पर ऐसी प्रक्रियाओं के प्रभाव के विशेष संदर्भ में, अध्ययन किया जाए। इस अध्ययन का स्वरूप, कार्य-क्षेत्र तथा विशिष्टताएं, व्यापार तथा विकास बोर्ड द्वारा, इस वर्ष के अन्त में होने वाले अपने 17वें सत्र में, निर्मित माल समिति के विचार जान लेने के पश्चात्, निश्चित किये जाने हैं।

**Hindi Training Scheme**

8235. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of gazetted officers in his Ministry as on the 15th March, 1968 and the number of gazetted officers among them who know Hindi ;

(b) the number of gazetted officers who do not know Hindi and are learning Hindi under the Hindi Teaching Scheme ; and

(c) the time by which it is proposed to teach Hindi to the remaining gazetted officers ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) and (b). The required information is being compiled and it will be laid on the Table of the House in due course.

(c) It is not possible to give precise idea of the time by which work relating to Hindi Teaching Scheme will be completed.

**Teaching of Hindi to the Staff in the Ministry of I. D. & C. A.**

8236. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Class I, Class II and Class III employees separately not knowing Hindi in his Ministry as on the 31st December, 1967 ;

(b) whether his Ministry has drawn some roster to teach them Hindi ; and

(c) if so, the time by which the work regarding teaching them Hindi is likely to be completed ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) The requisite information is being collected and it will be laid on the Table of the House shortly.

(b) Yes, Sir.

(c) It is not possible to give precise idea of the time by which work relating to Hindi Teaching Scheme will be completed.

**Employees not knowing Hindi in Commerce Ministry**

8237. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of Class I, Class II and Class III employees, separately, not knowing Hindi in his Ministry as on the 31st December, 1967 and as on 15th March, 1968 ;

(b) the number of those who are learning Hindi under the Hindi Teaching Scheme ;

(c) whether his Ministry has drawn some roster to teach Hindi to those who do not know Hindi or have not learnt ;

(d) if so, the time by which the work of teaching them Hindi is likely to be completed ; and

(e) if not, the time by which the said roster is likely to be drawn ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) and (b). A statement containing the information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1008/68]**

(c) Yes, Sir.

(d) About five years, if those nominated for training under the Scheme continue to learn Hindi regularly.

(e) Does not arise.

**सूक्ष्म औजारों का निर्माण**

8238. **श्री अम्बचेजियान :** **श्री वि० ना० शास्त्री :**
**श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सूक्ष्म औजारों का निर्माण करने वाले कारखानों के कार्य संचालन का अध्ययन करने तथा उनका विविधकरण करने के बारे में परामर्श देने हेतु रूस का एक चार-सदस्यीय दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(घ) उनके सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (घ). सोवियत रूस के इन्स्ट्रूमेंटेशन मंत्रालय के उपमंत्री के नेतृत्व में आए रूसी विशेषज्ञों के दल से कोटा तथा नई दिल्ली में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कोटा कारखाने में बनाये जाने वाले यंत्रों की श्रेणी के बारे में एक सलेख पर 16 अप्रैल, 1968 को

हस्ताक्षर किये गये थे। इस सलेख में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की भी व्यवस्था है :

(1) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के कोटा स्थित कारखाने के उत्पादन में इस आशय से विविधता लाई जाय जिससे कारखाने में फालतू क्षमता का प्रयोग किया जाय जो इस समय उपलब्ध जान पड़ती है।

(2) कोटा के कारखाने में कुछ ऐसे अनिवार्य पूरक यंत्रों का कम से कम उत्पादन किया जाय जिनका आयोजन मूलरूप से इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० के पालघाट कारखाने के लिये किया गया था।

(3) अत्यन्त आधुनिक प्रक्रिया यंत्रों का उत्पादन करना।

**निवेली लिग्नाइट परियोजना**

8239. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली, लिग्नाइट परियोजना के कार्यकरण को सुधारने के लिये किसी विशेष खनन उपकरण का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इसका आयात करना आवश्यक हो गया है ; और

(ग) इस उपकरण पर कुल कितना खर्चा होगा और किस देश से इसका आयात किया जायेगा ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता विद्युत केन्द्र (600 मेगावाट), उर्वरक संयंत्र ब्रिक्विटग और कार्बनीकरण संयंत्रों की निर्धारित क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 63 लाख मैट्रिक टन लिग्नाइट का उत्पादन करने के लिये है।

(ग) कुल अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपये है। किन देशों से यह उपकरण आयात किये जायें इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

**रेलवे द्वारा मध्य भारत से दिल्ली तक सामान लाने में विलम्ब**

8240. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मध्य भारत से दिल्ली सामान लाने में रेलवे द्वारा विलम्ब किये जाने के फलस्वरूप फल उत्पादकों को लगभग 25 लाख रुपये प्रतिमास घाटा उठाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो मध्य भारत के रेलवे द्वारा दिल्ली लाए गए फलों के औसतन कितने सौदों को हानि होती है ;

(ग) मध्य भारत से दिल्ली फल लाने में आमतौर पर विलम्ब होता है; और

(घ) इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस विलम्ब को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) फल के परेषणों को मार्ग में विलम्ब होने की रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) मध्य भारत से नयी दिल्ली आये ताजे फलों के 'फुटकर' और 'माल डिब्बा भर' परेषणों के क्रमशः केवल 0.1 और 1.5 प्रतिशत परेषणों की सुपुर्दगी क्षति का अनुमान लगाकर की गयी ।

(ग) और (घ). सामान्यतः फलों को मध्य भारत से दिल्ली पहुंचने में मार्ग में विलम्ब नहीं होता । इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिसमें मध्य भारत से दिल्ली के लिये ताजे फलों के यातायात के शीघ्र परिवहन के लिये 'फल स्पेशल' गाड़ियों का संचालन भी शामिल है।

**द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन**

8241. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भिन्न-भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के बीच व्यापार के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर नियंत्रण रखने वाले सदस्यों के एक संकल्प का प्रारूप तथा सिफारिश का प्रारूप प्रस्तुत किये थे;

(ख) यदि हां, तो इन दो प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इनके प्रति अन्य प्रतिनिधिमंडलों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). '77' देशों के समूह ने, जिसका भारत भी सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों का नियमन करने के उपायों के सम्बन्ध में एक संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया था । इस संकल्प में भिन्न-भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के बीच व्यापार के बारे में सिफारिशों की भी व्याख्या की गई थी । यह संकल्प कतिपय साधारण संशोधनों के साथ सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ । '77' देशों के समूह द्वारा स्वीकृत संकल्प की ओर अंत में सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प की एक-एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-1009/68]**

**पटसन उद्योग**

8242. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने अपने ज्ञापन-पत्र में सरकार से अनुरोध किया

था कि पटसन उत्पादकों को फार्म उपकरणों आदि की उदारतापूर्वक सप्लाई करके पटसन उत्पादकों की सहायता की जाये तथा प्रार्थना की थी कि 1968-69 की पटसन मूल्य नीति उदार बनाई जाये ताकि अधिक उपज हो सके और बढ़ती हुई कृषि लागत को निष्प्रभावी किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्री ( श्री दिनेश सिंह)** : (क) भारतीय पटसन मिल संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन नहीं भेजा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन**

8243. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन से दक्षिण अफ्रीका को निलम्बित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका के किन-किन देशों ने इसका संकल्प पेश किया था ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व एक संकल्प स्वीकृत हुआ कि महासभा के संकल्प 1995 (उन्नीसवां) को, जिसमें सम्मेलन की सदस्यता के नियम दिये गये हैं, यथासंभव शीघ्र समुचित रूप से संशोधित किया जाये ताकि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की सदस्यता से दक्षिण अफ्रीका को तब तक के लिये निकाला जा सके 'जब तक कि वह जातिय भेदभाव की नीति को समाप्त न कर दे और जब तक इस तथ्य की महासभा द्वारा विधिवत पुष्टि न हो जाये ।' भारत ने इन देशों के साथ संकल्प को सहप्रायोजित किया : अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बारबंडास, बरूण्डी, केमेरून, केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चाड़, चिली, कांगो (ब्राजाविले), कांगो (प्रजातंत्रीय गणराज्य), इथोपिया, गैबोन, गम्बिया, घाना, गिनी, इण्डोनेशिया, इराक, आइवरी कोस्ट, जैमका, केन्या, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, मलयेशिया, माली, मौरीटैनिया, मैक्सिको, मोरक्को, नाइजेर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पीरू, रूआण्डा, सऊदी अरब, सेनेगल, सिएरालियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, ट्यूनीशिया, उगाण्डा, संयुक्त अरब गणराज्य, तनजानिया का संयुक्त गणराज्य, अपर वोल्टा, वेनेजुला, यमन, युगोस्लाविया तथा जम्बिया ।

## केला तथा फल विकास निगम

8244. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केला तथा फल विकास निगम फलों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और केरल में केलों के बाग लगाना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और योजना की क्रियान्विति के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) केला तथा फल विकास निगम ने, निर्यात के लिये केले की खेती के अंतर्गत, आन्ध्र प्रदेश में 2,400 एकड़, केरल में 1,200 एकड़, मद्रास में 1,200 एकड़ तथा मैसूर में 600 एकड़ क्षेत्र लाने का प्रस्ताव रखा था । प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । जहां तक वित्तीय अनुमानों का संबंध है, अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

## Sleeper Coaches for 19 Down and 20 up Trains of Western Railway

8245. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sleeper coaches have been provided for second Class passengers in different Divisions of the Railways ;

(b) if so, the reasons for not providing such sleeper coaches in 19 Down and 20 Up trains of Western Railway ; and

(c) whether there is any proposal to provide such coaches in the aforesaid trains in future ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) to (c). Only a limited number of Second class sleeper coaches have become available so far and they have been introduced on important Mail and Express trains on different routes. As more such coaches, which are on order, become available, the question of introducing the same on 19 Down/20 Up Bombay Central-Dehra Dun Expresses will be considered along with other Mail and Express trains.

## Wine Factory at Hyderabad

8246. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to open a wine factory at Hyderabad ;

(b) if so, the estimated cost of the factory ; and

(c) the outlines of the scheme in this regard ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad)** : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**Phosphate Rock Deposits in Udaipur**

8247. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the phosphate rock deposits have been found in Udaipur, Rajasthan ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to exploit the same ?

**The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :** (a) Yes, Sir.

(b) These deposits are still under investigation and firm estimates of quality and quantity would be known only after the investigations are completed. Thereafter steps would be taken for exploitation.

**फरक्का पुल पर रेल की लाइन**

8248. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का पूल परियोजना की प्रगति की तेज गति को देखते हुए फरक्का पुल पर रेल की लाइन बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां।

(ख) फरक्का बांध योजना में एक रेलवे पुल बनाने का काम भी शामिल किया जा रहा है। पुल के गर्डर आदि तैयार करने और लगाने से सम्बन्धित काम तथा बांध के दोनों ओर बांध के संरेखण के अनुसार रेलवे लाइन का मार्ग बदलने के काम में रेल अधिकारी फरक्का बांध प्राधिकारियों के साथ ताल-मेल रख रहे हैं। आशा है, रेलवे पुल सहित समूचे बांध का निर्माण कार्य 1971 के अन्त तक समाप्त हो जायेगा।

**दिल्ली में ग्रामीण तेल संघ**

8249. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेली सहकारी समितियों का दिल्ली में ग्रामीण तेल संघ के नाम से एक संगठन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी सभी सदस्य समितियां समाप्त हो चुकी हैं परन्तु वह झूठी बिक्री दिखाकर सरकार से राज सहायता प्राप्त कर रहा है ;

(ग) क्या इस ग्रामीण तेल संघ के पदाधिकारी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये संघ का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) संघ में शामिल 13 सदस्य समितियों में से छः ने ग्रामीण तेल संबंधी कारोबार बंद कर दिया है । अभी तक काम कर रही सात समितियों में से पांच को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई द्वारा सहायता दी जाती रही है जिसने सूचित किया है कि उसे अभी तक किसी भी समिति के बारे में ऐसी सूचना नहीं मिली है कि उसने झूठी बिक्री दिखाकर राजसहायता प्राप्त की है ।

(ग) सरकार को अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Use of Non-Decimal Stamps in Northern Railway Headquarters**

8250. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that non-decimal stamps are used for correspondence purposes in the Northern Railway Headquarters even now and ;

(b) if so, the details of such stamps in the said Headquarters along with the total value of such stamps in their possession ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) No. However, a few such stamps supplied by the treasury in 1967 were being used by the Northern Railway in the early part of this year.

(b) Does not arise, as they are no longer in stock at present.

**Export of Shoes**

8251. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3782 on the 12th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that a major portion of export quota of shoes during 1967 was granted to M/s. Novelty (India) Exports, M/s. Bharat Kala Kendra (P) Ltd. and M/s. Aeroplane Shoes Factory ;

(b) whether it is also a fact that M/s. Bharat Kala Kendra (P) Ltd. do not manufacture shoes but they export shoes after purchasing them from small shoes shops ; and

(c) if so, the reasons why Government placed orders for export of shoes with such companies who do not manufacture shoes themselves ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)** : No, Sir.

State Trading Corporation of India does not allocate any quota for export of shoes to its associate suppliers as the selection of samples of shoes is done by the foreign buyers and the orders placed by them on the basis of approved samples are passed on by S. T. C. to its respective associates for execution.

(b) M/s. Bharat Kala Kendra (P) Ltd. do not purchase shoes from small shoes shops. They themselves get shoes made by the shoe fabricators under their complete supervision whom they provide many types of assistance such as issue of materiels, technical know how and financial assistance for the fabrication of shoes.

(c) Government do not place orders for the export of shoes on any firms. It is the U. S. S. R. buyers who place orders for the supply of shoes on the basis of samples supplied by the State Trading Corporation of India, Ltd., and its associates. The orders received by the State Trading Corporation on the samples of its associates are passed on to the latter for execution.

**Issue of Import Licences in U. P.**

8252. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the extent of two years' production shown by each applicant in 1573 applications received duly recommended from the Director of Industries, Kanpur in accordance with his Ministry's circular No. 155 ITC/PN/66-67 issued in December, 1966 ;

(b) the number of times the recommendations for grant of import licences were received from the Director of Industries, Kanpur ; and

(c) the number of applications as were without press line and were printed without obtaining the Government's approval ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) to (c). The information is being collected and will be furnished later on.

**बम्बई की रिटेल ग्रेन डीलर्स कोआपरेटिव सोसाइटी को आयात लाइसेंस**

8253. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की रिटेल ग्रेन डीलर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने लौंग, मेवे, सुपारी आदि आयात करने के लिये आयात लाइसेंस अथवा इन वस्तुओं के आयातित कोटे के नियतन की मांग की है ;

(ख) क्या उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत आवेदक पात्र नहीं था ।

**Manufacture of Capacitors**

8254. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state whether the capacitor industry is meeting the entire requirement of capacitors in the country ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** Capacitor industry is meeting the entire requirement of Electric Condensers, Power Capacitors, other electric Condensers. Only specialised type of high frequency and extra high voltage capacitors are not manufactured in the country.

As regrads Telephone and Wireless condensers 90 to 95% of their requirements are being met indigenously.

**Manufacture of Capacitors**

8255. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of factories manufacturing the undermentioned goods, their production capacity and the actual production being made by them :—

(i) 7299502—Telephone and wireless condensers, (ii) 7299502—Power capacitors, (iii) 7299503—Electric condensers for power exclusively, (iv) 7299509—Other Electric condensers and (v) 7299511—Electric Condenser parts ;

(b) the value of the above goods imported during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ; and

(c) whether before giving the permission for imports these factory owners were asked whether they were manufacturing the goods intended to be imported or whether they could manufacture them on demand ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a)

| | Industry | No. of factories | Production capacity | Production 1967 |
|---|---|---|---|---|
| (i) | Telephone and Wireless condensers | 12 | 55.59 M (Nos) | 44.47 Million nos. |
| (ii) | Power capacitors | 5 | 299,000 KVR | 100,000 KVR (1966-67) |
| (iii) | Electric Condensers for power exclusively | 4 | 5.478 Million Nos. | 1.95 Million Nos. |
| (iv) | Other electric condensers | | | |
| (v) | Electric condenser parts | No firm. | Usually raw materials are required for the manufacture of capacitors. | |

(b) **(Value Rs. in lakhs)**

| | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 (April-Dec. '67 |
|---|---|---|---|
| Telephone and Wireless condensers | 13.95 | 14.76 | 23.15 |
| Power capacitors | 8.78 | 5.88 | 3.83 |
| Electric condensers for power exclusively | 2.29 | 3.97 | 6.98 |
| Other electric condensers | 7.25 | 23.19 | 18.86 |
| Electric condenser parts | 42.36 | 19.30 | 28.72 |

(c) In regard to condensers other than Telephone and wireless condensers, before according any clearance for the import of these capacitors, the parties are asked to contact indigenous manufacturers and clearance is accorded only on receipt of their regret letters.

In regard to the telephone and Wireless condensers 90 to 95% of the demand is being met from indigenous production. Import of only such professional grades of capacitors are permitted as are not manufactured indigenous or are outside the range of present indigenous production or where indigenous production is not yet adequate for the demand.

**साम्यवादी देशों को औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात**

8256. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री म० अमरसे :** **श्री मु० कु० तापड़िया :**
**श्री लोबो प्रभु :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु विनिमय के आधार पर औद्योगिक वस्तुएं साम्यवादी देशों को निर्यात की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके मूल्यों की विश्व बाजार में विद्यमान मूल्यों से तुलना की है;

(ग) गत वर्ष में साम्यवादी देशों के साथ हमारे व्यापार संतुलन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उसको ठीक करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** (क) जी, नहीं। भारत तथा पूर्व यूरोपीय देशों में होने वाले व्यापार का विनियमन दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार द्वारा किया जाता है। रुपये में आयातों के भुगतान की प्रक्रिया के कारण पूर्व यूरोपीय उद्यम भारत में माल खरीद सकते हैं और साथ ही भारत भी मुक्त मुद्रा में भुगतान किये बिना माल का आयात कर सकता है। चूंकि अलग-अलग सौदों में कोई सम्बन्ध नहीं होता अतः माल के सौदों अथवा क्रय मूल्यों को तय करने में किसी प्रकार का वस्तु विनिमय नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंचांग वर्ष, 1967 में पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल नहीं था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कच्चे ऊन का आयात**

8257. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी कीमत के कच्चे ऊन का आयात किया गया तथा इसके अन्तर्गत कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ख) किन देशों से ऊन का आयात किया गया तथा किन शर्तों पर; और

(ग) किस सीमा तक देश में बने ऊन ने आयातित ऊन का स्थान लिया ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) पिछले तीन वर्षों में कच्चे ऊन का जो कुल आयात हुआ था वह नीचे दिया गया है :

| वर्ष | मात्रा (लाख रु० में) | मूल्य (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1964-65 | 79.4 | 669 |
| 1965-66 | 65.1 | 429 |
| 1966-67 | 112.5 | 1111 |
| अप्रैल-दिसम्बर 1967 | 96.5 | 940 |

(ख) कच्चे ऊन का आयात मुख्यतः आस्ट्रेलिया से किया गया था। न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेन्टीना तथा उरूग्वे से भी थोड़ा आयात किया गया। ऊन का आयात सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर मुख्यतः मुक्त विदेशी मुद्रा से किया गया। परन्तु 1966-67 में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से 92.93 लाख रुपये के मूल्य के 7.39 लाख किग्रा० ऊन का आयात किया गया। इस ऊन का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया गया परन्तु इसका मूल्य भारत में एक विशेष निधि में जमा किया जायेगा जिसका प्रयोग भारतीय ऊन उद्योग के विकास के लिये किया जायेगा।

(ग) आयातित ऊन का स्थान लेने के लिये स्वदेशी ऊन की थोड़ी प्रतिशतता ही उपयुक्त है। इसका अनुमान इस समय लगभग 20 लाख किग्रा० है।

## तार उद्योग

8258. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार उद्योग की टेलीफोन के तार बनाने की काफी क्षमता अप्रयोग है और उस उद्योग ने ये तार बनाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का उपयोग किये जाने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) हैदराबाद में लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से टेलीफोन तार बनाने के लिये नया कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार किन कारणों पर आधारित है; और

(घ) यह कारखाना स्थापित करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). केबल निर्माता अतिरिक्त सन्तुलन उपकरणों का आयात किये बिना डाक तथा तार विभाग को जिन संचार केबलों की आवश्यकता पड़ती है उनका निर्माण प्रारम्भ कर सकने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा दूर-संचार केबलों का निर्माण सरकारी क्षेत्र के लिये रक्षित है।

(ग) और (घ). देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये हैदराबाद में एक दूसरा केबल कारखाना लगाया जा रहा है। इस पर अनुमानित पूंजी व्यय 9 करोड़ रु० होगा जिसमें बस्ती तथा 145 लाख रु० का विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल है।

**Restriction to travel by 4 Up and 3 Down Assam Mail**

8259. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that passengers travelling a distance of less than 150 Kilometres are not allowed to travel by 4 Up and 3 Down Assam Mails with effect from the Ist April, 1968 and the passengers not observing this rule are charged a difference of minimum fare for 150 Kilometres and the fare already paid; and

(b) if so, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) A minimum distance restriction of 150 kilometres for travel by 4 Up/3 Down Assam Mails was already in force on N. F. Railway between Katihar and Gauhati. The N. E. Railway imposed a similar restriction between Barauni and Katihar from Ist April, 1968.

(b) This was done to save inconvenience to long distance passengers.

**Electrification of Stations on North-Eastern Railway**

8260. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of Railway stations in all the Divisions of the North-Eastern Railway, which have been electrified and the expenditure incurred on each;

(b) the names of Railway stations which are proposed to be electrified during the Fourth Plan and the estimated expenditure to be incurred thereon; and

(c) the time by which all stations particularly in the vicinity of the Indo-Nepal border are likely to be electrified?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) Annexure 'A' gives the list of 281 stations, electrified on all divisions of North Eastern Railway. **[Placed in Library. See No. LT-1010/68]**

It is not possible to indicate the expenditure incurred on each station as old records are not readily available. The estimated present day cost of electrifying a station is Rs. 15,000/-.

(b) Annexure 'B' gives the list of 71 stations proposed to be electrified in the Fourth Plan period. **[Placed in Library. See No. LT-1010/68]**. The total estimated cost for this work is Rs. 11 lacs.

(c) It is not possible to give a firm target. As far as the stations in the vicinity of Indo/Nepal border are concerned, they are situated in areas generally under-developed by the

way of availability of power. There are about 70 stations in Indo/Nepal border, out of which 19 are already electrified and 10 are proposed during the Fourth Plan. Other stations will be taken up for electrification as and when electricity is available at reasonable rates and subject also to the availability of funds.

## द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

8261. **श्री न० कु० सांघी :**

**श्री रा० बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में ब्राजील के प्रतिनिधिमण्डल ने विकासशील देशों का ओ० ई० सी० डी० किस्म का एक संगठन बनाने का एक प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उस प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में ब्राजील के प्रतिनिधिमण्डल ने विकासशील देशों के लिये ओ० ई० सी० डी० किस्म का एक संगठन बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उस सम्मेलन में नहीं किया था। परन्तु सरकार ने इस आशय के प्रेस समाचार देखे हैं कि ब्राजील प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने सम्मेलन के अन्त के समीप पत्रकारों की एक बैठक में ऐसा सुझाव रखा था। कोई टिप्पणी करने से पहले भारत सरकार इस सम्बन्ध में किए जाने वाले किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर सावधानी से विचार करना चाहेगी।

## खुरदा रोड डिवीजन में भोजन व्यवस्था यूनिट

8262. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में खुरदा रोड डिवीजन में भोजन व्यवस्था सम्बन्धी भिन्न-भिन्न यूनिटों में भोजन व्यवस्था बिक्री-अभियान के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन, दैनिक भत्तों तथा यात्रा भत्तों पर कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ख) इन अभियानों का क्या परिणाम निकला है और कर्मचारियों के वेतन, दैनिक भत्तों तथा यात्रा भत्तों पर खर्च हुई राशि की तुलना में रेलवे प्रशासन को कितनी राशि का लाभ हुआ है ; और

(ग) कितनी राशि की हानि हुई है और टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों द्वारा अर्जित की जाने वाली राशियों में इस भोजन व्यवस्था बिक्री अभियान के दौरान कितनी कमी हुई और

इस अभियान की अवधि में कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

## दक्षिण पूर्व रेलवे में खुरदा रोड डिवीजन में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

8263. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खुरदा रोड डिवीजन में हाल में हुए चौथी श्रेणी के चयन में कितने प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि बहुत से स्थानीय वरिष्ठ व्यक्ति नियमित कर्मचारियों के स्थानों पर काम कर रहे हैं परन्तु उन्हें स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) ऐसे वरिष्ठ स्थानीय व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो इस समय नियमित कर्मचारियों के स्थानों पर काम कर रहे हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है ।

## कन्टेनराइज्ड फ्रेट सर्विस

8264. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्टेनराज्ड फ्रेट सर्विस चालू करने के परिणामस्वरूप उत्तर रेलवे में गत तीन महीनों में भाड़े की कितनी अतिरिक्त आय हुई है तथा इसी अवधि में इस सर्विस के चालू किए जाने से कितना अधिक खर्च हुआ है ;

(ख) क्या इस सर्विस को अन्य रेलों में भी चालू करने का विचार है और यदि हां तो किन-किन रेलों में और कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) दिल्ली और बम्बई के बीच कनटेनर सेवा चालू करने के फलस्वरूप सूती कपड़े, साबुन, बिजली के सामान आदि ऊंची दर वाली वस्तुओं की ढुलाई रेल द्वारा की गई । कंटेनर सेवा के अभाव में इस यातायात की निकासी सड़क परिवहन द्वारा होती थी या हुई होती । उत्तर रेलवे को जनवरी से मार्च, 1968 तक की अवधि में इस तरह के यातायात के भाड़े से 1,01,775 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई । उक्त अवधि में कंटेनर सेवा पर उत्तर रेलवे द्वारा 50,556 रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए ।

(ख) जनवरी, 1966 से पश्चिम रेलवे में बम्बई और अहमदाबाद के बीच कंटेनर सेवा चालू है। नवम्बर, 1967 से ग्वालियर और नयी दिल्ली के बीच भी कंटेनर सेवा चालू की गयी है। देश के ऐसे महत्वपूर्ण और औद्योगिक जोड़ा केन्द्रों के बीच जहां कहीं इस तरह के यातायात की गुंजाइश हो, कंटेनर सेवा चालू करने के निमित्त माल मिलने की सम्भावनाओं का अभी पता लगाया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

## रूरकेला इस्पात कारखाना

8265. **श्री दामानी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने रूरकेला इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर की नियुक्ति के प्रति केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## Advertisement Boards Displayed at Railway Stations of Kota Division

8266. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the income accruing from advertisement boards displayed at and in the boundaries of the railway stations of Kota Division ;

(b) whether the present advertisement rates are the same as they were twenty years ago or they have been revised ; and

(c) the dates on which the revised rates were effected ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) In 1967-68 the income was Rs. 29,326.00 ;

(b) No, the rates existing at present were introduced about 12 years ago.

(c) The rates were last revised on 4th July 1955.

## राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात को जाने वाली वस्तुओं के मूल्य

8267. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई गंधक, सोयाबीन तेल, नायलोन के धागे आदि जैसी वस्तुओं के मूल्य वर्ष 1966 और 1967 में बाजार में अन्य आयातकों की अपेक्षा अधिक रखे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में इनमें से प्रत्येक वस्तु के राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी आयातकों के मूल्यों में अधिकतम अन्तर कितना था ;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई इन वस्तुओं के मूल्य गैर-सरकारी फर्मों द्वारा आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में अधिक होने के क्या कारण हैं ;

(घ) राज्य व्यापार निगम को अधिक लाभप्रद ढंग से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ अफसरों पर राज्य व्यापार निगम ने देश में उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना नायलोन धागा खरीदा है और यदि हां, तो 1966-67 में राज्य व्यापार निगम के पास नायलोन धागे की अधिकतम कितनी मात्रा जमा हो गई थी ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**धातु तथा खनिज व्यापार निगम**

8268. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा ठेकों के अनुसार गैर-सरकारी खानों से लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क उठाने तथा उन्हें रूरकेला इस्पात कारखाने को सप्लाई करने के दायित्व को पूरा नहीं कर सकने के लिए, जिसके फलस्वरूप उक्त कारखाने में इन अयस्कों की कमी रही तथा कारखाने में उत्पादन में हानि हुई, निगम में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : सरकारी उपक्रम समिति ने लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की सप्लाई के लिए रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा की गई संविदाओं के बारे में पूछताछ की थी। समिति के अभिकथनों/निष्कर्षों पर अभी विचार किया जा रहा है।

**सेन्ट्रल बैंकों के गवर्नरों की वाशिंगटन में बैठक**

8269. **श्री देवेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णपूल के संचालन की जांच करने के लिये विभिन्न देशों के सेन्ट्रल बैंकों के गवर्नरों की वाशिंगटन में हुई बैठक में किये गये करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) क्या भारत के निर्यात व्यापार पर इस करार का विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) स्वर्णपूल के सक्रिय सदस्य देशों के सेन्ट्रल बैंकों के गवर्नरों की 15 तथा 17 मार्च, 1968 को वाशिंगटन में हुई बैठक की समाप्ति पर प्रेस को

दिये गये एक वक्तव्य की प्रति (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-1011/68**]

(ख) करार का उद्देश्य व्यवस्थित तथा संगत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा व्यापारिक संबंध बनाये रखने के साथ-साथ विनिमय दर को भी स्थिर बनाये रखना है अतः इससे भारत के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

**भिलाई इस्पात कारखाने की लौह अयस्क खानें**

8270. **श्री देवेन सेन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने की लौह अयस्क खानों के राग-चेरा खान समूह के अन्तर्गत खनिज खानों में ठेका प्रणाली विद्यमान है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस ठेका प्रणाली को समाप्त करके विभागीय रूप से इन खानों को चलाने का है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां। राजहरा खान समूह, जहां से भिलाई इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है, की कुछ खानों में, जहां मजदूरों द्वारा लौह अयस्क निकाला जाता है, ठेकेदार-प्रणाली विद्यमान है।

(ख) अगले कुछ वर्षों में जब से खानों का यन्त्रीकरण का काम पूरा हो जायगा ठेकेदार-प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा।

**लोहे और मैंगनीज अयस्कों पर निर्यात शुल्क**

8271 **श्री न० रा० देवघर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ खनिज अयस्क निर्यातक एसोसिएशन, गोआ का कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें गोआ के घटिया दर्जे के लोहे और मैंगनीज अयस्कों पर, जो देश में से निर्यात की जाने वाली इन मदों की मात्रा का लगभग 50 प्रतिशत बनते हैं, निर्यात शुल्क के बुरे प्रभाव की शिकायत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

**M/s. Ballabh and Agarwal Labour Contractor, Calcutta**

8272. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Messrs. Ballabh and Agarwal Labour Contractor, Calcutta has been blacklisted by the Railways ;

(b) if so, when they were blacklisted and the number of contracts awarded to them thereafter ;

(c) whether it is also a fact that one of the proprietors of the said blacklisted firm is also the proprietor of Allahabad Labour Supply Agency ; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) No firm of this name had Labour Contracts with the Railways and was blacklisted. Messrs. Blallabhdas Agrawal, Railway Contractors, Calcutta, however, held certain Handling Contracts on the Railway but this firm has not been blacklisted.

(b) to (d). Do not arise in view of the reply to part (a) of the Question.

**Contract for Handling Parcels**

8273. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it has been the policy of the Railways to give preference to co-operative societies for the purposes of giving contracts ;

(b) if so, whether it is a fact that Railway Parcels and Porters Co-operative Labour Contract Society Ltd., Aligarh (Regd.) was not given preference in regard to a contract for handling the parcels of Etawah, Tundla, Khurja and Secunderabad but the said contract was given to a private firm, viz., Allahabad Labour Supply Agency ;

(c) whether it is also a fact that the said co-operative society had given the lowest tender ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड**

8274. **श्री अगाड़ी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड द्वारा तुंगभद्रा बांध, मैसूर राज्य में जस्ता चढ़ाने का संयंत्र स्थापित किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस संयंत्र की खरीद के लिये किस तिथि को क्रयादेश दिया गया और उसका आयात कब किया गया ;

(ग) संयंत्र पर कितनी लागत हुई और मशीनरी कितनी अवधि तक पड़ी रही और लगाई न गई ;

(घ) क्या यह सच है कि संयंत्र के साथ प्राप्त हुए कुछ रसायन अब प्रयोग के योग्य नहीं रहे हैं और यदि हां, तो इस प्रकार नष्ट हुए रसायनों का मूल्य कितना है ; और

(ङ) यह संयंत्र कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क). जी, हां ।

(ख) संयंत्र को खरीद के लिए आर्डर 16 फरवरी, 1963 को दिया गया था और उपकरणों के पैकेज बम्बई बन्दरगाह पर 19 जनवरी, 1964 को पहुंच गए थे ।

(ग) संयंत्र की लागत 3,96,778.68 रुपये है और मशीनें अभी लगायी जानी हैं ।

(घ) जी, हां । संयंत्र के साथ दिये गये कुछ रसायन अब प्रयोग के योग्य नहीं रहे । बदले जाने वाले रसायनों का मूल्य 11,096.40 रुपये है ।

(ङ) संयंत्र के मई, 1968 के अन्त तक काम प्रारम्भ कर देने की आशा है ।

## अफगानिस्तान के साथ व्यापार

8275. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात भूमार्गों के बन्द हो जाने से अमृतसर मंडी के अफगानिस्तान से मेवे के आयात पर और अफगानिस्तान को चाय के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पुनः खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण पाकिस्तान से भूमार्ग बन्द हो जाने के फलस्वरूप अमृतसर के मार्फत होने वाले भारत-अफगान व्यापार, जिसमें मेवे तथा चाय का व्यापार भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) भारत-अफगान व्यापार के लिए भूमार्ग खोलने हेतु सरकार राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान पर दबाव डालती रही है परन्तु अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई ।

## Derailment between Jojharia and Langhnaj

8276. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the engine of a passenger train was derailed between Jojharia and Langhnaj Railway Station on Vijapur-Ambliyasan branch line of Western Railway as reported in the Hindustan of the 3rd January, 1968 ;

(b) if so, whether an enquiry has been conducted into the causes of the accident ;

(c) the number of casualities as a result thereof and the extent of damage caused to railway property and the nature of the damage ; and

(d) whether Government suspect that any foreign element had a hand in this accident ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) The accident occurred between Gojharia and Langhnaj stations on 31. 12. 1967, on Vijaypur-Ambliyasan Branch of Western Railway.

(b) Yes. According to the finding of the enquiry committee, the accident was due to some unknown person having placed a rail piece on the left hand running track rail, just at the flange of the level crossing check rail.

The police have arrested one person in this case.

(c) The accident did not result in any casualties or damage to railway property.

(d) No.

**Import of Scooters, Cars and Tractors**

8277. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value in rupees of scooters, small cars and tractors imported during the last eight years and the names of countries from which imported ;

(b) the number of cars and tractors, out of them, supplied to the private and public sectors, respectively ; and

(c) the number of tractors supplied to the State Governments, on being demanded by them ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) Total value of imports of scooters, cars and Tractors during the last eight years was of the order of Rs. 3,463 lakhs. The major countries of imports were Canada, U. S. A., U. K., Germany, Japan, France, USSR and Italy.

(b) and (c). Sector-wise and State-wise statistics are not maintained.

**Export of Jewels and Diamonds**

8278. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India exports jewels and diamonds to other countries ;

(b) if so, the value and names of countries to which these articles were exported during the years 1965-66 and 1966-67 and the amount of foreign exchange earned thereby ; and

(b) the value of jewels and diamonds likely to be exported during the year 1967-68 ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) Yes, Sir.

(c) The Country-wise exports of these items during year 1965-66 and 1966-67 are as under :

(Rs. in lakhs)

| Country | 1965-66 | 1966-67 |
|---|---|---|
| Belgium .. .. | 350 | 728 |
| Switzerland .. .. | 223 | 257 |
| United Kingdom .. .. | 195 | 277 |
| United States .. .. | 168 | 201 |
| France .. .. | 162 | 152 |
| Hong Kong .. .. | 131 | 268 |
| West Germany .. .. | 110 | 101 |
| Japan .. .. | 31 | 59 |
| Other countries .. .. | 100 | 200 |
| Total | 1467 | 2174 |

(c) Exports for the financial year 1967-68 are estimated at about Rs. 25 crores.

**Heavy Electricals Ltd., Bhopal**

8279. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of the Heavy Electricals Ltd., Bhopal were arrested ;

(b) if so, the total number of persons arrested ; and

(c) the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) to (c). A section of the employees of Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal went on an illegal strike on the 19th December, 1967. Even though this strike was stated by them to be a token strike, the same evening they announced their decision to continue it. The State Government Authorities therefore intervened and promulgated order under Section 144 Cr. P. C. In the factory and township Area, fifty employees were arrested on the 20th December, 1967.

**Recovery of Liquor from a Jeep of Minister of Railways**

8280. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Manibhai J. Patel :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the news item published in "Vir Arjun" of the 4th April, 1968 that 1020 bottles of liquor were recovered from a jeep belonging to the Ministry of Railways ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) Yes.

(b) The Police have registered a case on FIR 117 u/s 61/1/14 Excise Act in connection with the smuggling of liquor. Three persons, namely the Driver of the Jeep and two outsiders, were arrested and all of them have been remanded to judicial custody upto 1.5.68. The case is under investigation.

**Heavy Industries in Uttar Pradesh**

8282. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of licences issued by the Central Government in Uttar Pradesh, District-wise, after the 15th August, 1947 for the setting up of heavy industries ; and

(b) the number of industrial units which have not gone into production so far and the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) and (b). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course.

**बम्बई के एक चलचित्र अभिनेता द्वारा स्टेनलेस स्टील का आयात**

8283. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक द्वारा इस बीच बम्बई के एक चलचित्र अभिनेता को 11 टन स्टेनलेस स्टील के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित मामले की जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) कितने मूल्य का स्टील आयात किया गथा था तथा उसका निपटारा किस प्रकार किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (ग). जी, हां । लोहा और इस्पात नियन्त्रक ने जांच पूरी कर ली है । उसने कहा है कि पिछले चार वर्षों में किसी फिल्म अभिनेता अथवा फिल्म अभिनेता से सम्बन्धित किसी ऐसी फर्म का पता नहीं चला है जिसे 11 टन स्टेनलेस स्टील के कोटे के लिए लाइसेंस जारी किया गया हो ।

**एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड**

8284. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा भारत सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड का नाम काली सूची में दर्ज कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) और (ख). एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड को 2-7-66 से लेकर 8-3-68 की अवधि के लिये काली सूची में रखा गया था । काली सूची में नाम दर्ज करने के कई कारण होते हैं । सरकार की यह नीति है कि कानूनी उलझनों से बचने के लिए काली सूची में दर्ज करने के विशेष कारणों को न बताया जाय ।

**ईस्टर्न इण्डिया सर्विसेज एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड**

8285. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ईस्टर्न इण्डिया सर्विसेज एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड के डायरेक्टर्स कौन-कौन हैं ;

(ख) इस कम्पनी के मुख्य कृत्य क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी का नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यालय है और क्या उसके प्रतिनिधियों को सचिवालय आने के लिए स्थायी पास जारी किया गया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) 29-9-1967 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार निदेशकों के नाम यह हैं :

1. श्री गोपीचन्द धारीवाल ।
2. श्री कलाचन्द चटर्जी ।
3. श्री बैजनाथ साबू ।

(ख) संस्था के ज्ञापन के अनुसार कम्पनी का प्रथम उद्देश्य है भारत तथा बाहर के सम्पूर्ण प्रकार के कागज व तख्ते तथा अन्य सभी प्रकार के उपभोग के व्यापारिक माल, पदार्थ तथा वस्तुओं के "क्रय-कर्ता, विक्रय-कर्ता, आयात-कर्ता, निर्यात-कर्ता, निर्माण-कर्ता, उत्पादन-कर्ता, व्यापारी, आढ़त अभिकर्ता तथा अन्य, का व्यापार करना" । 31-3-1967 की वर्ष समाप्ति के लाभ हानि के लेखे के अनुसार कम्पनी के आय के मुख्य श्रोत "किराया तथा सेवा विधेयक प्रभार" तथा "विक्रय अभिकरण दलाली" थे ।

(ग) नई दिल्ली में, चार टेलीफोन नम्बरों सहित कम्पनी का एक कार्यालय है । कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या का पता नहीं है, क्योंकि इसे कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार को बताना अपेक्षित नहीं है । फिर भी, 31 मार्च, 1967 की वर्ग समाप्ति को, कम्पनी द्वारा, इसके नयी दिल्ली में व उससे बाहर दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर, वेतन तथा लाभांश में दी गई कुल सम्मिलित राशि 16,22,869 रुपयों की बैठती है ।

कम्पनी के किसी प्रतिनिधि के लिये सचिवालय में आने के लिये, गृह मंत्रालय द्वारा कोई स्थायी पास, प्रेषित नहीं किया गया है ।

## राज्य व्यापार निगम द्वारा दालों का निर्यात

8286. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दालों के निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में दालों के मूल्य में वृद्धि होगी और निर्धन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करने का है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). सरकार ने राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय सहकारी कृषिगत विपणन संघ के माध्यम से 10,000 मे० टन दालों की एक बहुत छोटी सी मात्रा निर्यात करने की इजाजत दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम को 200 मे० टन दालें कुवैत को निर्यात करने की भी इजाजत दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**गाड़ियों पर नियंत्रण के स्वचालित तरीकों का आद्यरूप**

8287. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ियों पर नियन्त्रण के स्वचालित तरीकों के दो आद्यरूप रेलवे के सियालदह-बर्दवान तथा गया-मुगलसराय सेक्शनों तथा मध्य रेलवे के दिल्ली-आगरा सेक्शन पर भी परीक्षा के तौर पर प्रयोग में लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आद्यरूप का ब्योरा क्या-क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) केवल पूर्व रेलवे के लिलुवा-बेलुड खंड पर प्रोटोटाइप उपस्कर के साथ क्षेत्र परीक्षण किये गये हैं।

(ख) प्रोटोटाइप उपस्कर ए० सी० इन्डक्टिव प्रणाली पर आधारित है और परीक्षण सफल रहे।

**Construction of Platform and Over-Bridge on Banda Junction**

8288. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had sanctioned an amount of Rs. 249 lakhs for the construction of an additional platform and 8-foot wide overbridge to connect the same, towards the north of Banda Junction on the Central Railway on Jhansi-Manikpur line ;

(b) whether it is also a fact that said construction work has already been taken in hand and about Rs. 22,000 or Rs. 24,000 have been spent in connection therewith ;

(c) whether it is further a fact that the construction of the said over-bridge is being suspended and a scheme to construct the platform towards the south of the said Railway Station is being drawn up ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to continue the construction work of the overbridge and the platform, for which the sanction has already been accorded in the interest of the people of Banda and the railway staff ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: (a) Yes, except that the sanctioned cost of the work is Rs. two lakhs forty nine thousand only.

(b) Yes. The work has just been taken in hand in Feb. '68. The expenditure incurred is mostly on, stores and pre cast platform wallings etc;

(c) and (d). In the present context of economy, an alternative proposal to provide a bay platform at Jhansi-end by extending the existing platform at Banda Station is under consideration. As per this alternative proposal there would be no necessity to provide a foot-over-bridge, since both the platforms (existing and the proposed bay platform) will be on the city side. Till the alternative proposal is finalised, the fabrication of steel work for the said foot-over-bridge has been kept in abeyance.

(e) After examining the relative merits, the most suitable scheme will be implemented keeping in view the convenience of the passengers at this station.

## पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में उद्योगों की स्थापना

8289. **श्री भगवान दास :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सब भागों में समान आधार पर उद्योग स्थापित करने की नीति का पालन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बांकुरा जिले से पश्चिम बंगाल में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की कोई योजनाएं हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) नये औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसों के आवेदनों की जांच करते समय तकनीकी आर्थिक दृष्टि से सन्तुलित प्रादेशिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विशद विकास के द्वारा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य भी सामने रखा जाता है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

## औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के सेवा-निवृत्त अधिकारी

8290. **श्री क० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं जो वर्ष 1967 में उनके मंत्रालय से सेवा-निवृत्त हुए थे और जिन्हें मंत्रालय में रख लिया गया है ;

(ख) उन्हें काम पर रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी नियुक्तियों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं अथवा सरकारी कर्मचारियों के शिष्टमंडल सरकार से मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग को पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**इस्पात उद्योग का विकास**

8291. **श्री क० लकप्पा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के विकास के लिये प्रौद्योगिकीय नीति के पुनर्निर्धारण के लिये सरकार की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इसको कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) से (ग). सरकार ने अपने इस्पात कारखानों में प्रौद्योगिकीय सुधार करने के लिए पहले ही रिपोर्ट प्राप्त कर ली है । योजनाओं की लागत और उनसे होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाओं जैसे धमन भट्ठियों के तापमान को बढ़ाने और धमन भट्ठियों के लिए कोयला आदि तैयार करने के कार्यक्रम को क्रमिकरूप से क्रियान्वित किया जा रहा है ।

**बन्द सूती कपड़ा मिल**

8292. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सूती कपड़ा मिल बन्द पड़े हैं ;

(ख) कितनी संख्या में बन्द पड़े सूती कपड़ा मिलों को राज्य सरकारों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है ; और

(ग) कितनी संख्या में बन्द पड़े सूती कपड़ा मिलों को सम्बन्धित कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को दे दिया गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) 31 मार्च, 1968 को 38 ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**"Panorama of Progress" Exhibition in New Delhi**

8293. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the profit earned or loss suffered so far by Government on account of 'Panorama of Progress' exhibition organised on the eve of UNCTAD II ;

(b) whether the working of 'Panorama of Progress' exhibition has been reviewed during this period ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)** : The 'Panorama of Progress' Exhibition had been organised on the occasion of the second meeting of the United Nations Conference on Trade and Development in New Delhi to give the delegates to the Conference and other foreign visitors an idea of the progress made by India in different sectors of the economy since independence and to display our export products with a view to generating interest therein. Admission to the Exhibition was free. Since the Exhibition had not been organised on a commercial basis the question of profit earned or loss suffered and a consequent review of its working did not arise.

## बैंड फोर्ड की बसें

8294. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की बस मालिक संस्था ने हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड और प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि बिक्री की नई बैंडफोर्ड बसों में इंजन तथा अन्य पुर्जे मरम्मत करके लगाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## गुजरात में सीमेंट के कारखाने

8295. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिये गत वर्ष किये गये खनन सर्वेक्षण से पता लगा कि राज्य में कम से कम 12 क्षेत्रों में विशेषकर जूनागढ़, पश्चिम कच्छ, भंडौच और भावनगर में सीमेंट ग्रेड/चूने के पत्थर और जिप्सम जैसे खनिजों के व्यापक भण्डार हैं और वे स्थान सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए उपयुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने इन क्षेत्रों में गैर-सरकारी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य में सीमेंट उत्पादन की कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## अप्रयुक्त लाइसेंस

8296. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

**श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नये उद्यमकर्ताओं के लिए अवसरों में बाधा न पड़े क्या सरकार ने अन्ततः अप्रयुक्त लाइसेंसों को रद्द करने की कार्यवाही को तेज कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितने लाइसेंस जारी किये गये जिन पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई अथवा जिन पर प्रगति कुछ धीरे-धीरे हुई है और उनमें से कितने लोहा तथा इस्पात उद्योग से सम्बन्धित हैं, और इन लाइसेंसों से सम्बन्धित निर्माताओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन लाइसेंसों को रद्द करने के लिए नये उद्यमकर्ताओं को वैकल्पिक लाइसेंस जारी करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## त्रिपुरा में रेलवे लाइन

8297. **श्री माणिक्य बहादुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) संघ क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र तथा जनसंख्या की रेलवे द्वारा सेवा की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य की राजधानी अगरतल्ला को शेष देश से जोड़ने के लिए राज्य में रेलवे लाइन को लगभग 128 मील बढ़ाने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता पर विचार किया है और यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ;

(घ) क्या इसको 1968-69 की योजना अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या रेलवे लाइन को बढ़ाने अथवा अगरतल्ला को रेलवे लाइन से मिलाने के बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो किस कम्पनी ने यह योजना भेजी है और यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र के साधनों का लाभ उठाने का है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना केवल अलग-अलग रेलों के अनुसार संकलित की जाती है न कि अलग-अलग राज्यों के अनुसार। 31 मार्च, 1967 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, जो त्रिपुरा, नागालैंड, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में चलती है, का मार्ग किलोमीटर इस प्रकार था :

| | (किलोमीटर) |
|---|---|
| बड़ी लाइन | 638.60 |
| मीटर लाइन | 2898.63 |
| छोटी लाइन | 87.48 |
| कुल ... | 3624.71 |

(ग) कल्कलीघाट-धर्मनगर लाइन को अगरतल्ला तक बढ़ाने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट जांच नहीं की गयी। मोटे अनुमान के अनुसार, लाइन के ऐसे विस्तार पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

(घ) अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण इसमें संदेह है कि चौथी योजना में इस लाइन के निर्माण का काम शुरू किया जायगा या नहीं।

(ङ) न तो इस लाइन को निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और न ही इस प्रयोजन के लिए ऐसे साधन से काम लेने का विचार है।

## त्रिपुरा में छोटे पैमाने के उद्योग

8298. **श्री माणिक्य बहादुर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए 1968-69 में कोई योजना प्रस्तुत की थी तथा क्या सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है तथा यदि इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई सहायता दी जायेगी तो क्या; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत रोजगार के कितने और कैसे अवसर मिलने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). त्रिपुरा राज्य सरकार ने अपनी 1968-69 की वार्षिक योजना में मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाओं के लिए 14.18 लाख रु० के खर्च का प्रस्ताव किया था।

1. विपणन प्रचार
2. लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता।
3. विभाग की ओर से चल रहे कारखानों में उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखना।

इन योजनाओं पर योजना आयोग के ग्रामीण तथा लघु उद्योग कार्यकारी दल द्वारा विचार-विमर्श किया गया था और लघु उद्योगों के विकास के लिए 8 लाख रु० के खर्च की सहमति दी गई थी ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**आयात लाइसेंस जारी करना**

8299. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः वर्षों में (1) मैसर्स प्रेस्टोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड, (2) मैसर्स डेविस एण्ड व्हाइट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा (3) आई० एन० एस० पी० आई० आटो इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड को कुल कितनी राशि के आयात के लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) लाइसेंस किस उद्देश्य से दिये थे;

(ग) क्या सरकार ने जांच की है कि इन लाइसेंसों का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) कम्पनियों द्वारा विनियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). इन फर्मों को दिये गये आयात लाइसेंसों के ब्योरे औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) से (ङ). ऐसी सूचना मिली है कि इन फर्मों ने कार्बुरेटर के पुर्जों तथा अन्य मदों के आयात के लिये वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंस प्राप्त किये थे और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आयातित माल को बाजार में बेचा था । इन मामलों के संबंध में जांच की जा रही है ।

**मेसर्स प्रेस्टोलाइट आफ इण्डिया लिमिटेड**

8300. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेसर्स प्रेस्टोलाइट आफ इण्डिया लिमिटेड के कार्यों के बारे में जिसका पंजीकृत कार्यालय कुन्दन भवन, 2 ए०/3 आसफअली रोड, नई दिल्ली में और कारखाना फरीदाबाद में है, किसी स्रोत से कोई शिकायतें और/अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी के प्रबन्ध के विरुद्ध आरोपों में, विवरणिका में अतिशय वृद्धि स्थिति का चित्रण, निगमन से पहले के स्तर पर किये गए प्राथमिक खर्चों की स्फीति, बिना नाम के व्यक्तियों को हिस्सों का बांट, बाहर से पुरानी तथा प्रत्यवस्थापित मशीनरी का आयात, आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग आदि सम्मिलित है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

**दक्षिण में उद्योग स्थापित करना**

8301. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि देश के बड़े-बड़े उद्योगपति अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन बड़े-बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने हाल में अपने उद्योगों का स्थानान्तरण किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह समझा जा सके कि बड़े-बड़े उद्योगपति अब उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं ।

(ग) अभी हाल में कोई भी बड़ा औद्योगिक उपक्रम उत्तर से दक्षिण भारत नहीं ले जाया गया है ।

**पटना-गया यात्री गाड़ी**

8302. **श्री शिव चंडिका प्रसाद** :
**श्री रामावतार शास्त्री** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गया से प्रातः 7 बजकर 12 मिनट पर छूटने वाली 4 डाउन पटना-गया यात्री गाड़ी के तेरह डिब्बों में से किसी भी डिब्बे में शौचालयों में 5 अप्रैल, 1968

को पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और यात्रियों को भारी मुसीबत उठानी पड़ी थी।

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी शिकायतें पिछले तीन महीनों से लगातार हो रही हैं; और

(ग) इस कुप्रबन्ध के क्या कारण हैं जबकि गया और पटना में टी० एक्स० आर० कार्यालय हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं। गाड़ी के 54 शौचालयों में से केवल 4 में पाइप लाइनें बन्द हो जाने के कारण पानी नहीं जा रहा था, जिससे कुछ यात्रियों को असुविधा हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर**

8303. **श्री शिव चंडिका प्रसाद** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में बर्नपुर स्थित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने गत डेढ़ महीने से बिहार में घाटसिला में मोसाबानी के निकट स्थित अपनी पाथेरघरन फास्फेट खानें बन्द कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने श्रमिक और कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ग) क्या ऐसा बिहार के श्रम आयुक्त की अनुमति से किया गया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार जनवरी, 1968 के अन्त में पाथेरघरन फास्फेट खानों में कुछ समय के लिए काम बन्द कर दिया गया था। इसका कारण यह बताया गया है कि फास्फेट के बड़ी मात्रा में जमा हो जाने के कारण, खपत बहुत गिर गई थी। खनिज निकालने का काम ठेकेदारों को दिया हुआ था जिन्होंने सामयिक मजदूर रखे हुये थे। काम बन्द करने के समय इन मजदूरों की संख्या 24 थी।

(ग) ऊपर दिये गये उत्तर को देखते हुये, प्रश्न नहीं उठता।

**राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन**

8304. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह पुनर्गठन विशेषज्ञ समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से पूर्व किया जायेगा ; और

(घ) क्या इसका गठन निजी व्यापार गृहों की तरह किये जाने का प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

**Industrial Undertakings in U. P.**

8305. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the particulars of the Industrial undertakings District-wise being run by Government of Uttar Pradesh and the amount invested in each undertaking ;

(b) the particulars of industrial undertakings district-wise proposed to be set up during the Fourth Plan period and the amount proposed to be invested in each undertaking ;

(c) whether Government propose to set up any of these undertakings in Eastern Uttar Pradesh with a view to remove unemployment there and to bring the backward economy of this region at par with the economy of the districts in western parts of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) to (d). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

**पशुओं का आयात**

8307. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में विदेशों से कितनी संख्या में भेड़, गाय तथा अन्य पालतू पशुओं का आयात किया गया है तथा उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1012/68**]

**गुड़ियों का निर्यात**

8308. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय गुड़ियां बहुत लोकप्रिय हैं और कई पड़ौसी देशों को उनके निर्यात की बहुत गुंजायश है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय गुड़ियों में बड़ी रुचि दिखाने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा 1967-68 में उनके निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई थी ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-1013/68]

**पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध**

8309. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा व्यापार पर पाबन्दी समाप्त करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस देश से व्यापारिक सम्बन्ध बन्द करने का है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सितम्बर, 1965 से पाकिस्तान के साथ पहिले ही व्यापार निलम्बित है । पाकिस्तान की ओर से प्रत्युत्तर के अभाव में दोनों देशों के मध्य सितम्बर, 1965 से व्यापार पहिले ही निलम्बित है । फिर भी हम अपनी ओर से पाकिस्तान को इस बात के लिये राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वह भारत के साथ व्यापार पर लगी पाबन्दी को हटा दे जैसे कि हम हटा चुके हैं ।

**बिहार तथा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को कोयले का आवंटन**

8310. **श्री जुगल मंडल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी की प्रत्येक मिल को कितना कोयला आवंटित किया गया था ;

(ख) कौन-कौन सी मिलों ने लाभ कमाने के लिये उसे अन्य लोगों को बेच दिया था; और

(ग) इस प्रकार की बुराई को रोकने के लिये सरकार ने ऐसे कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**Retention Prices fixed for Cement Factories**

8311. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that different retention prices are fixed for different cement factories ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the freight charges fixed are advantageous to some factories and disadvantageous to others ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) Yes, Sir.

(b) These are mainly based on the recommendations of the Tariff Commission as accepted by the Government of India vide their Resolution No. Cem. 8 (27)/61 dated the 31st October, 1961 and the subsequent increases permitted by the Government.

(c) No, Sir. The Government has fixed an average freight element in the F. O. R. destination price after taking into account the freight in different parts of the country payable from the producing centres to the places of consumption. Those producers who incur a freight less than this average are required to contribute to the Cement Regulation Account the difference between the actual freight incurred by them and the average freight element ; whereas those producers who incur a freight more than the said average are reimbursed the difference between the actual freight expenditure and the average freight element. In view of the fact that the freight is a liability to the buyer, it is neither advantageous to some nor disadvantageous to others.

(d) Does not arise.

**Textile Mills in Co-operative Sector**

8312. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the profit earned by the textile mills in Co-operative sector and the amount of capital invested by Government in them together with the rate of interest charged thereon ;

(b) the number of licences issued to Co-operative Sector which have not been utilised so far ;

(c) whether Government propose to encourage textile mills in co-operative sector and if so, the extent of assistance proposed to be given to them ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**खानों के मुहानों पर कोयले के स्टाकों का जमा हो जाना**

8313. **श्री दमानी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के मुहानों पर 60 लाख मीटरी टन से अधिक कोयले का स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) क्या इसका कारण रेलवे माल डिब्बे देने में की जाने वाली अनियमितायें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)**: (क) नहीं, महोदय । गर्त-मुख पर कोयला स्टाक की मात्रा 1967-68 के वर्ष के अंत में उसी परिमाण की है जैसी कि वर्ष के आरंभ में थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**Bridges on Railway Crossings on National Highway No. 3**

8314. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct bridges on the Railway crossing at Asangadu, mile-stone No. 92/9 and at Umbarmali, mile-stone No. 70/3 on the National Highway No. 3 from Bombay to Agra ;

(b) whether it is a fact that the road traffic is blocked on the said crossings because of heavy railway traffic ; and

(c) if not, the difficulties in the way of providing the said bridges ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

**त्रिवेन्द्रम में मीटर गेज कोच फैक्ट्री**

8315. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में एक मीटर गेज कोच फैक्ट्री स्थापित करने के सम्बन्ध में केरल की भूतपूर्व संयुक्त सरकार ने (1960-62 में) रेलवे बोर्ड को कोई प्रस्ताव भेजे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री ने भी रेलवे के तत्कालीन उप-मंत्री के साथ त्रिवेंद्रम में इस विषय पर चर्चा की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय ये प्रस्ताव किस स्थिति में हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). तीसरी योजना में सवारी डिब्बे बनाने की क्षमता में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में मीटर लाइन का एक सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था । प्रस्तावित कारखाना कहां बनाया जाय इस सम्बन्ध में केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इस सम्बन्ध में केरल के तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने दिसम्बर, 1958 में रेल मंत्री को

एक नोट भी दिया था । लेकिन बाद में सरकारी और निजी क्षेत्र के वर्तमान कारखानों में सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता के विकास को देखते हुए मीटर लाइन सवारी डिब्बा कारखाना बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया ।

**तिरुवल्ला रेलवे स्टेशन**

8316. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरुवल्ला रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों को ढकने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** इस स्टेशन पर पहले 100 फुट लम्बी प्लेटफार्म छत थी । मई, 1966 में इसे 130 फुट और बढ़ाया गया था । इसका और विस्तार करने का अभी कोई विचार नहीं है ;

**क्विलोन से एर्णाकुलम तक रेलवे लाइन**

8317. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में हुई औद्योगिक प्रगति तथा उस क्षेत्र में रेलों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्विलोन से एर्णाकुलम तक वर्तमान रेलवे लाइनों को बढ़ाने और मीटर गेज लाइनों को ब्राडगेज लाइनों में बदलने सम्बन्धी किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** परिचालन की दृष्टि से एर्णाकुलम-कोल्लम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल, कोई औचित्य नहीं है ।

कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम् मीटर लाइन को तिरुनेलवेलि/कन्याकुमारी तक बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । आवश्यक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण किये रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

**त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन**

8318. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन की यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ;

(ग) क्या इस मामले में अंतिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक किये जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां ।

(ख) से (घ). रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण-रिपोर्ट की जांच की जा रही है और जांच का काम पूरा होने पर इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

**दिल्ली डिवीजन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति**

8319. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को 1962-63 में टेलीफोन आपरेटरों के रूप में पदोन्नत किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उन पदों पर नियमित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो 6 वर्ष के पश्चात् भी उन्हें नियमित क्यों नहीं किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां, तदर्थ आधार पर ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

**अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा नियमानुसार काम करने की धमकी**

8320. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
**श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है सच है कि अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ने 16 अगस्त, 1968 से नियमानुसार काम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) सरकार को इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**भारतीय रेलों के विकास के लिए पश्चिमी जर्मनी की सरकार से ऋण**

8321. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
**श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :
**श्री चित्ति बाबू** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी ने हाल ही में भारतीय रेलों के विकास के लिए ऋण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). भारतीय रेलों के विकास के लिए 1966-67 कन्सोर्टियम असिस्टेंस के अंश के रूप में फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी की सरकार के विदेशी सहायता कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार जर्मन बैंक "क्रेडिटांसटाल्ट फर बीदरोफबो" से 160 लाख डूशे मार्क कर्ज लेने के लिए (जो 3.04 करोड़ रुपये के बराबर है) 4 अप्रैल, 1968 को एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कर्ज पश्चिमी जर्मनी से निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के लिए है :

(क) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में छत्तीस 650 अश्व शक्ति वाले डीजल-हाइड्रालिक शंटिंग रेल इन्जनों के निर्माण के लिये पुर्जे।

(ख) बम्बई उपनगरीय खण्ड और विजयवाड़ा और खड़गपुर स्टेशनों पर रूट रिले अन्तर्पाश लगाने के उपस्कर।

(ग) विशेष ढंग की 8 मशीनें जैसे अण्डर फ्लोर ह्वील लेथ और भारी ड्यूटी वाली एक्सिलरफिंग मशीनें। इस कर्ज पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और इसका भुगतान 30 जून, 1975 से अर्थात 7 वर्ष की मोहलत के बाद 37 छमाही किश्तों में किया जायेगा। कर्ज की असंवितरित रकम पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभार भी देना होगा।

## आयात नीति

8322. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई आयात नीति के लागू किए जाने से रत्न और कीमती पत्थरों का आयात 80% से घटाकर 55% कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी का निर्यात तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा समूचे रत्न और कीमती पत्थर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) अप्रैल, 1968 — मार्च, 1969 के लिए चालू आयात पुनर्भरण नीति में रत्न तथा जवाहरात के निर्यात पर हकदारी को दो मदों के मामले में 70% से घटाकर 50% और एक मद के मामले में 70% से घटाकर 30% किया गया है।

(ख) परिष्कर में अधिकतम मितव्ययिता अपनाई जाने पर जितने पुनर्भरण की आवश्यकता होगी उसके मूल्यांकन के आधार पर ही यह किया गया है।

(ग) नई नीति का रत्न तथा जवाहरात व्यापार के निर्यात और उनसे विदेशी मुद्रा के उपार्जन पर पड़ने वाले प्रभाव का इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता परन्तु इससे निर्यातों में गिरावट नहीं आनी चाहिए।

## सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

8323. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त सूती कपड़ा संबंधी अध्ययन दल ने देश में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में सुझाव दे दिए हैं।

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देश में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाए और इस प्रयोजन के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था की जाए। किन्तु कोई विस्तृत सिफारिशें नहीं की गई।

(ग) सरकार, उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सचेत है और कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए विविध उपाय किये गये हैं (जैसा कि 5 मार्च, 1968 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2951 के उत्तर में उल्लेख किया गया है)। इसके अतिरिक्त, अभी हाल में वस्त्र-आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई है, जिसका कार्य उद्योग को आधुनिकीकरण अथवा कार्यकारी पूंजी के लिए बैंकों से अतिरिक्त धन प्राप्त कराने के उपायों की सिफारिश करना है।

## Meeting of Indian Railway Loco Mechanical Staff Association

8324. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Northern Railway Zonal Committee of the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association has sent a memorandum to the Railway Administration after the meeting of their Working Committee held in Jhajha on the 6th April, 1968 ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**: No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

## यलविगी रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में आहत हुए तथा मारे गये व्यक्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक दी गई धनराशि

8325. **श्री अगाड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 मार्च, 1968 को यलविगी रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में आहत हुए तथा मारे गये यात्रियों के लिये किस दर पर अनुग्रहपूर्वक धनराशि दी गई है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को अदायगी दी जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों को अदायगी की जानी अभी बाकी है ;

(ग) इस दुर्घटना में कितने शवों को अभी तक पहचाना नहीं जा सका है ;

(घ) मृतकों के सम्बन्धियों का पता लगाने के क्या प्रयत्न किये गये हैं तथा क्या शवों के फोटो समाचार-पत्रों में छापे गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों में छापे गये हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) घायल व्यक्ति के मामले में अधिकतम 400 रुपये तक और मृत व्यक्ति के मामले में अधिकतम 500 रुपये तक अनुग्रह रकम का भुगतान विभिन्न दरों पर किया गया है।

(ख) 70 मामलों में अनुग्रह रकम का भुगतान किया जा चुका है और 13 अन्य मामलों में इसका भुगतान किया जा रहा है। बाकी मामलों में इसका भुगतान मुख्यत: इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि शव पहिचाने नहीं जा सके।

(ग) छः।

(घ) और (ङ). पुलिस ने सभी फोटो उतार लिए हैं और चूंकि कुछ शव पहिचाने नहीं जा सके, इसलिये पहिचाने न जा सके व्यक्तियों के सम्बन्धियों से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। यद्यपि इस दिशा में प्रयास बराबर जारी है। जो व्यक्ति पहिचाने न जा सके उनके फोटों समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं कराये गये हैं क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध पुलिस प्राधिकारियों से है।

## नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के डिवीजनल लेखा कार्यालय में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के लेखा क्लर्कों के निवास स्थान पर छापा

8326. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के डिवीजनल लेखा कार्यालय में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के कुछ लेखा क्लर्कों के निवास स्थानों पर विशेष पुलिस विभाग ने छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष पुलिस विभाग ने इन मामलों की जांच करके अपने निष्कर्षों को रेलवे प्रशासन के पास भेज दिया है ताकि इन क्लर्कों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सके;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां। 1966 में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा

मण्डल लेखा कार्यालय, नयी दिल्ली के केवल एक लेखा क्लर्क, ग्रेड 1, के घर पर छापा मारा गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) नयी दिल्ली की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा जो अभियोग लगाये गये थे, उनकी जांच विशेष पुलिस स्थापना के परामर्श से, रेल प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

**उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के टाइपिस्ट**

8327. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के स्टेनोग्राफरों/टाइपिस्टों के स्थानान्तरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी कुछ फाइलें गुम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पुराने स्टेनोग्राफरों/टाइपिस्टों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली डिवीजन के पर्सनल बांच के कुछ क्लर्कों के षडयन्त्र से जानबूझ कर ऐसा किया गया है;

(ग) क्या यह मामला जांच के लिए पुलिस तथा सतर्कता विभाग को सौंपा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) जी नहीं । केवल एक फाइल गायब है ।

(ख) अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा जानबूझ कर किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि पुलिस या चौकसी विभाग को सुपुर्द करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है ।

**यमुना पुल दिल्ली के निकट देहरादून-बम्बई सेन्ट्रल एक्सप्रेस गाड़ी का रोका जाना**

8328. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1968 को देहरादून-बम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस, गाड़ी को यमुना पुल के निकट लगभग 40 मिनट तक रोका गया जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की अन्य स्थानों को जाने वाली गाड़ियां छूट गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह गाड़ी आमतौर पर इसी स्थान पर रोकी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन ने कर्मचारियों को क्या हिदायतें जारी की हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) क्रास-ओवर काटे में त्रुटि के कारण 10-4-1968 को 20 अप देहरादून-बम्बई सेन्ट्रल एक्सप्रेस दिल्ली के बाहरी सिगनलों पर लगभग 20 मिनट रुकी रही और वह 38 मिनट देर से दिल्ली पहुंची। इसके परिणामस्वरूप यह गाड़ी 91 अप बीकानेर डाक गाड़ी और 33 अप कश्मीर डाकगाड़ी से मेल न ले सकी।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**भारत में विदेशी मिलकियत वाली चाय कम्पनियां**

8329. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में वर्षवार ऐसी चाय कम्पनियों को जिनके मालिक विदेशी हैं कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है और ऐसी कम्पनियों ने उपरोक्त अवधि में लाभ की कितनी राशि प्रति वर्ष विदेशों को भेजी है;

(ख) ऐसी कम्पनियों में से प्रत्येक में कितने कर्मचारी हैं और उनकी वार्षिक वेतन राशि क्या है; और

(ग) उनमें कितने विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं, उनका वेतन क्या है और कम्पनीवार विदेशों को कितनी-कितनी राशि भेजी गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**हथकरघे से बने कपड़े का निर्यात**

8330. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में भारत ने हथकरघे से बने कितने मूल्य के कपड़े का निर्यात किया है ;

(ख) इस निर्यात में भारत के हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्स्पोर्ट्स/कारपोरेशन का कितना भाग है;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत के हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैडलूम्स एक्स-पोर्टस कारपोरेशन के व्यापारिक साथियों के रूप में कार्य किया और हाथ से तैयार किये गये कपड़े के कुल निर्यात में उनका कितना-कितना भाग है; और

(घ) इन कम्पनियों ने किन-किन शर्तों पर कार्य किया ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) 1143 लाख रुपये।

(ख) 20.7 लाख रुपये।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

**त्रैमासिक सीजन टिकट वालों को रियायत**

8331. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरेगांव परवासी संघ तथा/अथवा बम्बई के किसी अन्य संगठन से त्रैमासिक सीजन टिकट वालों को दी गई रियायतें वापिस लेने के विरोध में कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इन रियायती त्रैमासिक सीजन टिकटों को वापिस लेने के परिणामस्वरूप बम्बई के उपनगरीय सीजन टिकट वालों को होने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1968 तक त्रैमासिक सीजन टिकट का प्रभार मासिक सीजन टिकट के प्रभार का ढाई गुना था। 1 अप्रैल, 1968 से इसे बढ़ाकर मासिक सीजन टिकट के प्रभार का तीन गुना कर दिया गया। गोरेगांव प्रवासी संघ ने अनुरोध किया है कि त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया उतना ही कर दिया जाये जितना 1 अप्रैल, 1968 से पहले लिया जाता था।

(ग) अन्य लोगों से भी इसी प्रकार के अभ्यावेदन मिले थे। फिर से विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया है कि 31 मार्च, 1968 से पहले त्रैमासिक सीजन टिकट के लिये जो प्रभार लिया जाता था, उसमें 1 अप्रैल, 1968 से मासिक सीजन टिकट के प्रभार में की गयी वृद्धि का तीन गुना जोड़ कर प्रभार लिया जाये।

**औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में डा० हजारी का प्रतिवेदन**

8332. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० आर० के० हजारी के औद्योगिक लाइसेंसों देने सम्बन्धी प्रतिवेदन का अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) सरकार की टिप्पणियों सहित यह प्रतिवेदन थैकर समिति को कब भेजा गया था; और

(ग) हजारी समिति पर सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) सरकार 'औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस दिये जाने की नीति' पर डा० हजारी की रिपोर्ट पर अपना अध्ययन तभी पूरा कर सकेगी और अपने विचार निश्चित कर सकेगी जब उसे औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति, जिसकी स्थापना औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के कार्य करने के ढंग की जांच करने के लिये की गई थी, का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायगा ।

(ख) डा० हजारी द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन की प्रतियां ठाकर समिति को 22 जुलाई, 1967 को उपलब्ध करा दी गई थीं । अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतियां सरकार द्वारा समिति को 16 नवम्बर, 1967 को दी गई थीं । समिति को रिपोर्ट की प्रतियां देते समय सरकार ने अपना कोई भी निर्णय नहीं दिया था ।

(ग) डा० हजारी योजना आयोग द्वारा अवैतनिक परामर्शदाता नियुक्त किए गये थे और उन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया गया था । फिर भी डा० हजारी द्वारा अपने मुख्यालय बम्बई से नई दिल्ली और नई दिल्ली से बम्बई के बीच रिपोर्ट से सम्बन्धित यात्रा करने के लिए योजना आयोग ने यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में 1,519.90 रु० व्यय किया था ।

---

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### रेलवे द्वारा कोयला सप्लाई करने वाले लोगों के टेंडरों का रद्द किया जाना

**अ०सू० प्र० संख्या 23. श्री रा० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने उन टेंडरों को रद्द कर दिया है जो उन्होंने फरवरी, 1968 में कोयला सप्लाई करने वाले लोगों से मांगे थे ;

(ख) यदि हां, तो कोयला सप्लाई करने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है तथा उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कोयला उद्योग द्वारा कोयले के अधिक मूल्य मांगे जाने के कारण ऐसा किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां ।

(ख) कोयला सप्लाईकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया या प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वर्तमान ठेके के अनुसार कोयला प्राप्त हो रहा है ।

(ग) यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध भाग (क) से है, तो उत्तर नकारात्मक है ।

---

## अतारांकित प्रश्न संख्या 6077 के उत्तर में शुद्धि
## Correction of Answer to Unstarred Question No. 6077

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: श्री रंजीत सिंह द्वारा 2-4-1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6077 के भाग (क) के उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी गई थीं :

(क) जी हां, लेकिन वह 25-3-68 को गिरफ्तार किया गया था। उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (क) का सही उत्तर इस प्रकार है—

(क) जी हां, लेकिन वह 25-2-68 को गिरफ्तार किया किया गया था।

---

## विशेषाधिकार प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में
## Re. PRIVILEGE MOTIONS AND CALLING ATTENTION NOTICES

**अध्यक्ष महोदय** : अन्य कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि मुझे प्रोफेसर थेकर के इस्तीफे के सम्बन्ध में कई विशेषाधिकारों के प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मंत्री महोदय आज वापस आ गये हैं और मैंने कल के लिए ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में कल वह एक वक्तव्य देंगे।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) काजू गिरी का निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 2 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 87 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) काजू गिरी का निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 5 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 480 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रबड़ पट्टों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1298 में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की मद (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [**पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०-987/68**]

**खान तथा धातु (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 703 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 704 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-988/68**]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सिंगारेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिंगारेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-989/68**]

---

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

**कार्यवाही सारांश**

**श्री तिरुमल राव** (काकीनाडा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई चौथी और पांचवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

## प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

### सैंतालिसवां प्रतिवेदन

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) : I beg to lay on the Table the Minutes of the sittings relating to Forty seventh Report of Estimates Committee on the Ministry of Home Affairs, Union Public Service Commission.

---

## सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से प्रतिवेदन में लिखित समय के लिये अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है :

(1) श्री वी० आई० तामस्कर

(2) हिज हाइनेस राजा यशवन्त राव मुकने

(3) श्री ए० नेसामनी

(4) श्री मसूरिया दीन

(5) रानी ललिता राज्यलक्ष्मी

मैं यह मानता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है :

**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय** : सम्बन्धित सदस्यों को इस सम्बन्ध में सूचना दे दी जायेगी।

---

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

### तेरहवां प्रतिवेदन

**Shri D. N. Tiwary** (Gopalganj) : I present the Thirteenth Report of the Committee on Public Undertakings on Asoka Hotels Limited; New Delhi.

---

## सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

### पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय से सम्बद्ध मांग संख्या 75 से 78, 126 और 127 पर चर्चा और मतदान होगा। इसके लिये तीन घंटे का समय नियत है।

**वर्ष 1968-69 के लिये पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| 75 | पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय | 16,24,000 |
| 76 | ऋतु विज्ञान | 3,12,51,000 |
| 77 | उड्डयन | 10,10,83,000 |
| 78 | पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 1,82,76,000 |
| 126 | उड्डयन पर पूंजी परिव्यय | 6,72,55,000 |
| 127 | पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | 4,88,15,000 |

**श्री गार्डिलिंगन गौड** (कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों से यह बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन जनता की सुचारु रूप से सेवा कर रहे हैं। ये दोनों संस्थाएं व्यापारिक संस्थाएं हैं और जनता की सेवा के साथ-साथ उन्हें कुछ लाभ भी कमाना चाहिए। इन दोनों संगठनों पर सरकार ने 53 करोड़ रुपये लगाये हुये हैं। एयर इंडिया तो लाभ कमा रहा है परन्तु एयरलाइन्स कारपोरेशन घाटे में जा रहा है। इसके घाटे में जाने का कारण मेरी समझ में नहीं आता। इसने भाड़े की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हाल ही में की है। साथ ही 12 लाख रुपये की इसे राजसहायता भी मिलती है। इसके बावजूद इसे घाटा हो रहा है। अपनी सेवाओं का सम्पूर्ण देश में विस्तार करके तथा भाड़े की दरों में कमी करके यह लाभ कमा सकता है। कुरनूल एक महत्वपूर्ण स्थान है और वहां हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। यहां भारत के कोने-कोने से तीर्थयात्री आते हैं। अत: वहां हवाई पट्टी बनाई जानी चाहिए और हैदराबाद या बंगलौर से वहां तक कुछ विमान सेवाएं बढ़ाई जायें। बेल्लारी भी एक ऐतिहासिक स्थान है तथा वहां के हवाई अड्डे की स्थित सुधारी जाये और वहां तक विमान सेवा बढ़ाई जाये।

स्पेन, यूनान जैसे पश्चिमी देशों में पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। अमरीका में यह उद्योग दूसरे नम्बर पर है। परन्तु भारत में भारत सरकार ने ऐसे प्रयास नहीं किये हैं जिससे भारत की ओर अधिक पर्यटक आकर्षित होते। इस उद्योग से भारत ने गत वर्ष केवल 24 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमाई थी जबकि स्पेन 750 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष कमाता है। यदि हमारे देश में पर्यटकों को अच्छे मार्गों, अच्छे होटलों आदि की सुविधाएं दी जायें, आप्रवास की

शर्तें ढीली कर दी जायें, मार्गों पर आरामघरों और शराब आदि की सुविधा दी जाये तो इस उद्योग से भारत भी अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इन मांगों के लिये केवल तीन घंटे का समय नियत है । मंत्री महोदय उत्तर के लिये आधा घंटे का समय लेंगे और इस प्रकार यह मांग चार बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये ।

निर्दलीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि बोलने के इच्छुक सदस्य अपने नाम पृथक-पृथक भेजें, एक सूची बनाकर नहीं । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में विद्यमान प्राकृतिक सौन्दर्य और आकर्षण के स्थानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो अधिक संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं यदि उन्हें पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाये । उड़ीसा में चिल्का झील है जो हमारे देश की सुन्दरतम झीलों में से एक है । उस झील के आस-पास कम रुपये खर्च करके अनेक मनोरंजन-स्थल बनाये जा सकते हैं और पर्यटकों को अनेक सुविधाएं दी जा सकती हैं । पर्यटन की दृष्टि से चिल्का झील का विकास करने के लिये सरकार को एक समेकित योजना तैयार करनी चाहिये और वहां पर तैरने, मछली पकड़ने, चिड़ियों का शिकार करने तथा नौका विहार करने जैसी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । वहां पर 50-60 छोटे आरामगृह भी बनाये जाने चाहिये तथा स्वचालित नौकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये । इससे वहां पर्यटक अधिक संख्या में जायेंगे । कोनार्क एक सुन्दर स्मारक है जिसमें पुरातन कला सजीव हो उठी है । इसका जीर्णोद्धार करवाया जाये वहां पर्यटक के लिये अधिक सुविधाएं जुटाई जायें । भुवनेश्वर को तो मन्दिरों की नगरी कहा जाता है । वहां के लिंगराज और राजरानी जैसे महत्वपूर्ण मन्दिर भी जीर्णावस्था में है । सरकार को इन मन्दिरों पर ध्यान देना चाहिये और उनके आस-पास के स्थानों को सुन्दर बनाना चाहिए । गोदालपुर, कोनार्क और पुरी जैसे स्थानों को सुन्दर बनाने का कार्यक्रम अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है । लीलतगिरी जहां बौद्धों के लगभग दो हजार वर्ष पुराने मठ पाये गये हैं, और कान्तिलो जो एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इन स्थानों तक पहुंचने के लिये जो उचित मार्ग भी नहीं है । यदि सरकार प्रयत्न करे तो ये स्थान भी पर्यटन केन्द्र बन सकते हैं ।

हाल ही में एक पर्यटन सर्वेक्षण किया गया था । पर्यटन सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि पश्चिमी देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या घटती जा रही है । इसका कारण पर्यटकों की असुविधा का होना बताया गया है । इन असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । भारतीय पर्यटक विकास निगम पर जितना सरकार ने खर्च किया है, उतना अच्छा काम वह नहीं कर रहा है । दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जानी चाहिए । भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी को चौड़ा बनाया जाये और वहां पर यात्रियों के लिये अधिक सुविधाओं को जुटाया जाये ।

**श्री बाबूराव पटेल** (शाजापुर) : इस मंत्रालय के एयर इण्डिया विभाग में अत्यधिक फिजूलखर्ची होती है। यह विभाग प्रतिवर्ष उद्घाटनात्मक उड़ानों का आयोजन करता है। गत वर्ष एयर इण्डिया ने 14 उद्घाटनात्मक उड़ानों का आयोजन किया जिनमें 306 व्यक्तियों ने यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान 37750 पौंड अतिथि सरकार और अतिथियों के मनोरंजन पर खर्च किये गये विदेशी मुद्रा के संकट के समय इस प्रकार से विदेशी मुद्रा खर्च करना कहां तक उचित है। दूसरे उद्घाटनात्मक उड़ाने उस समय आयोजित की जानी चाहिए जबकि कोई नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया हो या कोई नई सेवा प्रारम्भ की गई हो। परन्तु यहां तो पुराने विमान ही उद्घाटनात्मक उड़ाने भरते हैं। इसके अतिरिक्त इन उड़ानों में ऐसे व्यक्तियों को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है जिनका एयर इण्डिया से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं होता। तस्करी के कुछ ऐसे भी मामले पकड़े गये हैं जिनमें स्वयं एयर इण्डिया के कर्मचारी सम्मलित हैं। एयर इण्डिया में अब भी पारसियों का प्रभुत्व है। यह समझ नहीं आता कि श्री टाटा जो एक गैर-सरकारी व्यक्ति हैं, को सरकारी संस्था का सभापति क्यों नियुक्त किया गया हैं। यह भी समझ में नहीं आता कि एयर इन्डिया या इन्डियन एयरलाइन्स के विज्ञापन देने का काम विदेशी एजेन्सियों को क्यों दिया जाता है। मैसर्स वाल्टर थोमसन तथा मेसर्स क्लेरियन मैकनान कम्पनियां लाखों रुपया कमीशन के रूप में कमा रही हैं जो राशि विदेशों को चली जाती हैं। यह काम भारतीय फर्म से करवाया जाना चाहिए। इण्डियन एयरलाइन्स में भी बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उदाहरण के लिये 'एयर सिकनेस' थैलियों को लीजिए। वे प्रतिवर्ष 70 हजार रुपये की खरीदी जाती हैं जबकि आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 33 प्रतिशत यात्री उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार 3 या 4 लाख थैलियां प्रयोग में नहीं लाई जातीं। वस्तुतः प्रतिवर्ष थैलियां तो खरीदी नहीं जातीं, परन्तु 70,000 रुपये का नया बिल प्रतिवर्ष सरकार को दे दिया जाता है। इस राशि को कोई निगलता जा रहा है। इस सम्बन्ध में जांच कराई जाये। अन्त में एक और सुझाव देना चाहता हूं। एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स आजकल दो निगम एक ही कार्य कर रहे हैं। मेरे विचार से इन दोनों को मिलाकर एक निगम बना दिया जाये जिसमे दोनों का कार्य समन्वित रूप से हो और मंत्रालय भी उस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सके। इससे प्रशासनिक व्यय कम होगा और भ्रष्टाचार का भी कुछ हद तक उन्मूलन होगा।

**श्री ना० कु० सांघी** (जोधपुर) : हम सब चाहते हैं कि हमारे पर्यटन उद्योग का विकास हो। इसके लिये एक पृथक मंत्रालय और एक निगम की स्थापना भी की गई है। पर्यटन के विकास के नाम पर बहुत बड़ी राशि खर्च की जा रही है। हम इसके बारे में जितनी बातें करते हैं उतना विकास नहीं कर पाये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यटन की संकल्पना और उसके प्रशासन में कहीं आधारभूत गलती रह गई है।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** ]

भारत एक विशाल देश है और उसमें ऐसे अनेक स्थल और स्मारक हैं जिन्हें पर्यटकों के लिये दर्शनीय बनाया जा सकता है। यहां विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है। प्राकृतिक

सौन्दर्य से परिपूर्ण अनेक रमणीक स्थान हैं। यहां अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा सम्पूर्ण देश पर्यटन केन्द्र बन सकता है और यहां पर्यटन को एक मुख्य उद्योग बनाया जा सकता है। परन्तु दुख की बात यह है कि पर्यटन के विकास के लिये यहां उतना काम नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिये। स्पेन, इटली, जापान और थाइलैंड जैसे देशों में यह उद्योग भली भांति पनपता जा रहा है जबकि भारत इस मामले में भी पिछड़ा हुआ है। हम विश्व पर्यटकों को केवल $\frac{1}{2}$ प्रतिशत अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं। भारत जैसे देश, जो पर्यटन के सम्पूर्ण संसाधनों से सम्पन्न है, के लिये यह नगण्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो पर्यटन विकास के लिए भी परामर्श देती है, अधिकतर सिफारिशों को रद्द कर दिया जाता है। इसकी सब सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए और उसे कार्यान्वित कराया जाये। भारतीय पर्यटन विकास निगम जिसकी स्थापना पर्यटन के विकास तथा विदेशी पर्यटकों के लिए होटल आदि बनाने के उद्देश्य से की गई थी, वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। अब तक उसके पांच निदेशक मण्डल नियुक्त किये जा चुके हैं। प्रत्येक निदेशक मण्डल अपने ढंग से कार्य प्रारम्भ करता है। इससे विकास की गति धीमी पड़ जाती है। आजकल निगम का कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर नहीं है। इस निगम ने एक भी होटल का निर्माण नहीं किया है। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

हमारे पर्यटक अधिकारियों की सेवाएं भी संतोषप्रद नहीं होतीं। इसका कारण यह है कि उन अधिकारियों ने स्वयं ने पर्यटन स्थल नहीं देखे होते। यदि पर्यटक अधिकारियों को भारत के सभी पर्यटन केन्द्रों का भ्रमण कराया जाये तो वे उन स्थानों से पूर्ण परिचित हो जायेंगे और वे पर्यटकों को उनसे सम्बन्धित जानकारी देकर संतुष्ट कर सकेंगे। पर्यटक को किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसे ठहरने के लिये अच्छा स्थान खाने के लिए अच्छा भोजन, यात्रा की सुविधाएं और अच्छे गाइड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सब सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध होनी चाहिए। इन्डियन एयरलाइन्स की सेवा में सुधार होना चाहिए। उदयपुर में टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है। इन्दौर के हवाई अड्डे पर सार्वजनिक घोषणा व्यवस्था नहीं है। हवाई अड्डों पर जो दुकानें हैं उन पर बहुत महंगे दामों पर वस्तुएं बेची जाती हैं। पालम हवाई अड्डे पर काफी का प्याला 1.25 रुपये में बेचा जाता है जबकि बाहर यह सस्ता मिलता है। हवाई अड्डों की दुकानों पर वस्तुएं सस्ती मिलनी चाहिये। विदेशी पर्यटकों के लिये अच्छे होटल बनाये जाने चाहिए। रणजीत होटल और लोदी होटल, जो नये बने हैं, उतने साफ सुथरे नहीं रहते, जितने साफ उन्हें होना चाहिये। पर्यटक तभी आयेगा जबकि होटल साफ सुथरा होगा। सरकार को सर्वप्रथम इन छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करना चाहिये और पर्यटन के विकास के लिये ठोस प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिये संसद सदस्यों की एक समिति भी नियुक्त की जानी चाहिए। मंत्रालय में एक ऐसा विभाग भी खोला जाना चाहिए जो उन पर्यटकों को ठहरने के स्थान और परिवहन दिलाने की व्यवस्था करे, जो इस प्रकार का प्रबन्ध स्वयं न कर सकें। इस प्रकार से देश में पर्यटन उद्योग का विकास हो सकता है।

**श्री कन्डप्पन** (मैट्टूर) : इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं में सुधार की काफी गुंजाइश है। सामान आदि बड़ा विलम्ब से मिलता है। हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सूचनाएं बहुत ही अस्पष्ट होती हैं। यह अब तक तय नहीं किया जा सका है कि मद्रास को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाये या बड़ा हवाई अड्डा। प्रतिवेदन के पृष्ठ तीन पर इसे अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा बताया गया तथा अनुबन्ध में इसे बड़ा अड्डा दिखाया गया है। इसके कारण मद्रास पर वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध होनी चाहिये। साथ ही मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि तमिलनाड में सलेम नामक स्थान पर एक नया हवाई अड्डा बनाया जाये। इसके लिये अभ्यावेदन आदि भी दिये जा चुके हैं। वहां पर इसके लिये भूमि आदि तैयार है।

हमारी असैनिक विमान सेवा के लिये अब अनेक विमान चालकों की आवश्यकता होगी चूंकि अब अनेक विमान चालक सेवा निवृत्त होने वाले हैं। विमान चालकों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिये। दक्षिण भारत में अनेक धार्मिक स्मारक हैं जिनका ऐतिहासिक और वास्तु-कला की दृष्टि से बड़ा महत्व है। इनके परिरक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और उनके सम्बन्ध में प्रचार भी किया जाना चाहिये। इन स्थानों पर भोजन और आवास की व्यवस्था होनी चाहिये और वहां यातायात की सुविधा का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिये।

मेरे विचार से हमारे देश में प्रचार पुस्तिकाओं का अभाव है। छोटे-छोटे ऐतिहासिक स्थानों की तो बात छोड़िये, ताजमहल जैसे प्रसिद्ध स्मारकों के सम्बन्ध में प्रचार पुस्तिका नहीं है। सरकार को सब छोटे और बड़े ऐतिहासिक स्थानों के बारे में ऐसी प्रचार पुस्तिकायें प्रकाशित करानी चाहिये जिससे पर्यटकों को उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी मिल जाये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह मंत्रालय हिन्दी के प्रचार पर काफी धन खर्च कर रहा है। पर्यटन जैसे मंत्रालय में तो अंग्रेजी का होना अनिवार्य है। जितने रुपये यह मंत्रालय हिन्दी के प्रचार पर खर्च करता है, उतने वह असैनिक उड्डयन की कार्यकुशलता बढ़ाने पर खर्च कर सकता है।

**श्री अ० श्री० कस्तूरे** (खामगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, चूंकि आपने मुझे पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई। भारत एक विशाल देश है और इसमें बहुत से धर्म हैं। यहां के लगभग सभी स्थान धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं और पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी कर सकते हैं।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई**
**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock**

**लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई**
**The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock**

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** ]

**श्री अ० श्री० कस्तूरे** : पर्यटन को एक अत्यधिक समृद्ध उद्योग समझा जाना चाहिये। महाराष्ट्र में बहुत से ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जैसे रामरख मन्दिर। यह भगवान राम का मन्दिर है। कालीदास ने मेघदूत इसी स्थान पर लिखा था। इस मन्दिर को पर्यटकों के लिये महत्वपूर्ण स्थान घोषित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई किले हैं। नागपुर में सीताबर्डी किला है, अकोला में नारनाटा किला, अमरावती जिले में गाविडनाड किला और मोजरी जिले में गुरुकुंज किला जैसे कई किले हैं। इन स्थानों को पर्यटकों के लिये महत्वपूर्ण स्थान समझा जाना चाहिये। सिन्दरवेड राजा के महल और दूसरी इमारतों और महान शिवाजी की माता जीजामाता के जन्मस्थान को भी पर्यटक केन्द्र घोषित किया जाना चाहिये।

अजन्ता की गुफाओं से केवल तीस मील की दूरी पर स्थित बुलडाणा एक और महत्वपूर्ण स्थान है। महाराष्ट्र सरकार ने अजन्ता से बुलडाणा तक बस सेवा भी चालू कर दी है। किन्तु बुलडाणा में पर्यटकों के लिये उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर एक छोटा पर्यटक कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिये और वहां एक पर्यटक बंगला भी बनाया जाना चाहिये।

नागपुर भारत के मध्य में स्थित है किन्तु दिल्ली से नागपुर तक कोई सीधी विमान सेवा की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली से नागपुर तक सीधी विमान सेवा की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो सके तो दिल्ली से मद्रास या हैदराबाद या बंगलौर जाने वाले विमानों को नागपुर पर रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिये और नागपुर में रुक कर फिर वे अपने गतंव्य स्थान को जा सकते हैं।

औरगांबाद हवाई अड्डे के सम्बन्ध में भी कुछ दिक्कत है। इण्डिया एयरलाइन्स कारपोरेशन का कार्यालय तो औरगांबाद होटल में है और हवाई अड्डा चिरवलयाना में है। हवाई जहाज के आने पर कारपोरेशन के सभी कर्मचारी हवाई अड्डे पर चले जाते हैं और कार्यालय में कोई भी नहीं ठहरता। हवाई जहाज के आने के समय कम से कम एक कर्मचारी कार्यालय में भी रहना चाहिये ताकि पर्यटकों और यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 47 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | यात्रा पर जाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को हवाई अड्डों के विश्राम-कक्षों में उसी प्रकार कम शुल्क पर स्थान देने की आवश्यकता, जिस प्रकार कि राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता है। | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। |
| 77 | 48 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | विभिन्न मंत्रालयों की स्टाफ-कारों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिये इ० एण्ड एम० वर्कशाप को स्थायी वर्कशाप बनाने की आवश्यकता। | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। |
| 77 | 49 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | विभिन्न हवाई-अड्दों पर दो अथवा तीन प्रशासकों के बजाय, जैसा कि इस समय है, एक प्रशासक रखने की आवश्यकता। | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। |
| 77 | 50 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | श्रेणी दो के पदों को केवल विभागीय पदोन्नति के लिये आरक्षित रखने तथा श्रेणी एक के स्तर के पदों के लिये सीधी भरती की, जैसा कि अन्य विभागों में होता है, आवश्यकता। | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। |
| 77 | 51 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | मार्केट से अत्यधिक दूरी पर स्थित हवाई अड्डों पर नियुक्त कर्मचारियों को वस्तुएं आदि खरीदने के | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | लिये कम से कम सप्ताह में एक बार निशुल्क परिवहन सुविधायें देने की आवश्यकता । | |
| 77 | 52 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | आई० सी० ए० ओ० असेम्बली संकल्प को लागू करने की आवश्यकता, जिसमें कि इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि विमान यातायात सेवाओं के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की काम की दशा तथा वेतन-मानों में सुधार किया जाये । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय । |
| 77 | 53 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिये एक संविहित निगम स्थापित करने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय । |
| 77 | 54 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों, जिनके रहन-सहन की ओर सेवा की अवस्थाएं अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना में कठिन हैं, की समस्याओं में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय । |
| 77 | 55 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | जो कर्मचारी वर्दी पाने के अधिकारी हैं उन्हें समय पर वर्दी देने में असफलता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 56 | श्री पी०के० वासुदेवन नायर | असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों और जमादारों को उसी प्रति घंटा दर पर समयोपरि भत्ता न देना जिस दर पर वह उस विभाग के अन्य संचालन सम्बन्धी कर्मचारियों को दिया जाता है । | 100 रुपये |
| 77 | 57 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | उपलब्ध स्थायी पदों पर अराजपत्रित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न करना । | 100 रुपये |
| 77 | 58 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों को उनकी सेवा के अखिल भारतीय उत्तरदायित्व और हवाई अड्डों के दूर बने होने को ध्यान में रखते हुए मकान देने में असफलता । | 100 रुपये |
| 77 | 59 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | वर्कशाप कमेटी रिपोर्ट को लागू करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 77 | 60 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | वर्कशाप कर्मचारियों के लिए 1—9—1957 से संशोधित वेतन-मान लागू करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 77 | 61 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | हवाई अड्डे के चालकों के वरिष्ठ श्रेणी के पदों की आंतरिक प्रतिशतता के भेदभाव को मिटाने में असफलता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 62 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | कर्मचारियों की समस्याओं और कर्मचारी संघ के प्रतिवेदनों को निपटाने में प्रशासन की अत्यधिक देरी को दूर करने में असफलता। | 100 रुपये |
| 77 | 63 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने में गृह-मंत्रालय के आदेशों का पालन करने में असफलना | 100 रुपये |
| 77 | 64 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | कर्मचारियों को जो कई वर्षों से स्थायित्व होने के अधिकारी हैं स्थायित्व प्रमाण-पत्र जारी करने में असफलता। | 100 रुपये |
| 77 | 65 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | तकनीकी और परिचालन सम्बन्धी कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में सचिवीय पदों की संख्या बढ़ाने में असफलता। | 100 रुपये |
| 77 | 66 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | असैनिक उड्डयन विभाग में अन्य विभागों की तरह काम होने पर भी प्रशासनिक अधिकारियों, अधीक्षकों, उच्च क्लर्कों और वरिष्ठ क्लर्कों के पद बनाने में असफलता। | 100 रुपये |
| 77 | 67 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन संवर्गों में पदोन्नति | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | की कोई सम्भावनाएं नहीं हैं या नगण्य हैं, उनमें वरिष्ठ श्रेणी पद बनाने में असफलता । | |
| 77 | 68 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | वेतन-मान में अधिकतम वेनन पाने वाले कर्मचारियों को समुचित प्रोत्साहन देने में असफलता । | 100 रुपये |
| 77 | 69 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | कई वर्षों से जिन्हें एक भी पदोन्नति नहीं मिली है और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं ऐसे कर्मचारियों की स्थिरता को हटाने में असफलता । | 100 रुपये |
| 77 | 70 | श्री पी०के० बासुदेवन नायर | असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा भारतीय वायु सेना में पालम हवाई अड्डा लेने पर वहां पर तैनात कर्मचारियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा देने में असफलता । | 100 रुपये |
| 76 | 71 | श्री रामावतार शास्त्री | कृत्रिम वर्षा से संबंधित विज्ञान का विकास न करना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय । |
| 76 | 72 | श्री रामावतार शास्त्री | किसानों को ऋतु विज्ञान संबंधी पर्याप्त सूचना न देना । | 100 रुपये |
| 77 | 73 | श्री रामावतार शास्त्री | हवाई अड्डों का विस्तार करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 74 | श्री रामावतार शास्त्री | कर्मचारियों के काम की शर्तें सुधारने में असफलता । | 100 रुपये |
| 77 | 75 | श्री रामावतार शास्त्री | कर्मचारियों में बढ़ रहे असंतोष को दूर करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 77 | 76 | श्री रामावतार शास्त्री | पटना हवाई अड्डे का सुधार करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 77 | 77 | श्री रामावतार शास्त्री | पटना हवाई अड्डे को आकर्षक बनाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 77 | 78 | श्री रामावतार शास्त्री | हवाई अड्डों के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये पर्याप्त मुआवजा न देना । | 100 रुपये |
| 77 | 79 | श्री रामावतार शास्त्री | आधुनिक तथा आरामदेह (डी लक्स) विमान खरीदने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 78 | 80 | श्री रामावतार शास्त्री | राज्यों में पर्यटक एजेंसियों को अधिक लाभदायक और सुदृढ़ बनाने में असफलता । | 100 रुपये |
| 78 | 81 | श्री रामावतार शास्त्री | विभिन्न राज्यों में पर्यटक एजेंसियों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 78 | 82 | श्री रामावतार शास्त्री | पर्यटक केन्द्रों के समुचित विकास की आवश्यकता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 78 | 83 | श्री रामावतार शास्त्री | अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सघन प्रचार करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 78 | 84 | श्री रामावतार शास्त्री | बिहार में पर्यटक केन्द्रों के समुचित विकास कार्य आरम्भ करने में असफलता। | 100 रुपये |
| 78 | 85 | श्री रामावतार शास्त्री | राजगीर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये अनुदान देने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 78 | 86 | श्री रामावतार शास्त्री | गया जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 78 | 87 | श्री रामावतार शास्त्री | राजगीर को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक केन्द्र बनाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 78 | 88 | श्री रामावतार शास्त्री | राजगीर के जल स्रोतों को अरक्षि रखने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 127 | 89 | श्री रामावतार शास्त्री | इम्पीरियल होटल, दिल्ली को अपने नियंत्रणाधीन लेने में असफलता । | 100 रुपये |
| 127 | 90 | श्री रामावतार शास्त्री | होटल बन्द न करने के लिये इम्पीरियल होटल के प्रबन्धकों पर दबाव डालने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 127 | 91 | श्री रामावतार शास्त्री | विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिये इम्पीरियल होटल को चालू रखने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

**उपाध्यक्ष महोदय :** ये कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

**श्री मेघचन्द्र :** 1967-68 के वर्ष के लिये मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास सुधार नहीं किया गया है। पूर्वी प्रदेश, विशेषकर, आसाम, नागालैण्ड और मनीपुर में पर्यटन के विमान तथा पर्यटक केन्द्रों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस क्षेत्र के कई स्थानों में प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रचुरता है। लोक-ताल झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है उसे सुधारने के लिये और उसे महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यदि पर्यटन को उद्योग के तौर-पर आगे बढ़ाना है तो यह सारे भारत के लिये किया जाना चाहिये। इस उद्योग को पूर्वी क्षेत्र में चलाने के लिये भी प्रयास किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि देश के इस भाग में आने वाले लोगों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इनर लाइन परमिट के बिना किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यटन में तालमेल होना चाहिये। हमें अपनी नीति को उदार बनाना चाहिये और इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सरकार को गैर-अनुसूचित उड़ानों और गैर-सरकारी माल ले जाने वाली कम्पनियों को स्वयं संभाल लेना चाहिये। इन गैर-सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी भी यही मांग कर रहे हैं।

मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि नागरिक उड्डयन विभाग दोनों विमान निगमों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की ओर उचित ध्यान नहीं देता। एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के सभी वर्गों के तकनीकी या गैर-तकनीकी कर्मचारी हड़तालें कर रहे हैं। किन्तु जिस तरीके से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि इस ओर यथासम्भव ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है। इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

[श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए
Shri S. M. Joshi in the Chair]

असैनिक उड्डयन विभाग को मनीपुर तथा दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। वहां मध्यावर्ती श्रेणी के हवाई अड्डे हैं। उनका सुधार एवं विकास किया जाना चाहिये। उस क्षेत्र में इस समय केवल डकोटा विमान उड़ाने लगाते हैं। कुछ आधुनिक और बड़े-बड़े विमानों को भी इम्फाल में आना चाहिये और इन सीमावर्ती क्षेत्रों तथा भारत के दूसरे स्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये।

फ्लाइंग क्लबों का भी उल्लेख किया गया है किन्तु मनीपुर में कोई फ्लाइंग क्लब नहीं

है। इन फ्लाइंग क्लबों को ठीक ढंग से चलाया जाना चाहिये और विमान-चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह) :** भारतीय मौसम विभाग 1875 में स्थापित किया गया। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। यहां कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं है और इसके लिये कोई विदेशी सहयोग भी प्राप्त नहीं किया गया बल्कि दूसरे देश हमारे वैज्ञानिकों और अधिकारियों से अपने मौसम विभाग स्थापित करने के बारे में सहायता मांगते हैं।

यह विभाग दूर संचार प्राणाली में सुधार करने या उसे आधुनिक बनाने के लिए प्रयास कर रहा है जिससे कि मौसम सम्बन्धी जानकारी समय पर प्राप्त की जा सके और इसे जनता तक पहुंचाया जा सके।

सरकार विचार कर रही है कि भारत को जेनेवा स्थित विश्व ऋतु विज्ञान संगठन द्वारा तैयार की गई 'वर्ल्ड वैदर वाच स्कीम' में भाग लेना चाहिये या नहीं और जब हम यह निर्णय कर लेंगे कि हमें इसमें भाग लेना चाहिये तो इससे देश में दूर संचार सुविधाओं में काफी सुधार हो सकेगा और इस प्रकार भारत विश्व की दूर संचार प्रणाली में सम्मिलित हो सकेगा।

भारत का समुद्र तट लगभग 5000 किलोमीटर है जहां प्राय: तूफान आते रहते हैं। पत्तन तथा उड्डयन गतिविधियों के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि हम इन तूफानों के बारे में मालूम करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें। यह काम समुद्र तट पर 8 रडार स्टेशनों के साथ-साथ मद्रास में स्थापित किये जाने वाले साइक्लोन वार्निंग एण्ड रिसर्च सेन्टर द्वारा किया जायेगा।

ऊपरी वायु-मण्डलीय ज्ञान प्राप्त करने के लिये जिन उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं वे हमारी वर्कशाप में 95 प्रतिशत देशी और 5 प्रतिशत विदेशी सामग्री से तैयार किये जाते हैं। इसी प्रकार हमने पूर्वी जर्मनी से आयात की गई 40 इंच की एक दुरबीन भारत के दक्षिण में लगा दी है। इसके लिये सभी जरूरी सामान कोडैकनाल वर्कशाप में तैयार किया जाया करेगा।

हम किसानों के लिये 55 आकाशवाणी केन्द्रों से 22 भाषाओं में मौसम बुलेटिन उनके देहाती कार्यक्रमों में प्रसारित करते हैं। मद्रास राज्य ने इसके लिये एक नया तरीका निकाला है। कृषि विभाग स्थानीय मौसस कार्यालय के साथ परामर्श करके कुछ सलाह देने वाले संदेश तैयार करता है जिन्हें 'कृषि विभाग की किसानों को सलाह' शीर्षक के अन्तर्गत मौसम बुलेटिनों के साथ जोड़ दिया जाता है। आशा है कि हम यह तरीका दूसरे राज्यों में भी शुरू कर सकेंगे।

इस विभाग ने यूनेस्को तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से कोयना भूकम्प पर एक रिपोर्ट तैयार की है और उन्होंने एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया है जो ऐसे भूकम्पों के मूल कारणों को जानने में मदद करेगा ।

सरकार और निगम हमारे उड्डयन कर्मचारियों से अधिक से अधिक उत्पादन की उम्मीद करते हैं और साथ ही हम यह भी समझते हैं कि उन्हें कम से कम न्यूनतम आवश्यक सुविधायें अवश्य प्रदान की जानी चाहिये । हम उनके आवास की व्यवस्था करने की भी कोशिश कर रहे हैं । हमारा लक्ष्य यह है कि कम से कम दूरस्थ विमान क्षेत्रों में हमें सभी कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था करनी चाहिये और उन विमान क्षेत्रों में जो विकसित शहरों के नजदीक हैं हम आशा करते हैं कि वहां पर कम से कम तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था कर सकेंगे ।

जहां तक दोनों निगमों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है यह सत्य है कि उनके सम्बन्ध में स्थिति असन्तोषजनक है लेकिन गत वर्ष उनके लिये भूमि अर्जित कर ली गई थी और चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आवास बस्तियों के लिये नक्शे तैयार किये जा चुके हैं ।

असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के लिये एक विभागीय परिषद बनाई गई है और असैनिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष हैं । इस परिषद में कर्मचारियों के तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं और कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों के सभी मामले इस परिषद के पास भेज सकते हैं ।

इसके बावजूद कि असैनिक उड्डयन के कम वेतन पाने वाले अधिकांश कर्मचारियों को जिन्हें हवाई अड्डों पर कार्य करना पड़ता है, वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो सरकार उन्हें देना चाहती है फिर भी उनका मनोबल ऊंचा है और सरकार के साथ उनके सम्बन्ध अच्छे हैं । इस विभाग में कभी कोई गैर-कानूनी हड़ताल या प्रदर्शन नहीं हुए हैं । कर्मचारियों का यह रवैया प्रशंसनीय है ।

**Shri Ghayoor Ali Khan** (Kairana) : Tourism is not a new thing for India. Tourists have been visiting our country since times immemorial. But it is regrettable that our Government has not taken any special steps to improve tourism in our country during the previous 20 years.

India is a vast country and it has many places of interest for the foreign tourists. But I am sorry to say that our Tourism Department has failed to provide them neccssary facilities.

The tourists have to face great difficulties even in getting a visa from our embassies abroad whereas the other countries take no time in issuing visas etc. Therefore it is necessary to stream line our machinery.

If we pay due attention to attract foreign tourists to India, we can earn a lot. Our total income from tourism is about 20-25 crores per year whereas other countries earn as much as Rs. 600 crores per year. Therefore, there is vast scope for improvement in this regard.

There are no proper transport and accommodation facilities in our tourist centres. As far as possible our tourist centres should be air-linked and hotels should be constructed there.

It is necessary that the historical places are properly maintained and necessary repairs should be carried out there and they should be beautified to attract the foreign tourists. To entertain tourists we should also arrange cultural programmes for them. At all tourist centres there should be trained guides. These guides should be well-informed so that they may be able to explain everything to the tourists.

By developing tourism in our country, we can earn a lot of foreign exchange.

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि एयर इन्डिया और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में प्रायः हड़ताल हुआ करती थी और इसका कारण यह था कि एयर इन्डिया और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के बीच वेतन आदि की भारी विषमता हुआ करती थी जिसके कारण कर्मचारीगण असन्तुष्ट रहते थे । अत: कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखने के लिये हमें वेतन आदि के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये ।

हमारी दोनों विमान कम्पनियों के प्रमुख हमारे देश की सबसे बड़ी एकाधिकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं । चूंकि वे एकाधिकारवादियों के प्रतिनिधि हैं, इसलिये श्रमिकों के सम्बन्धों के बारे में उनके विचार वही हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकारवादियों के हैं ।

1961-62 में प्रति कर्मचारी औसत दस प्रति किलोमीटर 38,000 था और 1967-68 में यह 54,000 हो गया । इस प्रकार एयर इन्डिया के लिये निर्धारित मानक के अनुसार कर्मचारियों का कार्यभार 50 प्रतिशत बंट गया । अत: अधिक मजदूरी के लिये पर्याप्त औचित्य है । कलिंग एयर लाइन्स के कर्मचारियों की बहुत सी शिकायते हैं । उन्होंने सेवा की व्यवस्था करने के बारे में काफी काम किया है अत: उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिये ।

दो जुम्बो जेट विमानों की खरीद के बारे में आर्डर दे दिया गया है । इस पर हमारी लागत 48.20 करोड़ रुपये आयेगी । किन्तु क्या इस प्रकार हम विदेशी विमान कम्पनियों के साथ होड़ कर सकेंगे और क्या इसे एक सफल व्यापारिक संस्था बनाने के लिये हमें पर्याप्त संख्या में यात्री मिल सकेंगे ? हमें इस पर पहले ही ध्यानपूर्वक विचार कर लेना चाहिये ।

असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों को क्वार्टर दिलाये जाने चाहिये । ये हवाई अड्डे शहरों से काफी दूर बने हुए हैं और वहां पर आवास का कोई और दूसरा इन्तजाम नहीं है । अत: सभी को नहीं तो कम से कम 60 से 70 प्रतिशत कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था की जानी चाहिये । कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिये बाजार आदि जाने के लिये मुफ्त परिवहन का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों को एक सप्ताह में 52 से 72 घंटे तक कार्य करना पड़ता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग ने उनके काम के लिये एक सप्ताह में 48 घंटों की मंजूरी दी है । उनके प्रति उदारता बरती जानी चाहिये और उनके काम के घंटों में कमी की जानी चाहिये ।

ई० एण्ड एम० वर्कशाप को एक अस्थायी प्रतिष्ठान के तौर पर रखा जा रहा है। इसे एक स्थायी प्रतिष्ठान समझना चाहिये।

पर्यटन विभाग ने बहुत विदेशी मुद्रा अर्जित की है किन्तु यह आय व्यर्थ खर्च की जा रही है क्योंकि भारत में होटल बनाने के लिये हिल्टन कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है। हमें एकाधिकारवादियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये।

कालीकट में एक हवाई अड्डा बनाने का बचन बहुत पहले दिया गया था किन्तु अभी तक उसे बनाया नहीं गया है। इसकी मंजूरी दी जानी चाहिये।

त्रिचिनापल्ली को भारत के पर्यटक स्थानों में शामिल किया जाना चाहिये।

[ श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठसीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair ]

**Shri Onkar Lal Bohra** (Chittorgarh) : Our Government is not following any concrete policy in regard to tourism. Adequate funds have not been provided for the development of the tourism and that is why necessary facilities have not been made available at our tourist centres. It is a very important department and therefore more funds should be allotted to it so that the schemes to develop tourism in the country could be implemented.

While developing tourism we should bear in mind that we have not to think only in terms of earning foreign exchange. What is more important is the cultural impact that we produce on the minds of the tourists visiting our country.

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair ]

There are many beautiful places in the south but they have not been properly developed as tourist centres. Proper tourist facilities should be provided there so that the foreigners can have a glimpse of the culture of that part of our country.

There are several places in Rajasthan and Madhya Pradesh also and these places can be developed into big tourist centres. Attention should be paid to the Jain temples of Ranakpur, Mt. Abu, Haldi Ghati and Chittor. Proper transport and accommodation facilities should be provided in those places so that the tourists have not to face any difficulty.

There is need to improve air services. Of late their efficiency has gone down. The big towns of Rajasthan, such as Jodhpur, Bikaner, Ajmer and Kotah should be linked with air service. Besides there are many other cities which should be air-linked. Proper attention should be paid in this regard.

**श्री एस० एम० कृष्ण** (मांड्या) : पर्यटन के दो महत्वपूर्ण काम हैं। एक तो यह कि इसके द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और दूसरे यह देश में भावनात्मक एकता को बढ़ावा देता है। इस दृष्टि से हमें देश के एक भाग के पर्यटकों को दूसरे भाग में जाने के लिये प्रोत्साहित

करना चाहिये । काश्मीरी लोगों को केरल में जाना चाहिये और उत्तर के लोगों को दक्षिण में भी भ्रमण करना चाहिये । अतः हमें देश के अन्दर भी पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिये ।

सारी दुनिया से पर्यटक हमारे देश में भ्रमणार्थ आते हैं । हमें उनकी उदारता एवं शराफत का नाजाइज फायदा नहीं उठाना चाहिये । ऐसे हम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सकेंगे । सभी राज्यों और राज्यक्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं जिनका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विकास किया जा सकता है । हमें उन स्थानों का विकास करना चाहिये और अपने देश के तथा विदेश के पर्यटकों के लिये समुचित सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये ।

अजन्ता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । वहां पर सरकार ने एक भोजनालय और विश्रामगृह की व्यवस्था अभी तक नहीं की है । सरकार को यह व्यवस्था अब करनी चाहिये । यदि अजन्ता जैसे स्थानों की ओर सरकार इस प्रकार का ध्यान दे रही है तो फिर दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों की ओर तो शायद वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी ।

विज्ञापन तथा प्रचार के मामले में सरकार को एयर इन्डिया का अनुकरण करना चाहिये जो इस देश के ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करने में सफल हुई है । विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार को कुछ आकर्षक स्थानों का प्रचार करना चाहिये ।

जब हमने कैरावेल विमान खरीदे थे तो निर्माताओं ने इसके लिये एक निश्चित अवधि रखी थी जिसके बाद वे हम पर बोझ बन जायेंगें और उनकी उड़ान-योग्यता पर सन्देह होने लगेगा । मैं ऐसे विमानों की संख्या जानना चाहता हूं जिनकी उड़ान-योग्यता की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतियोगी परीक्षा की जाय जिसमें उन उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाय जिनकी नागरिक उड्डयन में अभिरुचि हो और जो प्रशिक्षण के लिये योग्य हों, उनके प्रशिक्षण की भारत सरकार जिम्मेदारी ले ।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू) : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक वर्ष में नये विमान खरीदे गये हैं और हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विस्तार के लिये और सेवा को अधिक अच्छी और अधिक कुशल बनाने के लिये गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं । परन्तु इस मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय या बड़े हवाई अड्डों के विस्तार की ओर तो काफी ध्यान दिया है किन्तु छोटे हवाई अड्डों की किसी हद तक उपेक्षा की है । जम्मू हवाई अड्डे पर कुछ निर्माण-कार्य हुआ है और कुछ सुविधाओं की वहां पर व्यवस्था की गई है । परन्तु मेरा अनुरोध है कि वहां पर हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जाना चाहिये ताकि भविष्य में कैरेवेल जैसे बड़े हवाई जहाज भी जम्मू में उतर सकें, जैसा कि उन्होंने श्रीनगर में किया है । देश में फ्लाइंग क्लबों के महत्व को अभी तक नहीं समझा गया है विशेषकर जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और अन्य

राज्यों में जहां पर फ्लाइंग क्लब बहुत कम हैं। जम्मू और काश्मीर में कोई भी फ्लाइंग क्लब नहीं हैं। जम्मू में और पंजाब तथा राजस्थान के राज्यों में फ्लाइंग क्लब स्थापित किये जाने चाहिये ताकि उन क्षेत्रों के नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा सके और संकट के समय उन्हें राष्ट्र की सेवा करने के लिये बुलाया जा सके।

जैसा कि मैंने पहिले कहा है पर्यटन के विकास के लिये इस मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। परिवहन के साधन इस मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं और देश में एक कोने के लोगों को दूसरे कोने की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटन के बारे में सोचते हैं तो हम केवल काश्मीर की घाटी के बारे में ही सोचते हैं। किन्तु जम्मू क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं। जिनको विकसित किया जा सकता है और लोग वहां पर जाना पसन्द करेंगे। काश्मीर घाटी और खासतौर पर श्रीनगर में ही अधिक धन खर्च करने के बजाय सरकार को पर्यटन स्थानों के विकास के लिये और अधिक सहायता देनी चाहिये।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में वस्तुतः बड़े होटलों की आवश्यकता है किन्तु साथ ही यदि हम वास्तव में देश के अन्दर पर्यटन का काफी हद तक विकास करना चाहते हैं तो इन सभी स्थानों पर कम खर्चीले होटलों की आवश्यकता है। भारत के पर्यटन विकास निगम को बड़े-बड़े होटलों के साथ-साथ कम खर्चीले होटलों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये।

लखनऊ से सौ मील दूर श्रावस्त्री-बलरामपुर नामक स्थान है। यह एक धार्मिक स्थान है वहां प्रति वर्ष हजारों लोग आते हैं। वहां पर पर्यटकों के लिये कोई भी विश्राम गृह नहीं है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिये कि वहां पर कुछ व्यवस्था की जाय।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : हालांकि मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संख्या 470 से घटा कर 375 कर दी गई है फिर भी लागत में केवल 2 लाख रुपये की कमी हुई है। साथ ही यह मंत्रालय धनराशि खर्च करने में बहुत अच्छा नहीं है। पिछले वर्ष वह मौसम विज्ञान तथा उड्डन सम्बन्धी पूंजीगत कार्यों के लिये निर्धारित धनराशि खर्च नहीं कर सका। जब मंत्रालय इस कार्य के लिये धन लेता है, तो उसे यह धन अवश्य खर्च करना चाहिये। अन्यथा वह अन्य मंत्रालयों को इस रकम से वंचित रखता है। कृषि मौसम विज्ञान के सम्बन्ध में विशेषज्ञों तथा अन्य मदों के लिये पिछले दो वर्षों से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसका यह मतलब है कि अपनी सफलताओं की लम्बी-चौड़ी बातें करने के बावजूद हम कृषि मौसम विज्ञान के बारे में गम्भीर नहीं है। हमारे किसानों के लिये कृषि मौसम विज्ञान काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।

इस बात को सभी लोग जानते हैं कि भारतीय विमान कम्पनियां घाटे पर चल रही हैं। इस वर्ष 3.7 करोड़ रुपये का और पिछले वर्ष 4.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह एक सरकारी

उद्योग है और हमारे हवाई जहाजों के किराये दुनिया में सबसे ज्यादा होने पर भी हम घाटे पर काम कर रहे हैं। हमारे वायु मार्गों के सम्बन्ध में कोई बहुत बड़ी त्रुटि है जिसकी ओर मंत्री महोदय को गम्भीररूप से ध्यान देना चाहिए।

होटलों के बारे में शिकायतें की गई हैं कि कुछ होटलों में बहुत ज्यादा दाम लिये जाते हैं। यह उचित नहीं है। हमें अपनी दरों को प्रतियोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम सेवा के लिये अन्तराष्ट्रीय मानक रख सकते हैं लेकिन हमारे भाव अवश्य प्रतियोगी होने चाहिये।

**Shri Virbhadra Singh** (Mahasu) : The performance of the Ministry of Civil Aviation and Tourism has been wonderful during the last year and the Ministry deserves compliments.

Tourism has been prospering in the form of a big industry in the world. It brings foreign exchange also. This is the reason why every country wants to develop tourism. There are some countries whose overall economy depends upon tourism. In our country also tourism occupies an imporlant place. We can earn foreign exchange from it which we need very badly. It is true that much has been done for the development of tourism in the country during the last 15 or 20 years, still much remains to be done. Arrangements will have to be made for the establishment of more hotels and for transport facilities. It is certain that in case development of tourism is done in a proper manner, it would lead to good results. As far as international tourist traffic is concerned, it is only 1 percent to 1½ percent. It shows that there is much scope for the development of tourism in the country.

Government has fixed a target that the number of tourists in the country would become about 2 lakhs by 1973. This is not a big target to achieve. Twenty lakh tourists come from Yugoslavia every year which is very small as compared to our country. So many attractions are available for the tourists in our country. We should exploit these attractions for the promotion of tourism in our country. New tourist Centres should be set up. Himalaya is a boon for us and there is natural beauty in it. Many tourist centres can be opened there.

There are two aspects of tourism—international and inland. It is essential that both type of tourists should be provided facilities. It is a tradition in our country that people from one part of the country visit the other part of the country. Such tours should be encouraged. It ultimately leads to emotional integration.

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : Air India occupies third place in Air Service of India. Its past performance has been very good. If we want that Air India works with more efficiency, we should see that its service are started not on political basis but on commercial basis. It is good that Air India has been starting an air service for Taiwan. It will be advisable to start air service for Israel and other countries with which we have diplomatic relations.

The performance of Air India in foreign countries also has been very satisfactory. They are not only commercial Centres but they are in a way working as our Ambassadors. They should be provided there with all requisite facilities so that they may act as the real representative of our country.

The Indian Air lines Corporation should follow Air India. Steps should be taken for providing more amenities for the passengers.

In the past announcements were made on the air ports for the passengers firstly in the regional language of the area and then in English. This practice has now been changed. The old practice should be revived.

As far as tourism in our country is concerned, it is true that Kashmir is a tourist centre. But in India it is not the only attraction for tourists. Other several places also are of same attraction for the tourist. Therefore, it is essential that Government should take steps for the development of all attractive places as tourist centres.

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna) : The Imperial Hotel at New Delhi has been closed. It was earning foreign exchange to the tune of about 60 lakhs rupees annually. On the one hand, Government lost such a huge amount of foreign exchange and on the other employees became jobless. Under these circumstances Government should state as to what steps are likely to be taken for reopening it.

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : मैंने सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुना है । बहुत से सुझाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । अनेक सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि इस समय पर्यटक उद्योग दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है । भारत में बहुत ही अद्वितीय और अकर्षक पर्यटक स्थल हैं और यहाँ पर पर्यटन के विस्तार के लिये काफी गुन्जाइश है ।

इस समय हमारे देश में बहुत कम विदेशी पर्यटक आते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष केवल 1,80,000 पर्यटक आये । हमने एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है और हम चाहते हैं कि पर्यटकों की संख्या तिगुनी हो जाय । अगले पांच वर्षों में, यदि हो सका तो हम 6,00,000 पर्यटकों के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं । हम विदेशों से और अधिक लोगों को, विशेषरूप से यात्रा लेखकों, फोटोग्राफरों और यात्रा एजेंटों को भी यहां आने का निमन्त्रण देंगें । हम विदेशों में एयर इंडिया के अनुभव से भी लाभ उठा रहे हैं । पिछले 15 वर्षों में एयर इंडिया ने दुनिया भर में अधिकारियों का जाल बिछा दिया है और उन्होंने सम्पर्क स्थापित किये हैं । और हम अपने विकास कार्यक्रम में एयर इंडिया का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

हम प्रादेशिक उन्नति की बात पर भी गौर कर रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा संगठन के अनुसार हम उस प्रदेश में हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, और मंगोलिया शामिल हैं । हमने श्रीलंका और नेपाल के साथ सम्बन्ध स्थापित किये हैं । हमें आशा है कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी हमारे सम्बन्ध स्थापित होंगे । प्रादेशिक उन्नति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है । निचले ढांचे के प्रश्न पर भी विचार किया जाना है । इस समय हमारे यहां पर्यटन से निचला ढांचा नहीं है जिसकी देश में बड़ी आवश्यकता है ।

हमारे पर्यटन उद्योग में होटल आवास की भारी कमी है । इस समय भारत में तीन, चार या पांच स्टार श्रेणी वाले होटलों में केवल 3,001 शय्याएं हैं । होटलों में पर्यटकों के आवास के लिये उचित ढंग से व्यवस्था की जानी चाहिये । होटल विकास कोष सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उन्हें सभा-पटल पर रखा जा रहा है । इस कोष से हम गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों के विकास के लिये ऋण देंगे ।

इम्पीरियल होटल के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी मिली है कि इसका मालिक इसे होटल के रूप में चलाना चाहता है। वह इसे फिर से नये सिरे से बनाना चाहता है और उसका आधुनिकीकरण करना चाहता है। हमारी धारणा यह है कि होटल लगभग एक वर्ष के लिये बन्द रहेगा।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह एक कठिन समस्या है। यह गैर-सरकारी क्षेत्र का काम है। इन होटलों के अलावा, हमें अगले कुछ वर्षों में होटलों तथा पर्यटक बंगलों का जाल बिछाना होगा ताकि हम उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां पर्यटकों के ठहरने की संभावना है, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि जब कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में आता है तो उसके लिये पर्याप्त सुविधाओं और कारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम परिवहन चालकों की राज्य व्यापार निगम से रक्षित दरों पर पुरानी कारों की खरीद के बारे में सहायता करते हैं और पर्यटन विकास निगम भी वातानुकूलित कारों और बसों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। हम वन्य पशु-पक्षियों का रक्षण और शिकार से लिए विकास करना चाहते हैं।

तीन निगमों को मिलाकर भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। अगले तीन वर्षों के लिये एक नये बोर्ड का गठन किया गया है। इस निगम के पांच काम हैं। एक काम होटल बनाने का है। बंगलौर में एक होटल बनाया जा चुका है और दो और होटल शुरू किये जाने की सम्भावना है।

निगम दिल्ली में लक्जरी कारें और बसें भी चलाता है और यह अपने इस काम को अन्य राज्यों में भी शुरू करना चाहता है। इस निगम ने साहित्य, इश्तहार, डायरी और कैलेण्डर प्रकाशित किये हैं जिनको भारत सरकार को भारत के तथा विदेशों के पर्यटन विभागों को आवश्यकता थी। पर्यटन के विकास में इस निगम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

हमारा देश इतना सुन्दर और समृद्ध है कि हर संसद् सदस्य यह ठीक ही महसूस करता है कि उसके चुनाव क्षेत्र का इलाका विकास के योग्य है। लेकिन माननीय सदस्य यह मानेंगे कि हमारे साधन सीमित हैं। इसलिए हम इन सभी स्थानों का विकास नहीं कर सकते। उन साधनों का कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हम प्रत्येक राज्य में विकास योजनाओं पर अधिक से अधिक साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। राज्य सरकारों को भी न केवल सहयोग देना है बल्कि पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण काम करना है।

उड्डयन के बारे में कुछ कहने से पहिले मैं पर्यटन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। पर्यटन केवल अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ही साधन नहीं है बल्कि वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का एक साधन भी है। इसलिए विदेशी पर्यटकों की मांगों को पूरा करते समय हम देशी पर्यटन की उपेक्षा नहीं कर सकते।

उड्डयन के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दुनिया इस समय दोहरी क्रांति के चौराहे पर है। एक क्रांति तो हवाई जहाज के आकार में हुई है और दूसरी क्रांति गति में हुई है। हम इस जानकारी से पूरा लाभ उठा रहे हैं और हम आगे की सोच रहे हैं। हम अपनी उड्डयन योजनाएं 10 वर्ष आगे के लिये बना रहे हैं क्योंकि उड्डयन उद्योग इतनी तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है कि एक या दो वर्ष की योजना नहीं बनाई जा सकती।

हमने श्री राय की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सम्बन्धी एक समिति स्थापित की है। यह समिति हमारे चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की जांच करेगी और उनके विकास के यिये अपेक्षित सभी बातों का विस्तृत अध्ययन करेगी। आशा है कि इस समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त एक हवाई अड्डा आयोजन दल भी बनाया गया है जो हमारे अन्य 81 हवाई अड्डों की देखभाल करता है। नये हवाई अड्डों के लिए हमारे पास कुछ मांगें आई हैं। हवाई अड्डा आयोजन दल उनकी छानबीन करेगा और प्राथमिकता के आधार पर हम देखेंगे कि किन किन नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा सकता है।

**श्री श्रीधरन :** क्या सरकार ने राज्य सरकार पर यह शर्त लगाई है कि हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि निःशुल्क दी जानी चाहिए ?

**डा० कर्ण सिंह :** हमने ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगाई है। हमने तो राज्य सरकार को केवल यह लिखा था कि यदि वह भूमि की निःशुल्क व्यवस्था कर दे, तो हवाई अड्डे के निर्माण का काम शीघ्र शुरू किया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों का उल्लेख किया है। हम उनकी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। ये क्लब स्वयं संकट में हैं और इनके पास पर्याप्त धन नहीं है। असैनिक उड्डयन के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लबों के प्रश्न की छानबीन करेगी कि उनको किस दर पर राज सहायता दी जाये और प्रशिक्षण की समस्या में उनका क्या स्थान होना चाहिए। हम उड्डयन के लिए एक केन्द्रीकृत प्रशिक्षण स्कूल खोलने की योजना भी बना रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन के क्षेत्र में एयर इन्डिया ने पिछले 15 वर्षों में अपनी स्थिति बहुत सराहनीय बना ली है। पिछले वर्ष निगम को $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का लाभ हुआ और बम्बई मरीशस तथा बम्बई तेहरान जैसे कई नये मार्ग भी शुरू किये गये।

उद्घाटन उड़ानों के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं। उद्घाटन उड़ानें एक रियायत हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन प्राधिकार द्वारा हर अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन को दी जाती है और इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पारसी और गैर-पारसी लोगों का उल्लेख करना दुःखद बात है। इस भावना से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। उड्डयन में किसी साम्प्रदायिक या धार्मिक पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है।

आशा है कि जम्बो जेट विमान 1970 के बाद चालू हो जाएंगे। यदि एयर इन्डिया को अपनी गति बनाए रखनी है तो उसे उड्डयन उद्योग में इन विमानों से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इसे ट्रांस वर्ल्ड एयर लाइन्स, पान अमरीकन, ब्रिटिश ओवरसीज एयरलाइन्स कारपोरेशन, एयर फ्रांस आदि के साथ भी प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इनका बजट हमारे बजट से कई गुना ज्यादा है। यह नया हवाई जहाज एक बड़ा आकर्षण बन जायेगा। यदि हमने भी जम्बो जेट न प्राप्त किये तो एयर इन्डिया का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व खत्म हो जायेगा। हमारी विमान सेवा केवल प्रादेशिक रह जायेगी।

इसके अलावा जम्बो जेट बहुत ही किफायती होंगे और इनके चलाने से लाभ होगा। यह सही है कि जम्बों जेटों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी। लेकिन उन्हें ऋण पर लेने से भी हमें लाभ होगा। इसकी लागत आदि का हमने हिसाब लगाया है और हमें आशा है कि इनसे देश को काफी आय होगी और ब्याज सहित सभी ऋण वापस कर सकेंगे।

इन्डियन एयर लाइन्स का महत्व केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि हमारे जैसे विशाल देश में, जहां अर्थ-व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियां विकासशील हों, यह आवश्यक है कि हम तेजी से आ जा सकें। एक अच्छी देशीय एयर लाइन्स केवल विलासिता की ही चीज नहीं है वरन् यह हमारे जेसे देश के लिए आवश्यक है। हाल के महीनों में इन्डियन एयर लाइन्स ने भी सराहनीय प्रगति की है। 1966-67 में इसे 4.23 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पिछले वर्ष यह घाटा लगभग पूरा हो गया था और अब केवल 30 लाख रुपये का घाटा रह गया है। हमें आशा है कि इस वर्ष इसमें लाभ होगा।

हमारे 14 वाइकाउन्ट जहाज पुराने हैं जिन्हें अगले तीन या चार वर्षों में हटा देने की आशा है। 3 स्काई मास्टर और 29 डकोटा जहाज भी बहुत पुराने हैं और हम उन्हें बेचना चाहते हैं। अब हमारे अपने जहाजों का निर्माण कानपुर में हो रहा है। वे बहुत अच्छे, साफ और आधुनिक हैं। इसके अतिरिक्त हमें नए जहाज भी खरीदने पड़ेंगे क्योंकि पर्यटकों की आवश्यकताएं ही नहीं बढ़ गई हैं वरन् हमें अपनी स्थानीय विशेषकर तथाकथित त्रिकोणीय मार्ग दिल्ली–मद्रास, दिल्ली–कलकत्ता और दिल्ली–बम्बई की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसीलिये इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा सर्वोत्कृष्ट नई खरीद के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिए कुछ दल अमरीका और सोवियत संघ गये हुए हैं।

इंडियन एयर लाइन्स वर्दी, भोजन, यात्रियों के साथ व्यवहार, विमान परिचारिकाओं आदि के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है।

नए मार्ग चालू करने के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन बातें सामने रखी गई हैं। सर्वप्रथम हवाई जहाजों की उपलब्धि का प्रश्न है। हवाई जहाजों के सम्बन्ध में हमारी क्षमता सीमित है जिसकी वजह से तब तक हम अधिक मार्गों पर हवाई सेवा चालू नहीं रख सकते जब तक कि हमें अधिक जहाज नहीं मिल जाते। दूसरी बात हवाई अड्डों की सुविधाएं उपलब्ध करने के बारे

में है आजकल हवाई अड्डा बनाने में बहुत लागत पड़ती है। इसके अतिरिक्त आधुनिक व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तीसरी बात यात्रियों की सम्भावित संख्या के बारे में है। इन्डियन एयर लाइन्स एक वाणिज्यिक संस्था है और यदि यातायात सर्वेक्षण से यह पता चला कि यात्रियों की संख्या बहुत थोड़ी होगी तो नये मार्गों पर हवाई सेवा आरम्भ करने का कोई औचित्य नहीं बता सकेंगे। हम हर मांग की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं।

उड्डयन के क्षेत्र में श्रमिक सम्बन्ध बहुत संतोषजनक नहीं रहे हैं, फिर भी वातावरण में सुधार हो रहा है। कार्य का मूल्यांकन, जो वेतन ढांचे का वैज्ञानिक आधार बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, किया जा रहा है और हमें आशा है कि संघों और प्रबन्धकों के पूरे सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारी सेवाओं में कार्यकुशलता लाने के लिये संघों और प्रबन्धकों का परस्पर सहयोग होना नितान्त आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र को चाहिए कि वह कार्यकुशलता का नमूना हो। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्री से भी निकट सम्पर्क रखा गया है।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा प्रयत्न यही होगा कि पर्यटन तथा उड्डयन के क्षेत्र में हम गतिशील तथा दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**All the cut motions were put and negatived**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय की वर्ष 1968-69 के लिए निम्नलिखित मांगें सभा के मतदान के लिये रखी गयीं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।**

**Demands for the year 1968-69 in respect of Ministry of Tourism and Civil Aviation were put and adopted**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 75 | पर्यटन और असैनिक उड्डयन | 16,24,000 |
| 76 | ऋतु विज्ञान | 3,12,51,000 |
| 77 | उड्डयन | 10,10,83,000 |
| 78 | पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 1,82,76,000 |
| 126 | उड्डयन पर पूंजी परिव्यय | 6,72,55,000 |
| 127 | पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | 4,88,15,000 |

## श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिए श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मागें प्रस्तुत की गईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 63 | श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय | 68,07,000 |
| 64 | खान सुरक्षा महानिदेशक | 44,32,000 |
| 65 | श्रम और रोजगार | 12,65,48,000 |
| 66 | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय | 10,73,54,000 |
| 67 | श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 15,12,000 |
| 123 | श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 5,27,28,000 |

**श्री कृ० मा० कौशिक** (चांदा) : हाल ही में हमें घेराव, हड़ताल, धीरे काम करो तथा कलम छोड़ो हड़तालों आदि के कारण जनदिनों की हानि के रूप में जनशक्ति का भारी नुकसान हुआ है। जब तक इनके कारणों की छानबीन नहीं की जाती और उन्हें दूर नहीं किया जाता, तब तक हमारे देश का औद्योगिक विकास एक बहुत दूर की बात होगी।

अंग्रेजों के शासनकाल में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते थे, मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी जो जीवन-निर्वाह के लिये काफी नहीं होती थी। कोई संघ नहीं था और कोई श्रम कानून नहीं थे। किसी सामूहिक सौदे का कोई प्रश्न नहीं था और मजदूर संघवाद प्रारम्भिक अवस्था में था। स्वतंत्रता के बाद ही न्यूनतम मजूरी अधिनियम बनाया गया तथा लागू किया गया जिसमें कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजूरी की गारन्टी दी गई। जहां पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं होता वहां मजूरी बोर्डों की स्थापना की गई है।

[ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
**Shri Bal Raj Madhok in the Chair** ]

इस समय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन 34.48 लाख कर्मचारी हैं और चिकित्सा सहायता, बीमारी लाभ, प्रसूति लाभ तथा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों के लिये पेंशन की व्यवस्था की जाती है।

भविष्य निधि अधिनियम श्रमिकों के पक्ष में एक और नवीन योजना है इसे 32,181 कारखानों में लागू किया गया है जिनमें सब मिलाकर 40,50,000 कर्मचारी हैं। यह कोयला खानों पर भी लागू होता है।

इसके अतिरिक्त खान अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अधीन नियमों और विनियमों के कारण कारखानों तथा खानों में काम करने की परिस्थितियां काफी सुधर गई हैं। फिर भी श्रमिकों के आवास की स्थिति दयनीय है। इस सम्बन्ध में कुछ उपाय किये जाने चाहिए।

इन सभी प्रगतिशील कानूनों के बावजूद भी अनेक हड़तालें और घेराव हुए हैं और इतने अधिक जनदिनों का नुकसान हुआ है। 1951 से 1967 तक हड़तालों में वृद्धि होती रही है और हड़तालों में भाग लेनेवाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे देश का मजदूर अब भी अनपढ़ है और इस निरक्षरता से पेशेवर राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल लाभ उठा रहे हैं। इसलिए इन्हें श्रम सम्बन्धी बातों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे किसी विशेष संस्था में एक कर्मचारी के अपने अधिकारों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में औद्योगिक लोकतंत्र की कल्पना और मजदूर संघवाद को समझ सकें। तभी इन्हें राजनैतिक नेताओं तथा पेशेवर मजदूर संघवादियों से मुक्ति मिल सकेगी। श्रमिक इस योग्य होने चाहिए कि वे सरकार या राजनीतिक दलों या नेताओं के हस्तक्षेप के बिना अपने संघों के उद्देश्यों को समझ सकें और अपने संघों की व्यवस्था स्वयं कर सकें।

श्रम विभाग में कर्मचारियों की भर्ती अत्यन्त दुःखद है। जो अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते हैं वे मालिकों के साथ ठहरते हैं, उसकी मेहमानदारी का आनन्द लेते हैं और उनकी मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। कुछ न्याय संगत अलगाव होना चाहिए। अधिकारियों को इमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिये। इसलिए यह जरूरी है कि निरीक्षण अधिकारियों को लम्बी अवधि के लिये एक स्थान पर न रखा जाये। इन लोगों का दो वर्ष के बाद तबादला कर दिया जाना चाहिए जिससे निहित स्वार्थ न पनप सकें।

औद्योगिक शान्ति के बिना उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। यहीं पर उग्र मजदूर संघ नेता इन लोगों से सहमत नहीं होते जिन्होंने स्थिति का अब विषयपरक मूल्यांकन किया है। हर रोज घेराव, हड़तालें और धीरे चलो के तरीके अपनाये जाते हैं। उद्योगों में कोई अनुशासन नहीं है। प्रबन्धक कर्मचारियों को हर तरह से परेशान किया जाता है। औद्योगिक कानून का कोई सम्मान नहीं किया जाता और उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी 'वर्ग के समाज में वर्ग का न्याय' बताया जाता है। इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं और यदि ये बातें होती रहीं तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि ये संघ किसी राजनीतिक दल द्वारा न चलाये जायें और इन संघों को राजनीतिज्ञों और पेशेवर मजदूर संघ नेताओं से मुक्ति मिलनी चाहिये।

नवीकरण और आधुनिकीकरण से बेरोजगारी का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमारे सामने अन्य देशों का उदाहरण है जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के बाद रोजगारी के अवसर बढ़ गये हैं।

पिछले 10 वर्षों में कोयले की कीमतें छः गुना बढ़ गई हैं लेकिन आखिर में उपभोक्ता को, न कि मालिक को, नुकसान होता है। सरकार अपने स्वार्थों के लिए श्रमिकों की सद्भावना

प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। किसी भी विचारशील व्यक्ति को यह बात ठीक नहीं जंच सकती। मजदूरी का संबंध उत्पादन से होना चाहिए और मजदूरी बढ़ने पर उत्पादन अवश्य बढ़ना चाहिए।

अन्य देशों के राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध अधिनियम जैसा कानून यहां भी बनाया जाना चाहिए। उन देशों में अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए सजा देने की कुछ व्यवस्था है। यदि मालिक या मजदूर कोई अनुचित काम करता है तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। इससे धीरे काम करने, काम न करने, और घेराव आदि की बातें समाप्त हो जाएंगी।

**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : देश में मंदी और अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष मंत्रालय ने जो शानदार काम किया है उसके लिये उसकी सराहना की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शिकायतों की संख्या 60,000 से बढ़कर लगभग 93,000 हो गई है। कहा गया है कि इनमें से लगभग 87,000 मामलों का फैसला हो चुका है। यह अच्छी सफलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा शिकायतें सेवा-शर्तों के बारे में हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रबन्धक देश की स्थिति के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे सेवा सम्बन्धी शर्तों के मामलों में मजदूरों के दावों का हनन करते हैं। जब गैर-सरकारी क्षेत्र को इसका पता लग जायेगा तो वे भी मनमानी करने लगेंगे।

निजी शिकायतों की संख्या भी 40 से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है। आशा है कि इस दिशा में उचित कदम उठाये जायेंगे।

हमारा देश एक गरीब देश है। आखिरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही कुछ करके दिखा सकेंगे। हम समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहते हैं और इसलिए सरकारी क्षेत्र में अधिक धन लगाया जा रहा है। पर हजारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के साम्राज्य का विस्तार हो रहा है और इस क्षेत्र की कम्पनियां भारी लाभ कमा रही हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों की शिकायत है कि श्रमिक उतना उत्पादन नहीं करते जितना कि वे चाहते हैं।

आज देश में बेरोजगारी की विकट समस्या है। यह एक गम्भीर समस्या है और औद्योगिक उत्पादन में मन्दी के कारण वह और भी जटिल हो गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिये श्रम मंत्रालय को अधिकतम शक्तियां दी जानी चाहिये।

मैं यह आलोचना केवल इस कारण कर रहा हूं कि वह दिन आगया है जब हम सबको जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जो उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, जो श्रमजीवी वर्ग के कल्याण में भी रुचि रखते हैं और यह चाहते हैं कि हम अपने अभीष्ट तथा वांछित उद्देश्य के साथ-साथ आगे बढ़ें और तरक्की करें, मिलकर काम करना चाहिए और इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे उन लोगों को, जो तनाव पैदा करना चाहते हैं, जो घेरावों की शरण लेना चाहते

हैं, और उत्पादन में गिरावट लाना चाहते हैं और जो श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में फूट पैदा करना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मौका न मिलने पावे । इसके साथ-साथ गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के नियोजकों को ऐसे आवश्यक हालात पैदा करने चाहिए जिनमें श्रमिक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें ।

पिछले 20 वर्षों में हमने देश में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये हैं । लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि उनमें से कोई प्रशिक्षित व्यक्ति किसी उद्योग का प्रबन्धक बना हो; उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वह इतनी सीमित नहीं होनी चाहिये जो उसे केवल एक श्रमिक कारीगर बनाने तक ही सीमित रहे बल्कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह प्रबन्धक भी हो सके । क्या किसी के भाग्य में जीवन भर ही श्रमिक रहना बंधा पड़ा है ? उन्हें ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अवसर मिलने चाहिये जिससे वे उन्नति कर सकें और योग्यता के आधार पर उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें और न कि ऐसी शिक्षा जो उसे आजीवन अकुशल कारीगर ही बनाये रखे ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain) : The question of labour should get priority in all our future five year plans which should henceforward be employment-oriented. It is a matter of regret that on the one hand, we are trying to make our plans employment-oriented and on the other hand we are resorting to large scale retrenchment of employees. For instance, in Life Insurance Corporation, the Railways and some other big industries they are installing computers, thereby displacing labour at a time when the employment situation in the country is very serious.

So far as the question of giving recognition to labour unions is concerned, it should be given after holding a ballot. It is not a salutary suggestion that one industry should have only one union because this will lead to arbitrariness of the union office-holders in bargaining with the employers. If there are other unions, they will exert controlling influence and there will also be a healthy competition between them.

The unions that have been registered should be entitled to get the same treatment from the employees and the Government as the recognised unions get in the matter of reply to their letters etc.

The workers of the textile industry have been looking forward with a great expectations to the appointment of a Wage Board for the fixation of their pay scales. There has already been much delay and the matter should be expedited. The Hon. Minister should throw light on this matter.

There is a proposal to effect retrenchment in the textile industry. In the textile mills the system of a worker handling four looms is proposed to be introduced. I admit that this industry is passing through a crisis and we are prepared to co-operate with it, but with certain reasonable demands. Before a worker in the weaving department is asked to handle four looms, a guarantee should be given that nobody will be retrenched, that the workers will not be overburdened under the new system and that they will be entitled for a share in the enhanced profits resulting from the new system.

In many industries, there are certain elements who believe in agitational approach like strikes, gheraos, sabotages etc. They think that their demands would not be conceded till they

resorted to such actions. This is a wrong approach and the Government should impose restrictions on such elements. While considering the question of recognition of unions, the Government should keep this aspect in mind.

There are various and several industries in the country where Labour welfare Rules are not applied. One such industry is the **Agar-Batti** industry where 5 lakh people work and where mostly women workers, particularly widows are employed. They have been deprived of all facilities provides in the Labour welfare Rules. They have to work for 12 hours a day but they hardly get Rs. 1.25 per day. So with this meagre amount, they have to manage to pull on and maintain their families in these hard days.

The recommendations of the wage board in coal industry have been implemented only by 10 percent coal mineowners. The Government should compel others by non-supply of wagons for the transport of their coal and by other methods unless they give effect to the recommendations of this Board.

In many collieries, particularly in Madhya Pradesh, a number of workers are being kept temporarily and on daily wages basis. But they are given much lower than the prescribed wages. The Minister should look into the matter and set things in order.

So far as Dandakaranya is concerned, Class IV employees are made to work for 12 hrs. a day and, in addition, they have to work at officers' houses. This is a great injustice. Moreover, they are purely temporary and can be removed anytime and the officers blackmail them. Recently some employees have been made permanent. This is a good thing. But no action has been taken against the arrogant officers there.

When a worker's services are dispensed with and he goes to the court, it takes an unusually long time to decide the case. During this period, the worker has to starve. Therefore in such cases, the worker should be given half pay till his case is decided.

The Minimum Wages Act, for the bidi workers has not been implemented by any State except Madhya Pradesh. The Government should take steps to get it implemented in all the States. The Government should exert pressure on industrialists and the employers to prepare necessary climate for removal of industrial unrest.

**Shri K. N. Pandey** (Padrauna): The situation in the industrial field is not satisfactory and is going from bad to worse. The Indian Labour Conference was convened with a view to find out ways and means to establish industrial peace. But no agreement was arrived at to solve the problems in it. It indicates how much tension is there between the employers and the workers. It would not be possible to improve the labour situation unless this friction between the two is eliminated.

We can settle our disputes either by way of mutual talks which can be held before or after a strike or by going to the court. But the present situation does not allow us to go in for a collective bargaining as 4 or 5 unions exist at the Centre.

[ श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये
**Shri G. S. Dhillon in the Chair** ]

If we go to the court, it takes an unusually long time to decide the case. That is also not good. So what should be done in such circumstances is an important question to be

considered. First of all, a definite policy should be laid down in regard to recognition of unions. In this connection I would like to suggest that unions should be recognised on the basis of verification of membership. Majority membership should not be the only criterion for giving recognition to unions. Only the unions which follow the code of conduct should be recognised.

The Standing Orders Act is not being applied fully in the Public Sector. It should be made applicable. Some new orders should also be issued giving details of terms and conditions of service. It is the Centre's responsibility to ensure that the Standing Orders Act is applied in all the public undertakings. Industrial relation in respect of the Central Government public undertakings should be under the charge of Union Labour Ministry so that there is uniformity in respect of labour matters in these undertakings.

So far as registration of unions is concerned, a union is registered if two workers belonging to a particular concern and five outsiders give an application to this effect. It should be made obligatory that all the seven persons or at least five or six of them who apply for recognition of their union belong to a particular concern. Besides if we want to maintain industrial peace, we should consider the question of reducing the number of trade unions.

As a result of the decision taken by the Indian Labour Conference, consumers, co-operatives and fair price shops were opened in industries. It was a good step. But the Government machinery did not care to see whether adequate supply of foodgrains was made to these shops. It did not, therefore, serve the desired purpose. The principle of opening fair price shops is very good. But it has not been properly implemented.

During his speech one Hon. Member of this House belonging to the Swatantra Party made a refernce of Shri Giri. I have no doubt about his capacity. I have had the privilege of knowing him personally and we were once associated with A. I. T. U. C. also. But the theory propounded by him that labour problems should be solved through collective bargaining only and that there is no need for a Wage Board is not acceptable. The institution of Wage Board is functioning very well. We can definitely succeed in solving labour problems through collective bargaining provided we constitute Wage Board consisting of only those persons who believe in collective bargaining.

What measures have been taken to avoid recurrence of accidents and to ensure safety in Mines? An enquiry committee is appointed whenever there is an accident in a mine. This will not ensure safety. Instead of doing this every time, a committee should be appointed to see whether safety regulations are being followed in various mines.

Some people have made it a fashion to talk about Gorakhpur labour. This force which came into existence in 1940 now consists of 16000 labourers. In fact the continuance of Gorakhpur labour is life and death question for the people of eastern U. P. The Gorakhpur labour which fetches Rs. 2 crores every year to the eastern district villages of U. P. should not be abolished. All talk about the mobility of labour from one place to another should stop.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

The root cause of labour unrest in the Public Sector undertakings is that proper and experienced persons are not appointed in the Personnel Departments. Appointments in these departments should be made in consultation with the Ministry of labour.

## सभा का कार्यक्रम
## BUSINESS OF THE HOUSE

**संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम मंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद आज समाप्त हो जायेगा। और श्रम मंत्री से साढ़े छः बजे उत्तर देने का अनुरोध किया जायेगा।

## श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी
## Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation—Contd.

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 4 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | गुप्त मतदान द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधियों की यूनियन को मान्यता देने में असफलता जिसके कारण कारखानों में राष्ट्रीय मजदूर संघ को थोपा गया। | 100 रुपये |
| 66 | 15 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | विस्थापित व्यक्तियों को समुचित नौकरी और काम देने में विफलता। | 100 रुपये |
| 66 | 16 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | दतिया नगर, मध्य प्रदेश के बेघरवार हुये दुकानदारों को दुकान के लिये जमीन देने की व्यवस्था करने में विफलता। | 100 रुपये |
| 67 | 17 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | दोषपूर्ण श्रम नीति को बनाये रखना जिससे कारखानों में उत्पादन के लिये शान्ति-पूर्ण वातावरण नहीं बन पाता। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 18 | श्री रामावतार शास्त्री | सड़क निर्माण-कार्य में लगे मजदूरों की दयनीय दशा सुधारने में असफलता। | 100 रुपये |
| 63 | 19 | श्री रामावतार शास्त्री | मंगलूर पत्तन-परियोजना में काम कर रहे श्रमिकों की दशा सुधारने में असफलता। | 100 रुपये |
| 63 | 20 | श्री रामावतार शास्त्री | तुतीकोरिन पत्तन परियोजना में काम कर रहे श्रमिकों की दशा सुधारने में असफलता। | 100 रुपये |
| 63 | 99 | श्री रामावतार शास्त्री | गोदी श्रमिकों के लिये सुविधाएं न बढ़ाना। | 100 रुपये |
| 63 | 100 | श्री रामावतार शास्त्री | गोदी श्रमिकों की मांगें पूरी न करना। | 100 रुपये |
| 63 | 101 | श्री रामावतार शास्त्री | गोदी श्रमिकों के लिये कल्याण-कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 63 | 126 | श्री किरुत्तिनन | बर्मा से स्वदेश वापस लौटने वालों का पूर्णरूपेण पुनर्वास न करना। | 100 रुपये |
| 63 | 128 | श्री किरुत्तिनन | थमिहागा-अरासू को श्रीलंका से स्वदेश लौटने वालों के पुनर्वास की योजनाएं क्रियान्वित करने के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 63 | 129 | श्री किरुत्तिनन | अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में श्रीलंका से स्वदेश लौटने वालों को भूमि देने की आवश्यकता। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 65 | 130 | श्री रामावतार शास्त्री | मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कानूनी रूप से लागू करने ने लिये विधान बनाने में असफलता । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 131 | श्री रामावतार शास्त्री | मजूरी बोर्डों की सिफारिशों का लागू करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 132 | श्री रामावतार शास्त्री | सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों को बोनस देने की समान नीति बनाने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 133 | श्री रामावतार शास्त्री | सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को बोनस देने की नीति बनाने की आवश्यकता | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 134 | श्री रामावतार शास्त्री | विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा संगठित संघों के रजिस्ट्रीकरण में विलम्ब की नीति न बदलना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 135 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रम सलाहकार समितियों में सत्तारूढ़ दल के श्रमिक नेताओं को अधिक संख्या में मनोनीत करने की नीति को न बदलना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 136 | श्री रामावतार शास्त्री | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार मजूरी की न्यूनतम दरें निश्चित न करना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 137 | श्री रामावतार शास्त्री | सरकार द्वारा अपनी श्रम-विरोधी नीति बदलने में असफलता । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 138 | श्री रामावतार शास्त्री | इजारेदार पूंजीवाद को प्रोत्साहन देने वाली श्रम-नीति को न बदलना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 139 | श्री रामावतार शास्त्री | सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलनों के दमन की नीति न बदलना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 140 | श्री रामावतार शास्त्री | उद्योगों के प्रबन्धकों को खुले आम श्रम-कानूनों का उल्लंघन करने से न रोकना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 141 | श्री रामावतार शास्त्री | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम-कानूनों का पालन न करना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 142 | श्री रामावतार शास्त्री | दलाल श्रमिक संघों को प्रोत्साहित करने की नीति न बदलना । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 65 | 143 | श्री रामावतार शास्त्री | सत्तारूढ़ दल द्वारा संगठित श्रमिक संघों को दिया जाने वाला अनुचित प्रोत्साहन । | राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये । |
| 63 | 144 | श्री रामावतार शास्त्री | इम्पीरियल होटल को बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार होने वाले हजारों कर्मचारियों को बचाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 145 | श्री रामावतार शास्त्री | खानों में होने वाली दुर्घटनाएं रोकने में असफलता। | 100 रुपये |
| 64 | 146 | श्री रामावतार शास्त्री | खानों में अपर्याप्त सुरक्षा उपाय। | 100 रुपये |
| 64 | 147 | श्री रामावतार शास्त्री | खानों में रोशनी का असंतोषजनक प्रबन्ध। | 100 रुपये |
| 64 | 148 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रम कानूनों को लागू न करना। | 100 रुपये |
| 64 | 149 | श्री रामावतार शास्त्री | सभी खानों में सुरक्षा के अधिक उपाय करने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 64 | 150 | श्री रामावतार शास्त्री | खानों में सुरक्षा प्रबन्धकों के बारे में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 65 | 151 | श्री रामावतार शास्त्री | न्यूनतम राष्ट्रीय वेतनमान निश्चित न करना। | 1 रुपया |
| 65 | 152 | श्री रामावतार शास्त्री | अस्पतालों में श्रमिकों के लिये शैयाओं की व्यवस्था न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 153 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 154 | श्री रामावतार शास्त्री | सभी राज्यों के लिये कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी कानून न बनाना। | 100 रुपये |
| 65 | 155 | श्री रामावतार शास्त्री | कृषि श्रमिकों सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी अधिनियम का पालन न करना। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 156 | श्री रामावतार शास्त्री | कृषि श्रमिकों के साथ होने वाले सामाजिक अन्याय को बन्द न करना । | 100 रुपये |
| 65 | 157 | श्री रामावतार शास्त्री | कृषि श्रमिकों के लिये कल्याण-कार्यों पर अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65 | 158 | श्री रामावतार शास्त्री | अभरक खानों के श्रमिकों के लिये कल्याण-कार्य में सुधार की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65 | 159 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रमिक कल्याण केन्द्रों को अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 65 | 160 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रमिकों के लिये आवास का प्रबन्ध न करना । | 100 रुपये |
| 65 | 161 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रमिकों के कल्याण-कार्यों पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65 | 162 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रमिकों को पर्याप्त डाक्टरी सहायता न देना । | 100 रुपये |
| 65 | 163 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रमिकों के डाक्टरी इलाज के लिये अधिक धन नियत करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65 | 164 | श्री रामावतार शास्त्री | त्रिपक्षीय समझौतों को क्रियान्वित न करना । | 100 रुपये |
| 65 | 165 | श्री रामावतार शास्त्री | प्रगतिवादी रुख को देखते हुए श्रम कानूनों में परिवर्तन न करना । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 166 | श्री रामावतार शास्त्री | पूंजीपतियों के हित में श्रम कानूनों का अनुचित प्रयोग। | 100 रुपये |
| 65 | 167 | श्री रामावतार शास्त्री | लोहे की खानों के खनिकों के कार्य की शर्तों में सुधार न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 168 | श्री रामावतार शास्त्री | अभरक खानों के श्रमिकों के कार्य की शर्तों में सुधार न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 169 | श्री रामावतार शास्त्री | श्रम न्यायाधिकरणों, जांच अदालतों और समझौता बोर्डों के निर्णयों को शीघ्र लागू कराने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 65 | 170 | श्री रामावतार शास्त्री | खानों में सुरक्षा उपायों के बारे में श्रमिकों को प्रशिक्षित न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 171 | श्री रामावतार शास्त्री | बीड़ी श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 172 | श्री रामावतार शास्त्री | 'सर्चलाइट' तथा 'प्रदीप', पटना के अंग्रेजी के दैनिक समाचारपत्रों के पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों को मजूरी बोर्ड द्वारा जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की गई है वे उन्हें दिलाना सुनिश्चित न करना। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 173 | श्री रामावतार शास्त्री | हिन्दुस्तान वेहिकल्स लिमिटेड, फुलवाड़ी शरीफ, के जिन कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दे दी गई है, उन्हें रोजगार न देना। | 100 रुपये |
| 65 | 174 | श्री रामावतार शास्त्री | कोयला खनिकों के वेतन में वृद्धि न करना। | 100 रुपये |
| 65 | 175 | श्री रामावतार शास्त्री | राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में श्रमिक विरोधी रवैया बन्द न करना। | 100 रुपये |

**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : गत वर्ष देश में मन्दी रही है और कहा गया है कि मूल्य 15 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गये थे। उन परिस्थितियों में श्रमिकों की स्थिति बहुत कठिन है। सारे देश में तालाबन्दी की घटनायें हुईं और बेरोजगारी फैली। कलकत्ता में ही एक लाख से अधिक लोग बेरोजगारी के शिकार हो गये। मालिक लोग श्रमिकों को तंग करने के वास्ते मंदी की स्थिति से लाभ उठायेंगे और अधिक मुनाफा कमायेंगे। ऐसी हालत में तालाबन्दी होती रहेगी। देश भर में सभी क्षेत्रों में लगभग 99 लाख 20 हजार जन-दिन नष्ट हो गये।

यंत्रीकरण योजना तथा इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर चालू करने से बेरोजगारी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। इस बात से कुछ संतोष मिलता है कि भारतीय श्रम सम्मेलन ने इस कार्यक्रम को निकट भविष्य में लागू न करने का निर्णय किया है।

औद्योगिक क्षेत्र में आजकल मजूरी, पारिश्रमिक और मजूरी ढाचें की प्रणाली के कारण ही कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। कई मामलों में मजूरी बोर्ड द्वारा निश्चित की गई उचित मजूरी निम्नतम मजूरी से भी कम होती है। उदाहरण के लिये, बागान उद्योग में एक मजदूर की दैनिक मजूरी 2 रुपये 25 पैसे है और फिर भी इसे उचित मजूरी कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि इस मजूरी से निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अतः इस प्रकार उचित मजूरी को भी उचित मजूरी नहीं कहा जा सकता।

यदि यह मजूरी बोर्ड की प्रणाली का प्रश्न है तो मजूरी बोर्ड के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन किया जाना चाहिए और मजूरी विवेकपूर्ण ढंग से निश्चित की जानी चाहिए। सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढी हुई महंगाई के बराबर वृद्धि की जानी

चाहिए। राष्ट्रीय निम्नतम मजूरी नियत की जानी चाहिए और किसी को भी उससे कम मजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

भारतीय श्रम सम्मेलन और भारत सरकार ने फैसला किया है कि मंहगाई भत्ते को निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा जाये। किन्तु डाक-तार तथा रेलवे जैसे विभागों ने इस फैसले पर अमल नहीं किया है। सरकारी उपक्रमों में मंहगाई भत्ता नहीं दिया गया और एक कुशल श्रमिक का कुल पारिश्रमिक गैर-सरकारी क्षेत्र में मेहतर को मिलने वाले मंहगाई भत्ते से भी कम होता है। अतः सरकारी या गैर-सरकारी सभी उद्योगों में मंहगाई भत्ते को निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा जाना चाहिये। न्यूनतम मजूरी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी होनी चाहिए। न्यूनतम मजूरी निश्चित की जानी चाहिए और उससे कम देश में किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। श्रमिक कानून सभी क्षेत्रों में लागू किये जाने चाहिए।

जब तक हमारे देश की बेरोजगारी की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो जाता तब तक स्वचालित मशीनें और इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर शुरू नहीं की जानी चाहिये। औद्योगिक विवाद अधिनियम और बोनस अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों को कुछ राहत मिल सके। श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिये, ठेका प्रणाली को खत्म करने और सस्ते दामों की दुकानें खोलने के वास्ते एक कानून बनाया जाना चाहिये।

**श्री कृष्ण मूर्ति** (कुड्डलूर) : केन्द्रीय सरकार की श्रम-विरोधी नीति से मुझे निराशा हो रही है। सरकार की इस नीति द्वारा औद्योगिक शान्ति कायम नहीं रह सकती। सभा में यंत्रीकरण और कम्प्यूटरों को चालू करने के सम्बन्ध में दो तीन बार चर्चा हुई है। फिर भी हमारे मंत्री राज्यों के श्रम मंत्रियों को अपनी नीति नहीं समझा सके। कुछ दिनों पूर्व हुए श्रम सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों ने कहा कि जीवन बीमा निगम जैसे कुछ उद्योगों में कम्प्यूटर चालू किये जा सकते हैं। मद्रास, केरल और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों ने कुछ उद्योगों में कम्प्यूटर और यंत्रीकरण चालू करने की बात को स्वीकार कर लिया है।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** ]

यंत्रीकरण और कम्प्यूटर शुरू करने से बेरोजगारी फैलेगी। सरकार की यह नीति गांधीवादी नीति और सर्वोदय के सिद्धान्तों के विपरीत है। गांधी जी ने चर्खे के इस्तेमाल पर इसलिये जोर दिया था कि इससे हमारे देश के लाखों लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी। किन्तु हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि कम्प्यूटर चालू करने से बेरोजगारी नहीं फैलेगी।

हमारे यहां इंजीनियरों की बेरोजगारी की भी समस्या है। ऐसी हालत में यंत्रीकरण और कम्प्यूटर चालू करना ठीक नहीं है। इंजीनियरों में बेरोजगारी समाप्त करने के लिये सरकार को प्रत्येक बेरोजगार इंजीनियर को 25,000 रुपये देने चाहिये ताकि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके।

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में मंत्री महोदय ने कहा था कि वे सरकारी उपक्रमों के श्रम सम्बन्धों को केन्द्र के अधीन रखने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। श्रमिक कल्याण राज्य का विषय है। राज्यों को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी श्रम-समस्याओं को अपने ही तरीके से हल करने देना चाहिये। यदि राज्य किसी श्रमिक-विवाद को अदालती फैसले के लिये भेजना चाहें तो केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामले में दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिये।

सरकार को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिसके आधार पर मजूरी बोर्ड के फैसले को कार्यान्वित किया जा सके। अन्यथा उद्योगपतियों को दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

बैंकों के सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी विधेयक एक प्रवर समित के सामने है। उस विधेयक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय बैंकों के कर्मचारियों के अधिकारों को खत्म करने का उपबन्ध है। यह कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। सरकार मजदूरों की कोई मदद नहीं कर रही है।

---

## कार्य मंत्रणा समिति
## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### अठारहवां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य और संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं कार्य-मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन को उपःस्थापित करता हूं।

### श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी
### Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation—Contd.

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : विस्थापित व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिये हमारा रवैया यह रहा है कि इन लोगों को भूमि दी जाये, इन्हें व्यापार चालू करने के लिये ऋण दिया जाये और इन्हें उद्योगों में स्थान दिया जाये। वास्तव में हमने दंडकारण्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया है। वहां पर आज 10,450 परिवार मौजूद हैं। यह एक विशाल कृषि-परियोजना है और भूमि-सुधार पुनर्वास संगठन की पूर्णतया यंत्रीकरण इकाइयों द्वारा लगभग 1,10,000 एकड़ भूमि को उपयोगी बनाया गया है। 40,000 एकड़ भूमि में खेती की जा रही है। जहां तक दंडकारण्य विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र में सिंचाई परियोजना चालू कर दी गई है। भास्कर बांध और पकंजोर बांध तैयार हो गये हैं। भास्कर बांध से लगभग 11,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और दूसरे बांध से भी 11,000 एकड़ और अधिक भूमि में सिचाई होगी। दो बांध और बनाये जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 75,000 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी और इस भूमि में लगभग 25,000 एकड़ भूमि आदिवासियों की होगी।

जो भूमि कृषि योग्य बनाई गई है उसमें से 25 प्रतिशत भूमि भूमिहीन आदिवासियों में बांटने के लिये राज्य सरकार को दे दी गई है। उस क्षेत्र में 64 गांव स्थापित किये गये हैं और 224 गांव विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्थापित किये गये हैं।

अनेक ऐसे स्थानों पर भी कृषि-परियोजनायें शुरू की गई हैं जहां हमारे देश में हाल ही में आये किसानों के परिवारों को बसाया गया है। इन लोगों को कुछ उद्योगों में उपयुक्त नौकरी देने की दृष्टि के लिये इन लोगों को उन्हें प्रशिक्षण देने के वास्ते दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं। एक ऐसा संस्थान मध्य प्रदेश में माना में खोला गया है और वहां पर 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दूसरा संस्थान हस्तिनापुर में है और वहां पर विस्थापित लड़कों को प्रशिक्षण किया जाता है। उन्हें कुछ वजीफा भी दिया जाता है।

**श्री अदिचन** (अड़ूर) : प्रबन्धकों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से इन्कार किये जाने के कारण समाचार पत्रों के कर्मचारियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार को इस मामले में प्रभावकारी ढंग से हस्तक्षेप करके कर्मचारियों के साथ न्याय करवाना चाहिये।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने पद्दलितों, जिन्हें वे हरिजन कहते थे, के उद्धार करने पर बहुत जोर दिया था। हमारी स्वाधीनता के 21 वर्ष बाद भी हरिजनों का शोषण हो रहा है।

सरकार ने खेतिहर मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये भी बहुत कम काम किया है। सरकार को इस देश के खेतिहर मजदूरों के मजूरी ढांचे और काम करने की शर्तों की जांच करने के लिये एक अधिक शक्ति वाली समिति नियुक्त करनी चाहिये।

मुझे उम्मीद है कि सरकार को केरल के काजू उद्योग में काम करने वाले उन 80,000 मजदूरों के बारे में भी पता है जो निर्यात के लिये काजू तैयार करते हैं जिससे 6 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उनकी मजूरी बहुत कम है। फिर भी वहां बेरोजगारी भयंकर रूप में है। इस उद्योग में सुधार करने के लिये शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये और यह उसी अवस्था में सम्भव है जब राज्य-व्यापार निगम द्वारा कच्चे काजू मंगाये जायें और उन्हें तैयार करके निर्यात किया जाये और इस व्यापार में व्याप्त दलबन्दी को दूर किया जाये।

पिछले कुछ वर्षों से श्रम मंत्री बेरोजगारी बीमे के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं और अब उन्होंने कुछ अनुदान की भी मांग की है। किन्तु यह बात नियोजकों की इच्छा पर छोड़ दी गई है और वह सीमित योजना भी लागू नहीं की गई है। प्रस्तावित बेरोजगारी बीमा योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये और इंजीनियरिंग कपड़ा आदि क्षेत्रों में मंदी को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

नियोजकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की एकदम उपेक्षा कर दी है। वे पंच-निर्णय को भी नहीं मानते और मुकदमे बाजी शुरू कर देते हैं। इस तरह औद्योगिक अशान्ति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि हमारे कानून और संस्थायें इस स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः इस प्रकार से स्थिति से निपटने के लिये कानूनों को और अधिक कारगर ढंग से लागू किया जाना चाहिये।

औद्योगिक संबंधों के बारे में सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था होनी चाहिये और कार्मिक संघों को मान्यता दी जानी चाहिये। कांग्रेस दल राजनीतिक स्वार्थों के कारण इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही मान्यता देता है और इसी कारण वह गुप्त मतदान का विरोध करता है। किन्तु अब मालिक भी इस नीति से तंग आ गये हैं और इसी कारण वे भी अब गुप्त मतदान की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों को गुप्त मतदान द्वारा कार्मिक संघ का चुनाव करने के बारे में काफी तजुर्बा है। हमें श्रमिकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये और उन्हें कार्मिक संघ के चुनाव को अधिकार देना चाहिये। इससे कुछ कठिनाइयां दूर होंगी और औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में देश में एक नये युग का सूत्रपात होगा।

बैंकिंग कम्पनी संशोधन विधेयक के 36 क घ खंड को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि इसकी वजह से बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है।

**Shri Ganga Reddy** (Adilabad): After independence, lacs of people were rendered homeless and came to India. It was very difficult to rehabilitate them. Government tried to solve this problem. In my constituency in Adilabad a forest stretching over 12 acres has been cleared and efforts are being made to settle some agricultural families there. Four acres have already been cleared and certain families have been settled there. This land is not suitable for cultivation. For irrigation purposes, water is not available there.

Thousands of acres of land is available in Sirpur Taluka. That land is fertile. Government can parchase that land at cheap rates. Lift irrigation is possible there without much difficulty. Government should purchase this land and should not destroy forests any more.

There is wide spread unemployment among engineers and doctors due to which the students studying in technical institutions feel greatly frustrated. They have no interest in their studies for want of lack of employment opportunities. I suggest that an All India service should be created for engineers and doctors and more employment opportunities should be provided to these people.

In our country I. A. S. and I. P. S. Officers enjoy a higher status than the Scientists and technical people. These days our country needs doctors, engineers and Scientists and therefore, they should be given more importance than I. A. S. and I. P. S. Officers. If the conditions of our Scientists, engineers and doctors are allowed to remain as it is, our country would not be able to progress.

**Shri Deven Sen** (Asansol): In my opinion, our Government has no labour policy worth the name. Whenever any dispute arises, it is either referred to a tribunal or to the wage board. This is no policy. We can call it a policy only when it is need-based, when there is a legislation for minimum wages, when there is a definite programme for tackling unemployment, when effective steps are taken to prevent lockouts and so on.

Freezing of wages and introduction of automation are two dangers being faced by the labour class. The Government should give an assurance that the worker's wages would not be frozen.

Efforts have been made to introduce automation in the Railways, the L. I. C., the Banks, the Calcutta Electric Supply Corporation and other concerns, as a result of which thousands of workers are going to be displaced. A factory for manufacturing computers has been set up at Bangalore which would accentuate the process of automation.

At present only the representatives of the INTUC are sent in the I. L. O. on the plea that they are in majority. Actually there is politics behind it. That is why the suggestion for verification is not accepted by the Government.

Evacuee Property Act has been enacted for the refugees of West Pakistan but no such enactment has been made for the East Pakistan refugees. I would like to know as to why it has not been done in the case of East Pakistan refugees.

**श्री मेहता** (भावनगर) : आप जानते हैं कि आजकल श्रम आन्दोलन एक विकासशील विज्ञान है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। लोग घेराव, हड़ताल और अन्य विलम्बकारी तरीके अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये अपनाते हैं और वे लोग अवश्य असफल होंगे। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों को और भी अधिक कठिनाई और परेशानी होगी।

पिछले दो सालों में देश के कई भागों में सूखा पड़ा जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन कम रहा और इसका कृषि पर आधारित उद्योगों पर भी असर हुआ। 1967 वर्ष के अन्त में 32 कपड़ा मिलें बन्द रहीं जिसका प्रभाव 43,000 मजदूरों पर पड़ा। भावनगर स्थित महालक्ष्मी मिल्स ने अपने मजदूरों को मजदूरी नहीं दी और उनके संचित निधि की जमा में अपना अंशदान भी नहीं दिया। यह एक अपराध है और ऐसे सभी मामलों में मंत्रालय को कार्यवाही करनी चाहिये। कुशासन और कुव्यवस्था के कारण यह मिल बन्द कर दी गई जिसके कारण 2200 मजदूर बेरोजगार हो गये और उन्हें भारी यातना और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने इसका एक उपचार निकाला है कि वह कमजोर मिलों को स्वयं संभालने और उन्हें चालू रखने के लिये एक विधान बनायेगी। किन्तु इस विधान पर अमल करना सरकार के हाथ में नहीं है। इसलिये इन बन्द मिलों को चलाने के लिये जिम्मेदार मंत्रालय में और इस मंत्रालय के बीच समन्वय होना चाहिये। मजदूरों और कार्मिक संघों ने श्रम मंत्रालय से आशा की थी कि वह उनकी रक्षा करेगा किन्तु श्रम मंत्रालय ने उनके रोजगार की रक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

मजूरी बोर्डों और आयोगों की सिफारिश पूरी-पूरी स्वीकृत की जानी चाहिये, किन्हीं परिवर्तनों के साथ नहीं।

**डा० मैत्रयी बसु** (दार्जिलिंग) : श्रम मंत्रालय को इस बात के लिये बधाई हो कि उसने कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन को समाप्त करने का सर्वसम्मत निर्णय किया है। वर्ष 1963 में कोयला उद्योग समिति ने भी ऐसा ही सर्वसम्मत निर्णय किया था। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि

मजदूरों की दशा अत्यन्त खराब होती जा रही है। उनके साथ बड़ा ही अमानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तथा इस संगठन के श्रम शिविरों में श्रमिकों की हालत गुलामों से भी बुरी है।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि बोनस अधिनियम के पारित होने से पूर्व पूर्वोत्तर भारत में चाय-बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये बोनस समीकरण जैसी कोई निधि थी। परन्तु इस निधि में से 51 लाख रुपये प्रबन्धक एजेन्सियों ने रख लिए हैं तथा श्रम मंत्रालय इस में से कुछ भी नहीं निकाल सकता इस बात पर श्रम मंत्री विशेषरूप से ध्यान दें।

सदन का अधिक समय न लेते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि अर्थ-नीति का केन्द्रीयकरण होता है तो कुशल से कुशल श्रम मंत्री भी कुछ न कर सकेगा। स्वतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि श्रम सम्बन्धों के बारे में जो कुछ भी कहते हैं वह बड़ा हास्यस्पद है। बैंकों के राष्ट्रीकरण से कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि जीवन बीमा निगम का पैसा ठीक वैसे ही प्रयुक्त होता है जैसे कि काला धन होता है। पूंजी लगाने की व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये ताकि श्रम मंत्रालय जनता की सेवा कर सके।

**श्री बे० कु० दासचौधरी** (कूच बिहार) : प्रतिवेदन में हमने देखा है कि वर्ष 1954 के अधिनियम के पारित होने के बाद से पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को मुआवजा दिया जा रहा जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को यह अधिनियम लागू नहीं किया गया।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को तो अब तक 1000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों को ये लाभ नहीं मिले। इसके अतिरिक्त पाक अधिकृत जम्मू व काश्मीर प्रदेश में, जो कि भारत का ही एक अंग है, लोगों को भारत में आ बसने की सुविधा दी जाती है परन्तु पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों के लोगों को किन्ही भौगोलिक अथवा अन्य कारणों से यह सुविधा नहीं मिल पाती। पूर्वी पाकिस्तान तथा पाश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के मध्य ऐसा भेदभाव रखने के क्या कारण हैं तथा यह असमानता क्यों है।

दिल्ली में कालकाजी नामक बस्ती पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये विकसित की गई थी और इसके लिये कुछ वर्ष पूर्व भारत सेवक समाज को इस बस्ती के विकास के लिये 25 लाख रुपये का ठेका दिया था। परन्तु सरकार से धन प्राप्त कर लेने पर भी इस संस्था ने वहां कोई विकास कार्य नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार किन उपायों से वह धन वापस लेने का प्रबन्ध करेगी ?

अन्त में, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह पूर्वी भारत का एक दौरा करें तथा स्वयं जाकर देखें कि वहां रहन-सहन की क्या हालत है तथा फिर शीघ्र ही वहां की दशा सुधारने के लिए कदम उठाएं।

**Shri D. R. Patil** (Yeotmal): There are about 70% of agriculture labourers who have not been given any attention during any of the three Five Year Plans. There has been

no increase in per capita income only for this class of labourers. Government, therefore, should see to it and take effective steps to improve the living conditions of these agriculture labourers.

The Hon. Minister should also give a statement about the strike of 50,000 newspaper-workers these days.

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए यह तो सम्भव नहीं कि मैं हर प्रश्न का उत्तर इस सीमित समय में दे सकूं परन्तु मेरा यह प्रयत्न होगा कि शेष रह जाने वाले प्रश्नों का उत्तर मैं उत्तर के रूप में लिख दूंगा, यदि प्रश्न मुझे लिख कर दिए जायें ।

[ **श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
**Shri G. S. Dhillon in the Chair** ]

श्री कौशिक ने बताया कि मजदूरों को अनेक सुविधायें प्रदान करने पर भी बहुत सारे जन-दिन नष्ट हुए । यह चिन्ता की बात है । वर्ष 1966 में लगभग एक करोड़ 30 लाख जन-दिनों की हानि हुई और वर्ष 1967 में संम्भवतः एक करोड़ बीस लाख जन-दिनों की । देश के सच्चे हितैषियों को निश्चय ही इससे दुःख पहुंचेगा । परन्तु इसमें से 60 लाख जन-दिनों की हानि तो अकेले पश्चिम-बंगाल में ही हुई । यह बड़ी ही चिन्ता का विषय है । इस प्रदेश के अतिरिक्त और कहीं भी इतने जन-दिनों की हानि नहीं हुई बल्कि दूसरे स्थानों पर यह हानि बराबर घटती गयी है । पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त और कहीं भी इतनी अशान्ति नहीं दिखाई देती ।

परन्तु श्रमिकों की निराशा और अशान्ति के कारण भी बिल्कुल स्पष्ट हैं । मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण उनकी वास्तविक मजदूरी में ह्रास उत्पन्न होता जा रहा है । औद्योगिक अशान्ति का कारण भी स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर भी दुर्लभ हो गये हैं । मंदी इसका एक बड़ा कारण है और मन्दी का कारण है कच्चे माल, विदेशी मुद्रा तथा कल-पुर्जों की कमी या उनका न मिलना । रोजगार के अवसरों में इस वर्ष केवल 0.8 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है ।

यही कुछ अशान्ति के मूल कारण हैं । परन्तु यदि हम बंगाल के आंकड़ों को अलग करके देखें तो हमें इतनी अधिक अशान्ति नजर नहीं आती । फिर भी हमें इस अशान्ति को दूर करना है । इसका केवल एक ही हल है और वह यह कि मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध रहने चाहिए । औद्योगिक-शान्ति का आधार बस यही एक चीज है । कोई चाहे कितने ही कठोर कानून बनाए, न्याय-निर्णय की बात रख ले, परन्तु ये सब पूरी सफलता प्रदान नहीं कर सकते । जब तक मजदूर यह नहीं अनुभव करेगा कि इसके साथ यथोचित व्यवहार किया जा रहा है तब तक वह अपनी पूरी शक्ति कार्य में न लगा सकेगा । अतः यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष परस्पर अच्छे अम्बन्ध बनाए रखें । इसके अतिरिक्त उद्योग के लाभ में मजदूर का भी भाग होना चाहिए । अधिकाधिक उत्पादन होगा तो मजदूरों को भी अधिक लाभ होगा और वे और भी उत्साह से कार्य करेंगे । आज तो यह नारा होना चाहिए कि—"अधिक उत्पादन करो और अधिक वितरित करो ।"

मजूरी मंडल संस्थान की स्थापना आज से 10 पर्ष पहले हुई थी और इस अवधि में इसने 19 मजूरी मंडल नियुक्त करके 35 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया। परन्तु बाद में कठिनाई आई कि मजूरी मण्डल की सिफारिशों में मतैक्य नहीं होता। यह सुझाव दिया गया कि मजूरी मंडल को अधिनियमित कर दिया जाए। परन्तु क्या इससे सब समस्याएं हल हो जायेंगी ? श्रमजीवी पत्रकारों का मजूरी-मण्डल एक अधिनियमित मण्डल है परन्तु फिर भी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और वे लोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं। अतः इसका कोई न कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य से स्थायी श्रम समिति की एक उप-समिति नियुक्त की गई है और मुझे विश्वास है कि हम कोई न कोई हल ढूंढ ही निकालेंगे। परन्तु इसके लिए मजदूरों और प्रबन्धकों दोनों का ही सहयोग आवश्यक होगा अन्यथा यह सम्भव नहीं।

डा० मेलकोटे ने तकनीकी प्रशिक्षण की बात कही है। यह सत्य है कि हमारे पास लगभग 350 प्रशिक्षण संस्थान हैं तथा लगभग एक लाख चालीस हजार युवकों को हमने प्रशिक्षण दिया है, परन्तु वे युवक केवल तकनीकी व्यक्ति हैं। उनमें प्रबन्ध करने की योग्यता नहीं है। अतः मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि मजदूरों को ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जाये कि आगे चलकर वे प्रबन्धकों का पद भी सम्भाल सकें। तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिये बंगलौर में हम एक उच्चतर प्रबन्ध प्रशिक्षण देने के लिये एक संस्थान स्थापित कर रहे हैं।

दूसरी बात बेरोजगारी के बारे में है। वास्तव में ही यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्जीनियरों में बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरन्तर और चिन्ताजनक ढंग से घटते जा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि लोग प्रशिक्षित और अनुभवी इन्जीनियरों की ही मांग करते हैं। इस ओर हमने पहला कदम यह उठाया है कि प्रायः 7000 इन्जीनियरों को संयंत्रों में प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। दूसरा सुझाव यह है कि इन प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण के अन्तिम वर्ष में उन द्वारा चयन किये गये विषय अथवा क्षेत्र में सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनको अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण और अनुदान दिये जाएंगे ताकि नौकरी की खोज में वे भटकते न फिरें। रोजगार के अवसर तो देश के विकास पर निर्भर करते हैं। यदि विकास न होगा तो रोजगार कैसे बढ़ेगा ?

अब मैं संघों को मान्यता देने के प्रश्न को लेता हूं। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही खण्डों में यह कठिनाई उत्पन्न हो गई है कि संघों के मध्य प्रतिद्वन्द्विता की भावना प्रबल हो रही है। इससे प्रबन्ध में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ-साथ जो प्रबन्धकगण हैं वे भी मानव-सम्बन्धों के बारे में प्रशिक्षित और अनुभवी नहीं है। उन्हें भी यह योग्यता प्राप्त नहीं कि मजदूरों और प्रबन्धकों में परस्पर सम्बन्धों को किस प्रकार अच्छा रखा जाये।

औद्योगिक सम्बन्धों के विषय के प्रशासन को केन्द्र के अधीन करने का मेरा यह

अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम राज्यों के अधिकारों को हड़पने अथवा उनमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इस सुझाव से मेरी मन्शा यह थी कि एक ही प्रबन्ध के अधीनस्थ विभिन्न राज्यों के एककों में विभिन्न संघों के होने के कारण औद्योगिक सम्बन्धों को अच्छे ढंग से स्थापित रखना मुश्किल हो जायेगा। जैसे एक स्थान पर एक संघ के साथ कोई समझौता होता है। परन्तु दूसरे स्थान पर यदि संघ को बहुमत प्राप्त नहीं है और कोई व्यक्ति कोई प्रश्न उठाकर औद्योगिक श्रम न्यायालय में पहुंच जाता है तो एक झगड़ा खड़ा हो जाता है। सारी व्यवस्था भंग हो जाती है। अतः एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत तीन-तीन संघों के होने से औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने में बड़ी कठिनाई आती है।

संघों को मान्यता देने का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह तरीका बड़ा सफल है कि प्रत्येक संघ के सदस्यों की सदस्यता की जांच की जाये। यदि श्रमिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है तो संघ का सदस्य न होने पर भी वह अपना मत दे सकता है। इस तरीके के अतिरिक्त यदि कोई और भी सुझाव मिले तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं परन्तु इस समय तो यही तरीका प्रचलित है। इससे हमें कार्मिक संघ बनाने का अवसर प्राप्त होता है।

औद्योगिक शान्ति बनाने के लिये यह अच्छा होगा कि इस बारे में सभी संघों के नेतागण मिल-बैठकर विचार करें तथा कोई इसका हल निकालें। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि यह पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता न रहे। जब तक यह प्रतिद्वन्द्विता समाप्त नहीं होती, औद्योगिक शान्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती।

श्री कछवाय ने निलम्बन भत्ते की चर्चा की। इसके लिए स्थायी आदेशों को हम पहले ही संशोधित कर चुके हैं जिसके कारण निलम्बित मजदूर को उसके निलम्बन की अवधि में 50 प्रतिशत भत्ता मिलेगा। परन्तु अधिनियम में संशोधन करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के सामने एक प्रस्ताव था क्योंकि स्थायी आदेशों के अनुसार प्रत्येक उद्योग को नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। यह सुझाव स्वीकृत हो गया है और मजदूरी के भुगतान अधिनियम को तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा ताकि मजदूर को उसके निलम्बन की अवधि में 50 प्रतिशत मजदूरी मिल जाये।

अब बीड़ी उद्योग की बात आती है। कछवाय साहब ने कहा है कि बीड़ी उद्योग सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि यह अधिनियम प्रथम मई से लागू किया जाये ताकि तब तक नियम बनकर तैयार हो जायें। गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान सरकारों ने यह नियम प्रकाशित भी कर दिये हैं। मद्रास ने मसौदा तैयार कर लिया है। बिहार ने भी मसौदा तैयार करके उसका हिन्दी अनुवाद करना आरम्भ कर दिया है। मध्य प्रदेश भी मसौदा तैयार कर चुका है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि कुछ कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री काशीनाथ पांड़े ने खानों और सुरक्षा प्रबन्धकों के बारे में कहा है । जहां तक यह सुझाव है कि खानों में ऐसी समितियां स्थापित की जायें जिससे कि मजदूर और प्रबन्धक मिलकर यह देख सकें कि वहां रक्षा सम्बन्धी उपायों को अपनाया भी गया है अथवा नहीं । सो, इस बारे में हम पहले ही से कार्यवाही शुरू कर चुके हैं जिसके फलस्वरूप खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आगई है । वर्ष 1961 में जहां गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या 5038 थी वहां अब वर्ष 1967 में वह केवल 292 थी।

अनेक छोटी कोयला खानों में कोयला मजूरी मंडल की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है । अतएव कोयला खरीदने वाले मंत्रालयों, खास तौर से रेल मंत्रालय, से मैंने अनुरोध किया है कि किसी कोयला खान से कोयला मंगाने से पूर्व वे प्रादेशिक आयुक्त से यह प्रमाण-पत्र मंगा लें कि उस कोयला खान ने मजूरी-मंडल की सिफारिशों को लागू कर दिया है ।

डा० मैत्रयी बसु ने बोनस-निधि के बारे में कहा है । इस सम्बन्ध में मैंने पश्चिम बंगाल तथा असम के श्रम मंत्रियों से बातचीत की है । इस संदर्भ में वे बागान के मालिकों से आगे बातचीत करेंगे ।

श्री श्रीकान्तन नायर ने निष्प्रभावीकरण की बात कही है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में कम से कम वेतन पाने वाले को शत-प्रतिशत तथा अधिकतम वेतन पाने वाले को न्यूमतम लाभ दिया जाना चाहिये । फिर उन्होंने कपड़ा मिलों तथा स्वचालित मशीनों के दो महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की । ये दोनों ही मामले भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष थे । प्रबन्धकों और श्रमिकों ने यह स्वीकार कर लिया कि स्वचालित मशीनों के मामले पर विचार करने के लिये एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिये और वाणिज्य मंत्रालय यह विशेष अधिवेशन आयोजित करे ताकि इस बारे में विस्तारपूर्वक बातचीत हो सके । भारतीय श्रम सम्मेलन में स्वचालित मशीनों के बारे में जो नीति निर्धारित की गई है । वह यह है कि मशीनों की स्थापना पर कोई रोक अथवा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये और उसका प्रयोग इस प्रकार हो कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी न हो । इस मामले में आगामी जून के अन्त में अथवा जुलाई के आरम्भ में फिर चर्चा होगी ।

यदि यह बात मानी जायेगी कि स्वचालित मशीनों को प्रयोग करने के लिये या इसके परिणामस्वरूप किसी मजदूर की छंटनी नहीं की जायेगी तब तो ठीक है वरना नहीं और यह हो सकता है ।

ठेके पर रखे गये मजदूरों को काम देने के तरीकों को समाप्त करने की बात को हमने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । ज्यों ही मुझे अवसर मिलेगा मैं विधेयक पास करा लूंगा तथा ठेके की मजदूरी समाप्त हो जायेगी ।

हम तो यह भी कहते हैं कि प्रबन्धक और मजदूर मिल बैठकर अपने विवाद निपटा लें तथा यदि यह सम्भव न हो तो मामले पर पंच-फैसला करा लें । परन्तु किसी मजदूर को बिना

मुआवजा दिये नहीं निकाला जा सकता। खान बन्द होने का बहाना मान्य नहीं है अतः इस दशा में भी मुआवजा दिया जाना चाहिये।

यह कहना ठीक नहीं कि भारत की श्रम नीति मजदूरों के विरुद्ध है। यह नीति केवल भारत सरकार द्वारा ही तैयार नहीं की गई बल्कि एक त्रिपक्षीय निकाय ने, जिसमें मजदूरों, प्रबन्धकों तथा सरकार के प्रतिनिधि थे, तैयार की है।

खेतिहर मजदूरों के बारे में भी प्रश्न उठाये गये थे परन्तु मैं उस बारे में अध्ययन न कर सका। इसके अतिरिक्त पत्रकारों की हड़ताल की बात कही गयी थी और कल ही इस पर विचार-विमर्श किया गया था। आज फिर इस बारे में आगे बात-चीत होगी। वे कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा उपाय सोचा है कि इस बारे में आगे भी बात हो सकती है तथा हड़ताल भी समाप्त हो सकती है। इस बैठक में श्रम सचिव भी उपस्थित थे। मुझे आशा है कि इसका कोई संतोष-जनक हल निकल आयेगा।

महोदय, मैं प्रायः सभी विषयों पर वक्तव्य दे चुका हूं फिर भी यदि कोई बात रह गई है तो तो मैं माननीय सदस्य को विस्तृत जानकारी भेज दूंगा।

नीलरतन सरकारी हस्पताल के बारे में मैं पश्चिम बंगाल से पूरी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

कपड़ा मिलों की बुरी दशा तथा उनके दीवालिया हो जाने की बात केवल महाराष्ट्र में ही नहीं प्रत्युत गुजरात में भी है। यह मामला मैंने वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाया है तथा मैं उनसे विचार-विमर्श करूंगा कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिये।

**सभापति द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| 63 | श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय | 68,07,000 |
| 64 | खान सुरक्षा महानिदेशक | 44,32,000 |
| 65 | श्रम और रोजगार | 12,65,48,000 |
| 66 | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय | 10,73,54,000 |
| 67 | श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 15,12,000 |
| 123 | श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 5,27,28,000 |

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 24 अप्रैल, 1968/4 वैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 24th April, 1968/Vaisakha 4, 1890 (Saka)**



Tej Kumar Press, Lucknow—14-11-68—600